Page No 1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ७९वां दिवस [संख्या ४७

मंगलवार, ५ मई, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

जैसलमेर स्टेट के भूतपूर्व राजाओं द्वारा स्थायी खातेदारी अधिकारों का दिया जाना

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Revenue Minister be pleased to state:-(1) Is it correct that nearly 60 years back permanent tenancy right in the Kharinds of Masurdi, Mohanpea and Onsubada and Dhanwa etc. were conferred on the peasants by Ex. Rulers of Jaisalmer State after accepting consideration money from them ?

(2) Is it correct that permanent tenancy rights in Masurdi Kharind had been conferred on Bula. Binka and Daroga Ramlal by the Dwan Shri Laxmandas under an agreement signed on 8.10.1903 ?

(3) Is it correct that upto 1955 receipts were issued to Ramlal and others in recognition of their tenancy rights and in lieu of the annual 'Lagan' paid by them ?

(4) Is it correct that these Kharinds have been surreptitiously included in the inventory of the private property of the Maharawal sanctioned by the Ministry of States, Government of India ? If not, will the Government place a copy of the inventory on the table of the House ? Is it also correct that this inventory was kept secret so that the peasants may not know about it ?

(5) Is it correct that in the girdavari slip issued on 29.3.58 by Patwari Dhedee, Shri Ramlal has been recorded as having khatedari rights on the Kharind in question ?

(6) Is it correct that the summary

Page No 2

(श्री पी. के. चौधरी)

settlement that has been carried out in the area in 1958, Shri Ramlal and many other permanent tenants have been shown as sub-tenants from 29.3.58 and the Kharind have been shown as Khalsa ?

(7) Who realises the land revenue from the agricuturists of the Kharind Masurdi ?

(8) Is there any reserve grazing land in the inventory of personal property of the Maharawal, and if so, how much and where ? Whether the State Government has any sketches of the same and whether the Government officials have determined the grazing lands accordingly ?

उपमन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत-राम) : (1) Since the records of rights were not maintained in the former State of Jaisalmer hence it cannot be ascertained whether any permanent tenancy rights in the Khardins of Masurdi, Mohanpea, Hanswa and Dhanwa etc. ware conferred on the cultivators and the cultivators had paid the compensation in cash for the land to the Jaisalmer Ruler.

(2) There is no such record available either in Collectorate or in Tehsil to show that permanent tenancy right in Masurdi were conferred on Bula Bhika and Daroga Ramlal by the then Dewan Shri Laxmandas under an agreement signed on 8.10 1908 ?

(3) In absence of the record it cannot be said that whether receipts were issued to Shri Ramlal and others in recognition of their tenancy rights and in lieu of annual lagan paid by them.

(4) Such allegation that the Kharinds have been surreptitiously included in the inventory of private property of Maharawal may not be imputed. These Kharinds have been included in the private property of Maharawal.

(5) Slips were issued to show possession but not Khatedari rights.

(6) It is correct that the tenants and Shri Ramlal have been shown as sub-tenants by the summary settlement in 1958 (Khalsa).

(7) From the report of the Tehsildar, Sam, it appears that the land revenue from the agriculturists of Khardins Masurdi has been realised by H. H. of Jaisalmer.

(8) Yes.

1. Dasanpur	20 sq. miles.
2. Dewa.	20 sq. miles.
3. Bhadwa.	6 sq. miles.
	46 sq. miles.

No sketch of this land is availablo. The Ruler has been given right to graze his cattle, cut and store fodder in his area of 46 sq. miles allotted to him.

Page No 3

श्री पी० के० चौधरी : In part (1) and (2) you said that no records were available to show that permanent rights were conferred on them and you told that there is no record regarding agreement. If these tenants submit the original agreement to you, of which I have got the attested copies, then will you consider their case for conferring permanent rights on them ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): This is a question regarding entries in settlement records and I will advise the tenants to approach the settlement authorities, Government cannot change the settlement entries and cannot give any guidance to the settlement authorities. It is for the public to get the entries corrected through legal action.

श्री पी० के० चौधरी : I am putting a straight question. You have got no records till the summary settlements were made in 1951, whereeas these tenants have got the original agreement from the Dewan of Jaisalmer State conferring permanent rights on them in consideration of the money paid by them. On the basis of that agreement, are you going to confer permanent tenancy rights on them or not ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already submitted that the Government cannot confer any rights so for as question of dispute between two parties is concerned. There is a dispute between the Ruler and the tenants and the Ruler claims his private property and the tenants say that they have got an agreement from the Dewan. So both of them can get their rights declared in a court of law. Government cannot give any decision in this.

श्री पी० के० चौधरी : It is not a question of one tenant, it has happened with hundreds of tenants there.

श्री दामोदरलाल व्यास : It may be even in thousand cases, but that does not alter the law. Every tenant has got a right to seek redress from a court of law and the Government in its executive capacity cannot sit in judgement over the rights of two parties.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that these kharinds which have been shown in the private property of the Maha Rawal, they were subject to the payment of assessment ? He can have khatedari rights according to the private property lease subject to the paymet of assessment and is it correct that he has not paid a single pie as assessment uptil this day ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not aware of it. But every Ruler has got to pay this assessment.

श्री पी० के० चौधरी : Since he has not paid any assessment, why the summ ary settlement has been made in the

(श्री पी. के. चौधरी)

name of Ruler instead of actual agriculturists ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Non-payment of assessment does not deprive a tenant of his rights. So far as settlement entries are concerned,they have made them on the basis of possession. Non-payment of rent will not deprive any party of his rights.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Why did not the Government go to court of law for realising of the rent from the Ruler ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Orders have aleady been issued to realise rent from all the Rulers and at some places it is being realised.I don't know about Jaisalmer.

श्री पी० के० चौधरी : If the settlement is made on the basis of actual possession, then may, I submit that the Gasht Girdawari is in the name of these tenants. Then how the Khatedari rights have been given to the Ruler ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, the possession can be that of a tenant, that of a sub-tenant, that of a licencee or lessee. Gasht Girdawari only writes the names of persons who are actually cultivating.

श्री पी० के० चौधरी : They have written 'khatedari tenants' not merely cultivating tenants. I have got a certified copy of the receipt issued to them where he has been shown as Khatedar tenant and after a fortnight or so in the summary settlement which was done...

श्री अध्यक्ष : The best course for these tenants would be to go in appeal against the order of the officer.

श्री पी० के० चौधरी : This is not the question of one tenant, but it has been done in hundreds of cases.

श्री दामोदरलाल व्यास : Law does not make any exception when 100 persons are affected or when one person affected. The law will remain the same in both cases.

श्री पी० के० चौधरी : The Government itself is violating the law. They have got the records showing them as khatedari tenants.

श्री अध्यक्ष : The Government is not violating the laws. The Assistant Settlement Officer and Settlement Officer, they are some sort of court under the law. They give their findings and the only course left open is to go to a court of law and the Government cannot give them any directions.

श्री पी० के० चौधरी : The Settlement is not done by any judicial officer. In May or June, 1957, orders

Page No 5

(श्री पी. के. चौधरी)

were issued by the Government to make summary settlement and then even upto 29th March, 1958, all these tenants have been issued receipts showing them as khatedari tenants. And then one fine morning they are denied of their rights.

श्री दामोदरलाल व्यास : Under the provisions of Land Revenue Act the Government jurisdiction has been completely excluded so far as settlement cases are concerned, and Government cannot make any interference. It is the Settlement Officer and the Board of Revenue who can decide these cases and I will request that proper guidance should be given to these tenants to approach competent courts for declaring their rights.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir. The question is that the settlement has not been done from the records but on the saying of the Maha Rawal, whereas the Government records and receipts with them show that they are khatedar tenants. Your Settlement Officer has acted nor according to rules, he has simply enquired form the Maha Rawal and shown him as khatedar. It is an executive action and now to ask the tenants to go to a court of law...

श्री अध्यक्ष : No, it is not an executive action. It has been taken under the Land Revenue Act and it is a quasi-judicial act for which an appeal lies under the law.

श्री पी. के. चौधरी : That si correct Sir, but when a large number of people are affected by mis-application of certain rules, is it not the duty of the Government to enquire and to see that the relief is given to the people ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I will have no objection if the Hon'ble. Member brings an amenment to amend the law. Actually, when that law was being discussed, some of the Hon'ble. Members vehemently argued that powers should not be given to the Government.

श्री महेन्द्रसिंह पांवर (अजरमे- पूर्व) : Sir, this is developing into a discussion.

श्री पी. के. चौधरी : It is an important matter in which so many persons are affected. According to rules half-an-hour discussion should be held.

श्री अध्यक्ष : That will be done, if necessary.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Were they dispossessed in 1958 ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not aware of the dispossession. So far as dispossession is concerned, the Government has not done anything and they have not been dispossessed. Only thing is about entries in summary settlement records.

श्री शंकरलाल (रायपुर) : यदि कोई

Page No 6

(श्री शंकरलाल)

सरकारी ऑफिस जानबूझ कर अपनी बदनीयती से किसानों को खातेदारी राइट्स हासिल करने से वंचित रखता है और जब यह ध्यान में आवे कि फलां सैटिलमेन्ट ऑफिसर ने जानबूझ कर ऐसा किया है तो ऐसे ऑफिसर के खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं लेना चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब कोई कॉम्पीटेन्ट कोर्ट यह व्यू लेता है कि जानबूझ कर नहीं किया है then the Government will definitely take departmental action.

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon'ble. Minister is in a position to state whether Khatedari slips were issued to the some tenants.

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री पी.के. चौधरी : Half-an-hour should be allowed for this, Sir.

श्री अध्यक्ष : Please move for it and I will consider.

Next question.

हरिजन छात्रों को छात्रवृति

१३७६. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि ५७–५८, व ५८–५६ में ५० प्रतिशत हरिजन बच्चों को वज़ीफा नहीं मिला है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है ?

(ग) क्या यह सही है कि आर्थिक स्थिति विकट होने व सरकार का पूर्ण सहयोग न मिलने की वज़ह से बहुत बड़ी तादाद में हरिजन शिक्षा से वंचित रहे हैं ?

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन सालों के रद्द फार्मों के रिकॉर्ड की जांच कराने व उन पर गौर करने को तैयार है ?

मन्त्री समाज कल्याण विभाव (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) सूची सदन की मेज़ पर रखदी गई है।

(ख) जांच कराने का प्रश्न नहीं है।

(ग) जी नहीं। जो प्रार्थना पत्र नियमानुसार पाये गये उन सबको छात्रवृत्तियां देदी गई हैं।

(घ) यदि ऐसे मामले सरकार के सामने लाये जायेंगे तो उन पर अवश्य गौर किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री गिरधारीलाल : सन् ५७-५८ और ५८-५६ में बजट में कितनी धन राशि हरिजन छात्रों के लिये रखी गई थी और जितनी दर्ख्वास्तें आई उनमें से कितनों को दी गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपका प्रश्न सुन नहीं सका, कृपा करके उसे दोहरा दीजिये।

श्री गिरधारीलाल : सन् ५७-५८ में बजट में कितनी धन राशी स्वीकार की गई थी ?

Page No 7

श्री अध्यक्ष : यह सूचना ५६-५७ तक की है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अलग अलग डिविज़नवाइज़ चाहिये क्या ?

श्री गिरधारीलाल : टोटल बता दीजिये, कितनी धन राशी रखी ५६-५७ में ५७-५८ में और ५८-५९ में।

श्री अध्यक्ष : ५६-५७, की लिस्ट में दर्ज है आगे की नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : मैं ५७-५८ और आगे की सूचना चाहता हूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : डिविज़नवाइज बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : वे यह जानना चाहते हैं कि कितनी स्वीकृत हुई और कितनी वितरित हुई। आप एक दो डिवीज़न की बता दीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जोधपुर डिवीजन में ५७-५८ और ५८-५९ में शत प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई। बीकानेर डिवीज़न में ४७९७ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए जिनमें से ४१७७ को छात्रवृत्तियां दी गई। वर्णन और भी है ५७-५८ में अनुसूचित जाति के छात्रों में से ११३० को छात्रवृत्तियां दी गई, १३७२ के प्रार्थनापत्र आये थे उनमें से २९२ खारिज हुए। ५८-५९ में प्रार्थनापत्र १६२४ आये थे जिनमें से १३५९ को दी गई। पिछड़ी जातियों की भी मेरे पास हैं लेकिन सबकी टोटल नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : मैं तो टोटल पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे पास आपकी लिस्ट नहीं है। क्या यह सही है कि ५७-५८ और ५८-५९ में हरिजन छात्रों में से ५० पर्सेन्ट तक को छात्रवृत्तियां नहीं मिली ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सिवाय भरतपुर के सब को ५० पर्सेन्ट से अधिक मिली है।

श्री गिरधारीलाल : यह आप किस आधार पर बता रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आंकडों के आधार पर बता रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल : तो टोटल बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि भरतपुर के अलावा ५० पर्सेन्ट से अधिक को मिली है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : भरतपुर ने आपका क्या नुकसान किया है जो वहां के छात्रों को कम मिली ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

जयपुर प्रोपर तथा देहात में ८० भर की बजाय ८६ भर का तोल

१३७७. श्री रामधन (दौसा) : क्या वाणिज्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि राजस्थान में इस समय ८० भर तोल से सारा कारोबार चलता है परन्तु जयपुर प्रोपर में

Page No 8

(श्री रामधन)

तथा देहातों के कस्बे में ८६ भर तोल से दूध लिया जाता है ?

(२) क्या इस विषय में उचित व्यवस्था की जा सकेगी ?

उप मन्त्री उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : राजस्थान में ८० भर का तोल ही वैध है और इसी तोल के अनुसार कारोबार चलता है। जयपुर में देहातों में ८६ भर तोल से दूध लिये जाने का पता नहीं है और अगर ऐसा है तो गैर कानूनी है।

(२) व्यवस्था मौजूद है और अगर कोई कानून की अवहेलना करता है तो दंड का भागी होगा।

श्री रामधन : जयपुर में देशी तोल से आज तक दूध लिया जाता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ८० भर से लिया जाना चाहिये यह मैंने निवेदन किया। यदि ८६ भर से लिया जाता है तो गैर कानूनी है।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं कि जयपुर में ८६ भर के तोल से दूध दिया जाता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेवेदन किया कि ८० भर से लेना चाहिये। यदि ८६ से लेते हैं तो गैर कानूनी है।

श्री रामकरणसिंह : इसलिये तो प्रश्न करके सूचना दी है। आम तौर से ८६ भर से लिया जा रहा है इसके लिये एडमिनिस्ट्रेटर को सूचना दें और जानकारी करें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या दूध नाप से नहीं लिया जाता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नाप से ही लिया जाता है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जयपुर में मेट्रिक वेट्स एंड मेजर्स कब से एनफोर्स कर रहे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसे एन्फोर्स कर दिया गया है। यह प्रावधान किया है कि जो अधिनियम लागू किया है वह १९५९ से लागू किया है। इसके अंतर्गत पहले के भी तोल चलेंगे कुछ समय के लिये और उसके बाद मैट्रिक सिस्टम ही चलेगा।

श्री पी० के० चौधरी : मैट्रिक सिस्टम लागू कर दिया तो ८० तोले, ८६ तोले की बात कहां आती है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं कहता हूँ कि आनी नहीं चाहिए। ऐसा है कि कुछ असें तक बराबर चलेगा। ऐसा प्रावधान है कि कुछ अर्से तक बराबर चलेगा, उसके बाद मैट्रिक सिस्टम आ जायगा।

श्री पी० के० चौधरी : आपने कहा कि ८० तोले की जगह ८६ तोले से लेते हैं, उस पर एक्शन लेना चाहिए ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह कब कहता हूं, यह कहता हूं कि ८० भर तोले तक

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

लेता है, वह वैध है, ठीक है, कोई ८६ भर तोले से लेता है तो वह गैर कानूनी है।

श्री पी० के० चौधरी : वैध कैसे होता है, दोनों अवैध हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसमें लिखा हुआ है कि जो तरीका है, वह कुछ अर्से तक चलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

राजस्थान में घासमारी की वसूली

१३७८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या घासमारी लगान वैधानिक है ?

(२) ज़िला जालोर में घासमारी टैक्स कितने कितने वर्षों का एक साथ वसूल किया जाता है ?

(३) क्या यह सही कि उक्त ज़िले में पशुओं की संख्या से कम भूमि गोचर होते हुए भी घासमारी वसूली के आदेश जारी किये गये ?

(४) क्या उक्त घासमारी वसूल करने के बाबत सरकार के पास रिप्रेजेन्टेशन आये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

उप मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) प्रति वर्ष।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां घासमारी वसूल किए जाने का निर्णय लिया गया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह वैधानिक है. कौनसे कानून के अन्तर्गत है ?

श्री सम्पतराम : इस सम्बन्ध का एक बिल २२-४-५६ को यहां स्वीकृत किया जा चुका है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत है, कौनसे कानून के अन्तर्गत है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : मारवाड़ के ग्रेजिंग रूल्स हैं, उसके अन्तर्गत है। अनऑकूपाइड गवर्नमेंट का का लैंड है, उस पर ग्रेजिंग फीस है। जहां जहां जिन तहसील और ज़िलों में इस प्रकार की ज़मीन है, उस पर ग्रेजिंग फीस ली जा रही है। अब कहीं इसे घासमारी कहते हैं, कहीं ग्रेजिंग चार्जेज़ कहते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : जहां पर अनऑक्युपाइड लैंड नहीं है, वहां घासमारी क्यों वसूल की जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य को किसी खास जगह के बारे में शिकायत हो कि अनऑक्युपाइड लैंड न हो और घासमारी वसूल की जाती हो, तो वहां हम तुरन्त बन्द कर देंगे। यह एलीगेशन आता है लेकिन किसी गांव का नाम, तहसील का नाम नहीं दिया, तो किसके ऊपर एक्शन लें।

श्री लक्ष्मीचन्द : सांचोर तहसील में रतनपुरा में....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप शिकायत दे दीजिये, एक दम बन्द कर दिया जायगा।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अभी आपने कहा कि मारवाड़ के रूल के माफिक होता है। दूसरा एक सवाल पूछा था तब आपने मेवाड़ के लिए बताया था। १० साल राजस्थान को बने हो गये, आप यूनीफाइड रूल्स क्यों नहीं बनाते?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी लैंड रेवेन्यू के तहत रूल्स नहीं बने हैं, इसलिए जो स्टेट्स के रूल्स थे, वे ही लागू हैं। अभी १५ रोज में ऑर्डर जारी हो जायगा, जो अन्ऑक्युपाइड लैंड है, उस पर जो घासमारी, ग्रेजिंग चार्जेज, नेचुरल प्रेड्यूस पर किसी तरह वसूली होगी, वह जारी होगी।

श्री पी. के. चौधरी : मेरा सवाल रेट ऑफ चार्जेज के बारे में है।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is a different matter altogether. माननीय सदस्य ने सवाल को समझा नहीं, ग्रेजिंग फीस दूसरी है, रेशनलाइजेशन ऑफ ग्रेजिंग फीस हो रहा है, वह दूसरी है that is in forest land. I am talking of Government un-occupied culturable waste land in villages. I am not talking of forest land.

प्रश्न संख्या १३७६

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

पंचायतों द्वारा आबादी भूमि निर्धारण की मांग

१३८०. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि स्टेशन धीरेरा, मलसीसर तथा अरजनसर पर आबादी हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उक्त स्थानों के लिये आबादी मुकर्रर नहीं की हुई है?

(२) क्या उपरोक्त स्थानों की ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी भूमि निर्धारित किये जाने हेतु मांग की जा चुकी है? अगर हां, तो सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की?

(३) क्या उपरोक्त स्थानों पर आबाद लोगों से सरकार कोई सालाना टैक्स वसूल कर रही है? अगर हां, तो कितना व किस कानून के अन्तर्गत है।

उप-मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (१) जी हां!

(२) उपरोक्त स्थानों की ग्राम पंचायतों में से सिर्फ स्टेशन अरजनसर पर आबादी भूमि छोड़ने हेतु ग्राम पंचायत शेरपुरा की तरफ से मांग की गई है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

(३) जी हां। १ रु० प्रति १०० वर्ग

(श्री सम्पतराम)

गज़ सालाना किराया तहसील द्वारा वसूल किया जा रहा है जिस नियम के अनुसार वसूली की जा रही है उसके विषय में तहकीकात की जा रही है ।

श्री भीमसेन : यह आबादी भूमि छोड़ने के बारे में काफी वर्षों से मांग की जा रही है, अभी तक एक्शन नहीं लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम : एक्शन लेने का प्रश्न नहीं है । जो ग्राम पंचायत ने मांग की है, उस पर जिलाधीश कार्यवाही कर रहे हैं । कोई भी आबादी का डिमार्केशन, जब तक कोई नियमानुसार कोट में नहीं जाता है, तब तक कोई आबादी जमीन डिमार्केट नहीं की जा सकती है ।

श्री भीमसेन : यह अरजनसर ने कब मांग की है तहसीलदार के पास ?

श्री सम्पतराम : इसकी निश्चित तारीख मेरे पास नहीं है । यह अरजनसर २३-८-५४ को रिज्यूम किया गया, उसके बाद ही दर्ख्वास्त दी होगी ।

श्री भीमसेन : वहां कई वर्ष से स्टेशन आबादी को डिमार्केट नहीं किया गया है । पंचायत द्वारा मांग की जा रही है कि आबादी को डिमार्केट किया जाय, लेकिन अब तक कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

श्री सम्पतराम : जिसके बारे में सूचना थी, उसके बारे में कह दिया । ग्राम पंचायत शेरपुरा की तरफ से मांग की गई है, इसके अलावा किसी की तरफ से माग नहीं की गई है ।

श्री भीमसेन : ग्राम मलसीसर की तरफ से मांग की गई है, मैंने खुद ने एप्लीकेशन दी है तहसीलदार के पास ।

श्री सम्पतराम : अगर माननीय सदस्य ने प्रार्थना पत्र दिया है, वह ग्राम पंचायत के द्वारा आना चाहिए । जब तक उसके जरिये नहीं आयेगा उसे रेग्युलर एप्लीकेशन नहीं माना जायगा ।

श्री भीमसेन : ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम पंचायत की एप्लीकेशन मैंने पेश की है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस चिट्ठी को लिखने का आप हवाला देते है, उसकी इन्क्वायरी करके डिमार्केशन करने की कार्यवाही की जायगी, देर नहीं लगाई जायगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

महारानी सुदर्शना गर्ल्स कॉलेज की अध्यापिकाओं का ग्रेड

१३८१. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) महारानी सुदर्शना गर्ल्स इन्टर कॉलेज, बीकानेर को डिग्री कॉलेज कब बनाया गया ?

(२) उक्त कॉलेज की कौन कौन प्राध्यापिकायें कब से डिग्री कॉलेज को पढ़ा रही हैं, तथा किन किन को क्या ग्रेड मिल रहा है ?

Page No 12

उप-मंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनम चन्द बिश्नोई) : (१) दिनांक २–७–१६५६ से।

(२) प्राध्यापिकाओं के नाम जो डिग्री क्लास को पढ़ा रही हैं तथा जिस तारीख से पढ़ा रही हैं और जिस ग्रेड में कार्य कर रही हैं, इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भीमसेन : जो डिग्री ग्रेड मिल रहा है, वह कब से दिया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ४–८–१६५८ से।

प्रश्न संख्या १३८२

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

भरतपुर जिले में समाज कल्याण केन्द्र

१३८३. डॉ०बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भरतपुर जिले में समाज कल्याण केन्द्र कहां कहां है ? सूची सदन में प्रस्तुत करें।

(२) क्या इन केन्द्रों में कोई धौलपुर उप जिले में स्थापित किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(३) धौलपुर उप जिले में अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधार हेतु क्या क्या कार्य सरकार की ओर से किये जा रहे हैं ?

मंत्री समाज कल्याण विभाग (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। समाज कल्याण योजना स्थापित करने के लिए निम्न सामान्य नियमों की पूर्ति जहां होती हो वहीं वे केन्द्र खोले जाते हैं :

१. वह क्षेत्र ग्रामीण और पिछड़ा हो तथा समाज कल्याण विषयक गतिविधियों की वहां आवश्यकता हो।

२. ग्रामीण जनता केन्द्रों के लिये स्थान आदि के रूप में आवश्यक सहयोग देने को तत्पर हो।

३. उस क्षेत्र में ५ ऐसे गांव हों जिनकी जन संख्या समीपवर्ती ग्रामों की जनसंख्या सहित २५००० हो अर्थात् प्रत्येक केन्द्र से लगभग ५००० जनसंख्या लाभावित हो सके।

४. उस क्षेत्र में योजना संचालन समिति के गठन के लिये उत्साही एवं समाज सेवी महानुभाव तथा महिलायें उपलब्ध हों।

(३) जो कार्य किये जा रहे हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : दूसरे भाग का जो उत्तर दिया आपने कि वह क्षेत्र ग्रामीण और

(डा० बहादुरसिंह)

पिछड़ा हो तथा समाज कल्याण विषयक गतिविधियों को वहां आवश्यकता हो। तो क्या इस प्रकार की जानकारी प्राप्त की गई है क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जहां से आवश्यकता पाई जाती है, आवश्यक पत्र आदि जहां से आते हैं, वहां जो नियम बताये हैं, इनके आधार पर छान बीन कर के निश्चित किया जाता है। सम्भव है मांग न की हो।

डॉ० बहादुरसिंह : अगर मांग नहीं हुई हो तो वहां इस प्रकार की कोशिश की गई कि समाज कल्याण केन्द्र खोला जाय ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : किसी की मांग पर कार्यवाही की जाती है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सरकार कह सकती है कि मांग नहीं आई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं यह मानता हूं कि क्योंकि कोई केन्द्र खोला नहीं गया तो मांग नहीं आई। यह भी हो सकता है कि मांग आई हो और वह शर्तों में पूरी न पड़ती हो।

श्री शोभानसिंह (बयाना) : जो नियम मंत्री जी ने बताये, उनमें से कितने नियम धौलपुर पर लागू नहीं होते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह सामग्री मेरे पास अभी नहीं है।

श्री शोभानसिंह : आपने जो क्राइटेरियाज़ बताये, उनमें से कौनसे क्राइटेरियाज़ धौलपुर में मौजूद नहीं हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : धौलपुर से मांग नहीं आई, इसलिए जांच करने का सवाल पैदा नहीं हुआ। वैसे अच्छा यह है कि अलग से प्रश्न पूछें।

श्री शोभानसिंह : अगर ये सब क्राइटेरियाज़ मौजूद हैं और मांग नहीं आई है तो क्या मांग आने पर उस पर गौर करके समाज कल्याण केन्द्र खोल देंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी, जरूर।

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह : धौलपुर के जिले में जन जाति और अनुसूचित जातियों के आर्थिक सुधार के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

हायर सेकन्डरी स्कूल सांचोर में भवन की कमी

१३८४. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) हायर सेकेन्डरी स्कूल सांचोर जिला जालोर की नवीं कक्षा में कितने छात्र पढ़ रहे हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि वहां भवन की कमी है और बच्चों को बैठक की पर्याप्त जगह नहीं है ?

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(३) क्या यह भी सत्य है कि वहां पर भवन की व्यवस्था न होने के कारण कॉमर्स व साइन्स क्लासें सन् ५८-५६ में नहीं खोली जा सकी हैं ? यदि हां, तो सरकार वहां भवन के लिये क्या व्यवस्था कर रही है और कब तक भवन बनने की आशा की जाती है ?

उप मंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनम चन्द बिश्नोई) (१) ३४ छात्र।

(२) जी हां, भवन की कुछ कमी अवश्य है परन्तु काम चलाने के लिये पर्याप्त है।

(३) जी नहीं, इस स्कूल में हियुमेनिटिज विषय ही चालू किये गये हैं और छात्र संख्या कम होने के कारण दूसरे विषय चालू नहीं किये जा सके हैं, भवन बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और चीफ इन्जीनियर से प्लान व एस्टीमेट मांगे गये हैं अगले सत्र तक भवन बनने की आशा की जाती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कॉमर्स क्लास के लिए छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कौनसी क्लास खोलने के लिये ?

श्री लक्ष्मीचन्द : कॉमर्स क्लास खोलने के लिये। आपने कहा कि छात्रों की संख्या पूरी नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कम से कम २० होनी चाहिए।

श्री लक्ष्मीचन्द : ३४ छात्र हैं, क्या कॉमर्स क्लास खोल दी जायगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं, तीन ग्रुप होते हैं, ३४ में से २० तो कॉमर्स में चले गये और बाकी साइन्स और ह्युमेनिटीज में चले गये। इनके लिए ३ टीचर रखें, २०० से ४०० की ग्रेड के, यह आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मनरूपराम।

पिछड़ी जाति के काश्तकारों के नाम ज़मीन की खातेदारी

१३८५. श्री मनरूपराम परिहार (खारची सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि देसूरी तहसील का गांव गज़नीपुरा की भूमि खसरा नं० ६, ५, ७, ८, ६, १०, ११, १२, १३, १४, १५ की खातेदारी देह पिछड़ी जाति के काश्तकारन के नाम की है ? यदि हां, तो किन किन की ? सूची सदन की मेज़ पर रखने कृपा करें।

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त काश्तकारान के नाम की विघोड़ी सरकार वसूल कर रही है परन्तु उन्हें ज़मीन पटवारी ने आज तक माफ नहीं कर दी है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उत्तर खसरों की भूमि श्री बहादुरसिंह रेवेन्यू इन्स्पेक्टर और पटवारी श्री सतारबख्श ने चौधरी नगा, राजू, मेगा, राई, लाला करना, लखमा, राईंग से मिल कर कब्ज़ा करा दिया

Page No 15

(श्री मनरूपराम परिहार)

है यदि हां, तो किस आधार पर और क्या सरकार ऐसे अफसर के प्रति जांच करायेगी ?

(घ) क्या यह भी सही है कि इन चौधरियान काश्तकारान के पास पहले से एक भूतावा नामक बेरा मौजूद है यदि हां, तो उसमें खातेदारी किस के नाम की है और कितने बीघा ज़मीन है ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (क) जी हां, सिर्फ खसरा नं० ६,१० व १२ ही पिछड़ी जाति के नाम पर खातेदारी में हैं । सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) खसरा नं० ५, ६, ७, ८, ११, ६, १३, १४ व १५ पर चौधरी नगा लाला, लखमा आदि का कब्ज़ा सम्वत् २०११ से है श्री बहादुरसिंह व सतारबख्स दोनों ही उस समय हल्के में नहीं थे । अत : इन कर्मचारियों द्वारा कब्ज़ा कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां, ज़मीन ४२ बीघा १६ बिस्वा है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मनरूपराम : पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है कि खसरा नं० ६, १० और १२ की ज़मीन पिछड़ी जाति के लोगों की ज़मीन थी तो क्या ऐसा नियम है कि पिछड़ी जाति के, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की ज़मीन हो तो कोई दूसरा नहीं ले सकता ?

श्री सम्पतराम : जहां तक इसके सेल करने का सवाल है यह रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि शिड्यूल्ड कास्ट का कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन बेचना चाहे तो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को ही बेच सकता है । लेकिन कोई खातेदार का सब टिनेन्ट बने तो इस पर कोई रोक नहीं है ।

श्री मनरूपराम : लेकिन वेकिन तो ठीक है पर जब नियम है तो उनकी ज़मीन दूसरों को जबरदस्ती कैसे दिलाई ?

श्री सम्पतराम जबरदस्ती कोई ले इसका नियम नहीं है, नियम इस बात के लिये है कि जबरदस्ती कर के यदि कोई ले लेता है तोउसको वापिस दिलाई जाय ।

श्री मनरूपराम : ६, १० और १२ की जमीन उनकी ही थी फिर आपने उत्तर में जी नहीं क्यों कहा ? उनसे जबरदस्ती ले कर दूसरों को दिला दी एस० डी० ओ० वाली के पास शिकायत की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई । रेवेन्यू दरोगा बहादुरसिंह, पटवारी सतारबख्श और अक्षय कुमार ने मिल कर ३०० रुपया किसानों से ले कर गरीबों से ज़मीन ले ली । एस० डी० ओ० के पास शिकायत की गई पर कोई न्याय नही हुआ ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें कोई कर्मचारी ने गलती की है तो हम एन्क्वायरी करेंगे पर स्पेसिफिक शिकायत माननीय सदस्य को करनी चाहिये । दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह कोई

Page No 16

(श्री सम्पतराम)

इल्लीगल चीज़ या इर्रेगुलेरेटी हुई है तो कोर्ट में जाना चाहिये ।

श्री मनरूपराम : ६, १०, १२ में उनकी खातेदारी हैं, उनके नाम की रसीदें कट रही हैं और आप कहते हैं कि जी नहीं ।

श्री सम्पतराम : ६, १०, १२, में मैंने उनकी खातेदारी मानी है ।

प्रश्न संख्या १३८६

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह केन ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामकरणसिंह ।

संस्कृत का विकास

१३८७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार संस्कृत के विकास के लिये संस्कृत पाठशाला नायण, में, खोरी, कोटपुतली, तिगरिया, बाडी, जोड़ी, हाथोज़ आदि को अपने संरक्षण में लेने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : ग्राम तिगरिया, बाड़ी जोड़ी, तथा हाथोज़ में कोई संस्कृत पाठशाला वर्तमान में नहीं चलती है अतः इन संस्थाओं के संरक्षण का प्रश्न नहीं उठता । ग्राम नायण, खोरी एवं मेड़ की संस्कृत पाठशालाओं को राजकीय संरक्षण में लेने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । कोटपूतली संस्कृत पाठशाला को राजकीय संरक्षण में देने का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

अध्यक्ष : श्री मनरूपराम ।

हाजीवास ज़िला पाली के जागीरदार द्वारा मुआवज़े के दावे

१३८८. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची-सु.): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के कृपा करेंगे :

(१) हाजीवास, ज़िला पाली के जागीरदार ने मुआवज़े के दावे में इमारती पट्टों, घासमारी व लूंग पापड़ी की कितनी आमदनी बताई ?

(२) क्या यह सही है कि इस प्रकार की आमदनी फर्जी बताई गई है ?

(३) क्या सरकार द्वारा इसकी जांच कर कार्यवाही की जावेगी ?

उप मंत्री राजस्व विभाग : (श्री सम्पतराम) : (१) हाजीवास के जागीरदार ने दावे में निम्न आय की मांग की है :

(क) इमारती पट्टों की आय २१२०॥)

(ख) घासमारी की आय २७१ रू० १ आ०

(ग) लूंग पापड़ी की आय ५७१॥।—

Page No 17

(श्री सम्पतराम)

(क) की आय बीस साल की है जिसकी औसत १०६) होती है।

(ख) व (ग) की तीन साल की है जिसकी औसत ६० रू० ५ आ० व १०६ रू० १० आ० होती है।

(२) जी नहीं।

(३) आवश्यक जांच की जावेगी और फर्ज़ी होने पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

श्री मनरूपराम : क्या कार्यवाही अब की जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास: कोई आदमी क्लेम करता है ती आॅर्डीनरी तफतीश होती है। अब यह एडिशनल शिकायत आई है तो और जांच की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : डाॅ० बहादुरसिंह।

धौलपुर के मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की योग्यता

१३६०. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) धौलपुर में कितने मिडिल स्कूल ऐसे हैं उसमें प्राधानाध्यापक निश्चित योग्यता से कम योग्यता के हैं ?

(ख) उक्त प्राधानाध्यापक के स्थान पर कब तक निश्चित योग्यता वाले व्यक्ति रखे जावेंगे ?

उप मंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) मिडिल स्कूल में प्राधानाध्यापकों की योग्यता निर्धारित की हुई नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

नहरी पीवल ज़मीनों का बारानी लगान वसूल करने के संबन्ध में

१३६०. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने उन ज़मीनों का चाही लगान माफ़ कर बारानी लगान वसूल करने के आदेश दिये हैं, जो कि बन्दोबस्त के बाद नहरी पीवल होने लगी हैं ?

(२) यदि हां, तो उक्त आदेश कब दिया गया ?

(३) सलूम्बर व सराड़ा तहसीलों में ऐसी कितनी भूमि है जिनका पैमायश के समय चाही लगान लगा हुआ था और बाद में वही भूमि नहर से सिंचित होनी लगी है ?

(४) क्या यह सच है कि प्रश्न के भाग ३ में वर्णित भूमि का चाही लगान उक्त आदेश के बावजूद भी वसूल किया जा रहा है ?

उप मंत्री राजस्व विभाग : (श्री सम्पतराम) : (१) नहरी लगान वसूल करने के आदेश दिये गये है।

(२) १८ मई सन् १६५८ को।

(३) तहसील सलूम्बर में १७६१ बीघा ६ बिस्वा व तहसील सराड़ा में २२६५ बीघा ८ बिस्वा, कुल ४०५६ बीघा १७ बिस्वा।

(४) जी हां। उपरोक्त तहसीलों में नहरी रेट कायम नहीं हुई थी जिनको कायम करने की कार्यवाही जारी है।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह सही है कि वहां नहरी रेट्स पहले से मौजूद थे क्योंकि वहां कई तालाब हैं जिनकी रेट्स हैं और उसी रेट से वसूल होती है?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : आदेश तो ऐसे जारी हो गये हैं, यह बता दिया न। अब जहां नहरी रेट्स होंगे वैसे वसूल कर लेंगे। चाही ज़मीन की रेट्स हैं उनको नहरी रेट्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिये कार्यवाही की जा रही हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : चाही ज़मीन पर चाही रेट्स की बजाय नहरी रेट्स की वसूली के आदेश हो गये हैं फिर भी चाही रेट्स ही वसूल किये जा रहे हैं तो इसके लिये क्या किया जायगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५८ से जब से कि आदेश हुए हैं नहरी रेट से वसूल किया जायगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो क्या कार्यवाही....

श्री दामोदरलाल व्यास : पालन नहीं हो रहा है यह कौन कह रहा है, असेसमेंट हो रहा है पालन कराने के लिये कार्यवाही हो रही है।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैंने निवेदन किया कि नहरी रेट्स वहां पहले से ही हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है आपके यहां है और दूसरी जगह नहीं हों। जिस एरिया में चाही ज़मीन है और नहरी पानी से सिंचाई होती है तो वहां नहरी रेट्स एप्लाई हो जायगी।

श्री सोहनलाल भटनागर : सेटलमेंट का टर्म खत्म होने से पहले चाही ज़मीन जिसमें नहरी पानी से सिंचाई शुरू हो गई है तो उस ज़मीन की चाही रेट्स को नहरी रेट्स में चेंज कर सकते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर के लिये चाही ज़मीन वालों को कन्सेशन दिया है कि नहरों से पानी ले लें, उनकी रेट्स कम कर दी जायेंगी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जब नहरी रेट्स तय हो जायेंगे तो चाही रेट्स और नहरी रेट्स बारानी रेट्स का डिफरेंस है, वहां उनको रिबेट दिया जायगा। जब असेसमेंट हो जायगा तो क्या डिफरेन्स देंगे?

Page No 19

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस तारीख से ऑर्डर हुआ है उसी तारीख से यह अमल में आयेगा ?

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : बारानी ज़मीन में किसान कुंआ खुदवा कर अपनी ज़मीन को उस कुंए के पानी से सींचता है, बारानी को चाही बनाता है तो क्या ३ साल तक उससे बारानी रेटस ही वसूल करने का नियम है ?

श्री अध्यक्ष : That is another question.

श्री तेजाराम गहलोत : बारानी ज़मीन में कुआं खोद कर उसे चाही बनाता है तो क्या तीन साल के अर्से तक उससे चाही का लगान नहीं लिया जाता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके ऊपर २० साल तक चाही रेट्स नहीं लगती हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

राजकीय हाई स्कूल चाकसू में टाइप राइटर की व्यवस्था

१३६१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजकीय हाई स्कूल चाकसू को सन् १६५७–५८ में एक हिन्दी का टाइप राइटर उप संचालक, जयपुर के कार्यालय से दिया गया था ?

(ख) यदि हां, तो उसे हाई स्कूल चाकसू में भिजवाया गया अथवा नहीं तथा स्कूल को टाइप राइटर दिये जाने की सूचना भी दी गई है अथवा नहीं ?

(ग) अगर टाइप राइटर अभी तक नहीं दिया गया तो कब तक दिये जाने की व्यवस्था की जावेगी ?

उप मन्त्री शिक्षा विभाग : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) टाइप राइटर स्कूल में भिजवा दिया है, सूचना नहीं दी थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनरूपराम परिहार (खारजी सु.): कब भेजा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : २१-४-५६ को।

एक माननीय सदस्य : सूचना क्यों नहीं दी ? देर से क्यों भेजा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : विभागीय मामलों के कारण। कॉमर्स क्लास थी नहीं और यहां कार्यालय में ज्यादा आवश्कता थी।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : ५७–५८ में ऑर्डर दिया था तो ५६ में क्यों भेजा गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि ऑफिस में ज्यादा आवश्यकता थी और वहां कॉमर्स का विषय नहीं था।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

Page No 20

सामुदायिक विकास सहकारी समिति आसिंद को भूमि का अलॉटमेंट

१३६२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर श्री जगदीश प्रसाद माथुर द्वारा पूछा गया) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सामुदायिक कृषि सहकारी समिति आसिंद को सरकार द्वारा भूमि अलॉट की गई है ? यदि हां, तो कौन कौन से गांव को कितनी कितनी भूमि कब और किस के द्वारा अलॉट की गई ?

(ख) क्या यह सही है कि इस समिति ने अलाटमेंट से अधिक भूमि पर अधिकार कर रखा है ? यदि हां तो क्यों और कब से ?

(ग) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग से इस समिति के पक्ष में कृषि विभाग को एक ट्रेक्टर के लिए १० हजार रुपये लोन दिये जाने के बारे में सिफारिश की थी ? यदि हां, तो कब ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (क) जी हां, सामुदायिक कृषि सहकारी समिति आसिंद को ३०० बीघा भूमि मौजा आमेसर में दिलाने का निर्णय दिनांक २०. ५. ५७. को भूमि वितरण कमेटी आसिंद ने कर अलॉट करने हेतु उच्च अधिकारी को सिफारिश की थी ।

(ख) जी हां, यह समिति की अनधिकृत चेष्टा थी, समिति का जायद जमीन पर कब्जा दिनांक १८.६.५८ के पहले से होना पाया जाता है ।

(ग) जी हां, कृषि विभाग राजस्थान जयपुर को ट्रेक्टर लोन हेतु जिलाधीश भीलवाड़ा द्वारा दिनांक २ जुलाई सन् १९५७ को सिफारिश की गई थी ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : यह अधिक जमीन बताई गई कि समिति के पास है उसे जमीन को वापिस री-क्लेम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री सम्पतराम : अभी इस जमीन के सम्बन्ध में कलेक्टर और कमिश्नर के बीच में कागजात चल रहे हैं । इर्रिगेटेड लैंड को अलाट करने का उस कमेटी को अधिकार नहीं था, सरकार ही कर सकती है । कमिश्नर की रिपोर्ट आने पर फाइनली गवर्नमेंट तय करेगी कि यह जमीन उनके पास रहनी चाहिए कि नहीं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह किस कानून के मुताबिक आपने रिकमन्ड किया है कि ट्रेक्टर के लिये लोन दिया जावे ।

श्री सम्पतराम : जो आम कायदा कानून है ।

श्री श्रीभानसिंह : ऐसे कौनसे कानून है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए ट्रेक्टर लोन के लिए बाध्य करती है ?

श्री सम्पतराम : कायदे कानून सभी के लिये एक से हैं । उनको जमीन एलॉट हुई थी इसलिए कलेक्टर ने सिफारिश कर दी ।

श्री श्रीभानसिंह : कलेक्टर ने जब सिफारिश की तो कलेक्टर कायदे कानून से

Page No 21

(श्री श्रीभानसिंह)

चाकित्र था उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्यों रिकन्मड किया ?

मंत्री, राजस्व (श्री दामोदरलाल व्यास): कलेक्टर तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी कर सकता है और दूसरे डिपार्टमेंट में भी कर सकता है जैसे सोशियल वेल फेअर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट कहीं भी कर सकता है। उन्होंने एप्लाई कलेक्टर को किया और कलेक्टर ने रिकमन्ड किया।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह एक ऐसा केस है जिसमें लोन के लिये रेवेन्यू विभाग में रिकमन्ड किया गया।

श्री सम्पतराम : इसके लिये प्रोसीजर यह है कि तहसील में पेश होती है और वहां से तहसीलदार से कलेक्टर के पास आती है और तहसीलदार लोन के लिए रिकमन्ड करता है कि इनको लोन दे दिया जावे। पहले ट्रेक्टर का लोन गवर्नमेंट देती थी बाद में डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को यह दिया गया।

श्री श्रीभानसिंह : किस स्टेज पर ट्रेक्टर के लिये लोन लिया जाता है ? किस स्टेज पर किस नियम के अन्डर में कलेक्टर के पास जाती है और....

श्री दामोदरलाल व्यास : तकावी के लिये रूल्स बने हुए हैं। कलेक्टर की रिकमन्डेशन के बिना किसी को लोन नहीं मिलता है। उसकी सिफारिश के बिना न डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर विभाग देगा न रेवेन्यू विभाग देगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : जिस समय ट्रेक्टर के लोन के लिये दर्ख्वास्त दी उस समय क्या जमीन उनके पास नहीं थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका प्रश्न उठ चुका है और उसका जवाब भी दिया जा चुका है। तहसील अलॉटमेंट कमेटी ने जमीन अलॉट कर दी जिसको देने का अधिकार नहीं था उसको दे दी। कलेक्टर ने कलेक्टिव फार्मिंग को एन्करेजमेंट देने के लिये ने सिफारिश की।

श्री मदनसिंह : एन्करेजमेंट का शब्द तो अब जोड़ा गया है। पहले सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि जमीन गलत एलॉट की गई है। ट्रेक्टर के रुपये भी गलत ढंग से ले लिये गये। उस समय आपने इसके साथ यह भी फरमाया था कि मैं तफतीस करूंगा और जमीन को वापिस देने की बात होगी तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कब की बात कह रहे हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : यह प्रश्न तो कम से कम दो महीने पहले पूछा गया था।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): इसी सेशन में आपने जवाब दिया था कि अलॉटमेंट गलत था और आपने कहा कि इसकी जांच की जावेगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जावेगा जिन्होंने गलती की है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इस वक्त भी यही कह रहा हूं कि एलॉटमेंट गलत था। मैंने उस समय भी यही कहा था कि उस

Page No 22

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कमेटी को अधिकार नहीं था और अब भी यही कहता हूं। मगर यह रेग्युलेराइजेशन के लिये अभी तक कागज गवर्नमेंट के पास आये नहीं हैं। गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी वह तो कागजात आने पर मालूम होगा। आपने जो ऐतराज किया है कि पहले कुछ कहा और अब दूसरी बात कहते हैं यह बात नहीं है, वही बात मैं आज भी कह रहा हूं।

श्री पी. के. चौधरी : यह अलॉटमेंट कब हुआ ?

श्री सम्पतराम : २०-५-५७ को किया गया था।

श्री पी० के० चौधरी : लोन कब दिया गया ?

श्री सम्पतराम : इसकी तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : ट्रेक्टर के लोन के लिये कलेक्टर ने रिकमन्ड किया, वह जमीन अलॉट करने के पहले किया या बाद में ?

श्री सम्पतराम : ज़मीन अलॉटमेंट के बाद में।

श्री पी० के० चौधरी : क्या अलॉटमेंट के बाद में कलेक्टर ने रिकमन्ड करते समय यह नहीं देखा और वेरीफाई नहीं किया कि यह अलॉटमेंट गलत तरीके से हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि अलॉटमेंट के गलत का प्रश्न कलेक्टर के पास नहीं था। यह तो कमेटी को ऐसा अलॉटमेंट नहीं करना चाहिये था। जब उनके पास कलेक्टर की अर्जी आई तो उन्होंने उसको रिकमन्ड कर दिया।

श्री पी० के० चौधरी : जब कलेक्टर ने उस केस को रिकमन्ड किया तो क्या उसको मालूम नहीं हुआ था कि यह अलॉटमेंट गलत हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर को कब मालूम हुआ था....He says that he took steps to recover it.

श्री पी० के० चौधरी : The Collector, when the things came to his notice, is supposed to know that the Tehsil Advisory Committee is not competent and he should not have recommended the loan.

श्री अध्यक्ष : But he wanted to regularise the whole thing.

श्री पी० के० चौधरी : But that is wrong. They do wrong things and then the Hon'ble Minister is going to regularise the things.

श्री मदनसिंह : रकम ट्रेक्टर आने के बाद में दी गई या ट्रेक्टर आने के पहले दी गई ? ट्रेक्टर कब आया ?

श्री अध्यक्ष : All sins are excusable in the name of co-operatives.

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत घोटाला है। माननीय मन्त्री अच्छी तरह से जानते हैं।

Page No 23

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय मन्त्री कुछ नहीं जानते हैं। कोई घोटाले नहीं हैं। जमीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एलॉट हुई। तहसील अलॉटमेंट कमेटी को अलॉट करने का अधिकार नहीं था। उसकी जांच हो रही है कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहन देने के लिये।

श्री मदनसिंह : जांच क्या हो रही है ? आपने लॉ बनाया हुआ है कि फ्रोड से ज़मीन लेगा उसको सज़ा दी जावेगी। वे आपके सारे कानून उड़ गये !

श्री अध्यक्ष : Next.

कोटा जिले में अफीम का अवैध व्यापार

१३६३. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने कोटा जिले में अफीम के अवैध व्यापार को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

(ख) १६५६:५७, ५७:५८, ५८:५६ में कितनी कितनी मात्रा में अवैध अफीम पकड़ी गई, कितने मुकदमें दायर किये गये, कितने अपराधियों को सजायें हुई व कितने बरी हुए ?

श्री सम्पतराम : (क) अधिकारी निरीक्षकों व प्रिवेन्टिव फोर्स के अधिकारियों को अवैध व्यापारियों की निगरानी पर अधिक ध्यान देने की हिदायत दे दी गई है व जिन पर अफीम के कास्त के मुकदमें चल रहे हैं उन्हें दुबारा खेती के लाइसेन्स नहीं मिले हैं।

(ख) तालिका संलग्न है। मैं इसको पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : लम्बी है। रहने दीजिये। टेबल पर रख दीजिये।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

हटुन्डी बालिका विद्यालय को सरकारी सहायता

१३६४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर श्री जगदीशप्रसाद माथुर द्वारा पूछा गया): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार ने गत पांच वर्षों में किस किस तारीख को कितनी कितनी सहायता (Grant in-aid) हटुन्डी बालिका विद्यालय तथा उसके अन्तर्गत चलनेवाले अन्य विभागों को दी है ?

(२) यह ग्रान्ट–इन–एड किस आधार पर दी गई है ?

(३) क्या इस विद्यालय तथा इसके अन्तर्गत चलनेवाले विभागों के अकाउन्ट्स का ऑडिट हुआ है ? यदि हां, तो किस किस वर्ष के अकाउन्ट्स का ऑडिट कब हुआ था और उसकी ऑडिट रिपोर्ट सरकार के सामने कब कब पेश की गई ?

उप मंत्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचंद बिश्नाई): (१) गत पांच वर्षों में निम्नलिखित सहायता निम्नलिखित तारीखों को हटुन्डी बालिका विद्यालय तथा उसके अतंर्गत चलनेवाले विभागों को दी :

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

महिला शिक्षा सदन, हाई स्कूल, हदुन्डी

साल	आवर्तक	तारीख	अनावर्तक	तारीख
५४ : ५५	२२,६३८	उपलब्ध नहीं है	३,०००	२५ मार्च को
५५ : ५६	२०,८८२	,,	१७,०००	३१.३.५६
५६:५७	२५,०२७	११आ. अलग २ तारीखों को दी गई है	४८,८२५	१८.३.५७ को ।
५७ : ५८	२६,८४०	,,	कुछ नहीं	....
५८ : ५६	२१,८०७	,,	,,	....

प्राइमरी स्कूल, हदुन्डी

५४ : ५५	४,६३२	तारीख उपलब्ध नहीं है ।
५५ : ५६	४,०५६	,,
५६ : ५७	७,२७७	अलग २ तारीखों में जो सूची में अंकित है ।
५७ : ५८	५,०२४	,,
५८ : ५६	५,२८८	,,

अजमेर सरकार ३० जून, ५५ तक तिमाही अनुदान देती रही । इसके पश्चात् हर महीने बिल पास होने के पश्चात् माहवारी अनुदान देती रही । राजस्थान में विलीन होने के पश्चात् पिछले साल के खर्चे पर मासिक अनुदान दिया जा रहा है ।

(२) आवर्तक अनुदान स्वीकृत खर्च की आय निकलने के पश्चात् ६० प्रतिशत दिया जाता है । अनावर्तक पाठशाला भवन फर्नीचर, बस व वाचनालय इत्यादि के लिये आवश्यकतानुसार दी जाती है ।

साल	ऑडिट हुआ	रिपोर्ट पेश की गई ।
५४ : ५५	३.७.५५ को चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा ।	जुलाई, ५५ को ।
	२१.६.५५ को ए. जी. सी.-आर., नई दिल्ली द्वारा ।	१६.११.५५ को ।
	२४.६.५५ को ए. जी., राजस्थान द्वारा ।	जुलाई, ५६ को ।
५५ : ५६	२६.५.५६ को चार्टर्ड अकाउन्ट्स द्वारा ।	अगस्त, ५६ को ।
	२६.५.५६ को ए. जी. सी.-आर., नई दिल्ली ३१.५.५६. तक व ए. जी. राजस्थान द्वारा ।	जुलाई, ५६ को ।
५६ : ५७	२७.६.५७ को चार्टर्ड अकाउन्ट्स द्वारा ।	सितम्बर, ५७ को ।
	२.६.५७ से ११.६.५७ तक ए. जी., राजस्थान द्वारा ।	२१.१.५८ को ।
५७ : ५८	२४.७.५८ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा ।	अगस्त, ५८ को ।
	१३.८.५८ से २२.८.५८ तक ए. जी., राजस्थान द्वारा ।	१६ सितम्बर, ५८ को ।
५८ : ५६	अभी नहीं हुआ है ।	

Page No 25

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : जरा जोर से बोलें ताकि मैं सुन सकूं ।

श्री जगदीशप्रसाद मथुर : विद्यार्थी कितने हैं ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : इसमें इसकी सूचना पूछी नही है । हिसाब और ग्रान्ट-इन-एड के बारे में ही पूछा है वही दिया है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो फिर वैरीफाई कैसे किया कि इतना खर्चा जो प्रतिवर्ष दे रहे हैं वह वास्तव में खर्च होता है या नहीं ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : बराबर होता है और जैसा निवेदन किया कि तीन एजेन्सीज से हिसाब की जांच कराई जाती है और एप्रूव्ड एक्सपेन्डीचर पर ही ग्रान्ट इन एड दी जाती है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हजारों रुपया प्रतिवर्ष देते हैं, स्टाफ और विद्यार्थी हैं उतने या नहीं ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : बराबर हैं । जितने होने चाहिये उसके लिए नियम बने हुए हैं । सब अकाउन्टस को चैक करके जो आइटम्स एप्रूव्ड हैं उन्हीं पर ग्रान्ड-इन-एड दी जाती है ।

श्री रामकरणसिंह : स्टुडेन्ट्स की स्ट्रेन्थ पर या टीचर्स की क्वालिफिकेशन पर ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, कैसा फर्नीचर चाहिए, बिल्डिंग चाहिये, कौन से विषय चल रहे हैं वह अलग अलग इन्स्टिट्युशन की हालत को देख कर उस पर ग्रान्ट-इन-एड देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम ।

बीकानेर ग्लॉस फैक्टरी को पुनः चलाना

१३६५ श्री रूपाराम (नोखा-सु०) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार बीकानेर ग्लास फैक्टरी को जो बन्द हो चुकी है किसी दूसरी पार्टी को चालू करने को देने का विचार रखती है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार बजरी व गिलासेज बाहर भेजने की इजाजत देने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, उद्योग विभाग (श्री रिखबचंद धारीवाल) : (क) यह फैक्ट्री एक अर्से से बन्द है। सरकार द्वारा दूसरी पार्टी को चालू करने देने का सवाल पैदा नहीं होता है ।

(ख) बजरी व ग्लास सैंड को बाहर भेजे जाने पर कोई रोक नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : ग्लास फैक्टरी क्या इसलिए दूसरों को देने का सवाल पैदा नहीं होता कि उसके मालिक दूसरे हैं । सरकार ने बहुत सा कर्ज दे रखा है इसलिए सरकार अपने कब्जे में लेकर क्यों नहीं इसको चलवाती ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके लिए निवेदन है कि यह मालिकों में डिस्ट्रि-

Page No 26

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

ब्युटेड है और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार का इस पर कर्जा भी है। चलाने का प्रबन्ध तो जो मालिक हैं वे ही कर सकते हैं जब कि उसको इन्डस्ट्रियल एक्ट के अन्तर्गत सरकार द्वारा न ले ली जाय और यह कोई बड़ी फैक्टरी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : राज्य सरकार ने वापिस कर्जा वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पी० डी० आर० में चालू है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या चालू है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो कार्यवाही होती है वह चालू है।

श्री मुरलीधर व्यास : चालू है तो किस पार्टी के ज़रिये वसूल करने को सरकार कोशिश कर रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : फैक्टरी को लोन दिया गया है उसकी वसूली की कार्यवाही चालू है। जो असेट्स वगैरा हैं उनसे वसूल किया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार ने कभी इस बात का ख्याल लगाया है कि फैक्टरी का सारा माल गायब हो गया है कोई चीज़ नहीं रही है जो है फैक्टरी नष्ट हो रही है ? सरकार कर्जा वसूल करने के लिए कौनसा सक्रिय कदम उठा रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पी. डी. आर. के तहत में नोटिसेज़ जारी हो चुके हैं। सर्टिफिकेट पेश हो गया है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उनको सुन कर तय कर दिया जायगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : कब से तो कर्जा बाकी है और कब से पी. डी. आर के अन्तर्गत कार्यवाही चालू है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : यह सवाल नहीं पूछा गया कि कब से बकाया है।

श्री भीमसेन : पी. डी. आर. में कब से वसूली की कार्यवाही चल रही है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले भी इस सम्बन्ध में पूछा गया है, अध्यक्ष महोदय। फैक्टरी का सारा रुपया व्यर्थ जा रहा है। यह कहा गया कि रिकवरी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : रुपयों के बारे में प्रश्न नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरी पार्टी को देकर क्यों नहीं इसको चालू किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार उस पर कब्जा नहीं कर सकती है। अन्य लोगों का भी कर्जा होगा। उनसे लेकर दूसरों को दे दें यह सरकार कर रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : ८० हजार की जगह ५ हज़ार की भी चीज़ नहीं रही है।

श्री भीमसेन : प्रोपर्टी को तो अटेच कर सकते हैं। माल लोग ले जा रहे हैं।

Page No 27

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पी. डी. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही चालू है और उनके ऑब्जेक्शन सुनने के बाद फैसला होगा। अटेचमेन्ट भी तो बाद में कर सकते हैं। जो प्रोसिजर मौजूद है उससे भिन्न प्रकार की कार्यवाही कैसे कर सकते हैं ?

प्रश्न संख्या १३६६

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

चित्तौड़गढ़ ज़िले में इन्टरमीडियेट कॉलेज

१३६७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : (१) चित्तौड़गढ़ ज़िले में कितने इन्टरमिडियेट कॉलेज हैं ?

(२) निम्बाहेड़ा कस्बा की जनसंख्या कितनी है ?

(३) क्या सरकार निम्बाहेड़ा सब-डिविजन क्षेत्र के लिये स्थानीय हाई स्कूल को इन्टरमिडियेट कॉलेज के रूप में परिवर्तित करने का इरादा रखती है ?

(४) यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (१) एक भी नहीं है।

(२) १९५१ की जनगणना के अनुसार १०,५८५ है।

(३) सरकार की नीति अब इन्टरमिडियेट कॉलेज खोलने की नहीं है। इन्टर-कॉलेज को भी. डिग्री कॉलेज या उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित करने की योजना है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : चित्तौड़गढ़ ज़िले में एक भी इन्टरमिडिट कॉलेज नहीं है। क्या कभी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि जिले में एक ऐसा कॉलेज हो ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : चित्तौड़ ही नहीं किन्तु राजस्थान में कई ऐसे जिले हैं जहां कॉलेज नहीं हैं। सरकार की तो इच्छा हो सकती है लेकिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार इस स्थिति में नहीं है कि हर जिले में कॉलेज खोल सके।

श्री मुरलीधर व्यास : कौनसा ऐसा इलाका है जहां जहां नहीं खोले गये हैं ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : बाड़मेर जिला है। जहां की जनसंख्या ४५ हज़ार है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो सारे चित्तौड़ जिले के बारे में कह रहा हूं। सारे जिले में कितनी आबादी है ? ऐसी आबादी के कितने जिले हैं जहां एक भी कॉलेज नहीं है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): सवाई माधोपुर जिला भी है जहां डिग्री कॉलेज नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि इस वक्त वहां ऐसी व्यवस्था हो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सकती है जहां कि मकान की व्यवस्था हो सके।

दूसरा पाली जिला भी है, जहां डिग्री कॉलेज नहीं है। धीरे २ कई जगहों पर आवश्यकताअनुसार किया जा सकता है। चित्तौड़गढ के विद्यार्थी भीलवाड़ा जा सकते हैं। अर्थ की व्यवस्था होगी और आवश्यकता होगी तो विचार किया जावेगा।

प्रश्न संख्या १३६८

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणियां।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल।

राजस्थान कॉलेज का वार्षिकोत्सव

१३६९. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान कॉलेज, जयपुर में वार्षिकोत्सव मनाया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इन वार्षिकोत्सवों पर कितना खर्च हुआ तथा यह खर्च किस मद में से दिया गया है ?

उप-मन्त्री शिक्षा, विभाग (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) गत दो वर्षों में २,२४६ रु० खर्च हुए। जो विद्यार्थी फन्ड तथा सरकार की तरफ से दिया गया।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या यह बात सही है कि पिछली साल इन्हीं विद्यार्थियों से दसरुपया कलेक्ट किया गया था ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : दस रुपया शायद किया है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह बात सही है कि मुख्यमन्त्री ने पिछली साल प्रेसाइड किया था और छात्र लोग यह रिप्रेजेन्टेशन लेकर आये थे कि युनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन के लिये उनके एप्लीकेशन फार्म हैल्ड-अप कर लिये थे ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : वह शायद राजस्थान कॉलेज के बारे में नहीं था मुगालता हो रहा है महाराजा कॉलेज होस्टल के बारे में था।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : महाराजा कॉलेज के बारे में यह घटना सत्य है जैसा कि फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : महाराजा कॉलेज के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था हुई थी, उसके बारे में शिकायत आई, उसकी जांच हुई उसमें ऐसा ज्ञात हुआ कि होस्टल यूनियन ने और विद्यार्थियों ने मिल कर यह तय किया था कि हमें इतना कॉन्स्ट्रिब्यूट करना है।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी तो आपने कहा इस प्रकार से महाराजा कॉलेज में हुआ उनकी शिकायत सिर्फ जानकारी के बारे में है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस

Page No 29

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सम्बन्ध में जानकारी करने से यह मालूम पड़ा कि इस प्रकार के कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए छात्र यूनियन ने ही तय किया था। मैंने जैसा कि निवेदन किया यह महाराजा कॉलेज होस्टल के बारे में था। शिकायत आने पर जांच की गई, मालूम हुआ कि वहां की यूनियन ने यह तय किया था। उसके अन्दर दबाव जैसी कोई बात नहीं थी। एक्ज़ामिनेशन में बैठने से किसी को रोका नहीं गया।

श्री गिरधारीलाल : २,२४६ रुपया जो व्यय हुआ उसमें गवर्नन्ट की ओर से कितनी सहायता दी गई ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : पिछली साल में सरकार की ओर से ५०० और इस साल में १,३४१ रुपया दिया गया।

तहसील दौसा में अग्नि से भस्म गांवों को सहायता

१४००. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : (१) सन् १९५८ में तहसील दौसा में कितने ग्राम अग्नि से भस्म हुये। सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त ग्रामों में कितना नुकसान हुआ तथा उनको कितनी कितनी मदद सरकार ने दी ?

उप मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : सन् १९५८ में दौसा में १७ गांवों में अग्निकांड हुए। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(२) इन ग्रामों में ४६,०९७) रु० का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। जिनमें अभी तक सरकार की ओर से १,६९९ रु० १५ आ० ३ पाई की सहायता दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री रामधन : जिन गांवों को अब तक सहायता नहीं दी गई उनको कब तक सहायता दे दी जायगी ?

श्री संपतराम : यह कोई जरूरी नहीं कि सब केसेज में ही रिलीफ दिया जाय। देना वाजिब होता है, जिन जिन को ठीक समझा गया उनको सहायता दे दी गई। कुछ केसेज जिला बोर्ड और क्लेक्टरेट में पेन्डिंग हैं।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : जिन गांवों को सहायता नहीं दी गई क्या उनके लिये यह तय कर लिया गया है कि उन गांवों को सहायता देना जरूरी नहीं है ?

श्री संपतराम : जहां तक रिलीफ देने का सवाल है वह कम्पलसरी नहीं कि सभी को दिया जाय। मान लीजिये कोई आदमी धनवान है, उसके १००) रुपये का नुकसान हुआ तो सरकार उसको कभी रिलीफ नहीं देगी। जो आदमी बिल्कुल बरबाद हो गये हैं जिनके पास खाने पीने और रहने के साधन नहीं हैं उनको रिलीफ देने का प्रोविज़न है। उसके लिए नोमीनल बजट होता है। आवश्यकता के मुताबिक दिया जाता है।

श्री रामकरणसिंह : गांवों में बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें काफी नुकसान हुआ है। जिनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है उन्हीं को मदद देने के लिए अर्ज किया गया है।

Page No 30

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): फायर से जहां कहीं भी नुकसान होता है उसमें रिलीफ दिया जाता है। यह एक प्रकार से इमरजेन्सी रिलीफ है, इमीजियेटली देने का है। जो राहत लेना नहीं चाहते जिनकी फाइनेन्सियल कन्डिशन अच्छी होती है उनका काफी नुकसान होता है तो भी उनको रिलीफ नहीं दिया जाता। इमीजियेटली रिलीफ उन्हीं हालतों में मिलता है जिनके पास खाने पीने के लिये नहीं, मकान वगैरह रहने के लिये नहीं। उनके मकान आदि बनाने के लिये इन्तजाम कर देते हैं। It is not Compulsion. It is emergency relief आदमी की हैसियत और जरूरत को देखते हुए यह रिलीफ दिया जाता है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं यह निवेदन करूंगा इस प्रकार का प्रश्न कई दफा असेम्बली में आ चुका है यह देखा जाता है तहसील वगैरह से जो जानकारी आती है वह सही नहीं होती और उसी आधार पर उस को देखा जाता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस बारे में और इन्क्वायरी की जाय। इसमें ऐसा होता है कि गरीब लोग जो होते हैं वे नेगलेक्ट होते हैं। मुझे भी पांच, दस ऐसे केसेज़ का पता है जिनको वास्तव में बहुत नुकसान हुआ किन्तु सरकार की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई क्योंकि सरकार तो तहसीलदार की रिपोर्ट के माफिक देख लेती है उसमें यह कहा जाता है कि तुम्हारे जैसा नुकसान होना चाहिये था वैसा नहीं हुआ है इसलिये रिलीफ पाने के अधिकारी नहीं हो। बराबर सदन के समक्ष ऐसे केसेज आते हैं उसमें सरकारी तौर पर जांच करके कह दिया जाता है नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो मैं अर्ज कर चुका। आग लगने की इत्तिला जब आती है वहां रेवेन्यू ऑफिसर जाता है और उस नुकसान को असेस करता है। रेवेन्यू आफिसर गलती से या जानबूझकर इन्क्वायरी नहीं करता, उसके कारण राहत नहीं मिलती यह जो आपका कहना है आप ऐसे केसेज़ मेरे ध्यान में लायेंगे तो आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। आमतौर पर यह तथ्य है कि गवर्नमेन्ट किसी को ऐसे नुकसान पर कम्पनसेशन नहीं देते we only......

श्री मदनसिंह : मुश्किल तो यह है कि बेचारे किसान का पूरा अनाज जल जाता है उसको अन्दाज नहीं रहता कि कितना अनाज था इसलिये मेरा निवेदन यह था कि ऐसे मामलों में कुछ न कुछ होना चाहिये। गरीबों को न तो तरीका मालूम होता है कितना कपड़ा जला कितना नुकसान हुआ। पांच, दस केसेज़ मेरे सामने हैं मैं आपके बंगले भेज दूंगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : माननीय मंत्री महोदय हाइयेस्ट ऑथोरिटी हैं उनको प्रिविलेजेज हैं जहां तक हो सके वे मदद दें। ढाणी बोराज में जबरदस्त आग लग गई थी लेकिन उसके लिये कुछ भी बन्दोबस्त नहीं हुआ।

प्रश्न संख्या १४०१

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

(अनुपस्थित)

श्री रावराजा सरदारसिंह जी।

Page No 31

ठिकाना उनियारा के पेन्शन पाने वाले कर्मचारियों की पेन्शन से नेशनल सेविंग्ज लोन की कटौती

१४०२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा, डॉ बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ठिकाना उनियारा के पेन्शन पानेवालों से जब उनकी शुरू में पेन्शन मिली तब नेशनल सेविंग्ज़ बान्ड के लिये उनकी स्वीकृति के बगैर ही रकम काट ली गई ?

(ख) अगर हां, तो किन किन को कितनी कितनी और किन आधारों पर ?

उप मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) जी नहीं केवल दो पेन्शनर्स ने अपनी इच्छा से सर्टिफिकेट खरीदे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह ।

भरतपुर जिले में महिला सदन

श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना-सु-डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भरतपुर जिले में महिला सदन कहां कहां खोले गये हैं ?

(२) इन महिला सदनों में कितनी कितनी महिलाएं किस किस माह में रही ? जब से सदन स्थापित हुये माहवार सूची सदन में प्रस्तुत करें ।

(३) उक्त सदनों में वार्षिक व्यय क्या रहा है ?

(४) उक्त सदनों में रहनेवाली महिलाओं में अनुसूचित जातियों की तथा अन्य जातियों की महिलाओं की संख्या अलग अलग क्या है तथा सदन में रहने के बाद उनको कहां कहां भेजा गया ? सूची विवरण सहित प्रस्तुत करें ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) भरतपुर जिले में महिला सदन नहीं धौलपुर में एक आश्रय-गृह है ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) उक्त आश्रय गृह में सन् १६५७-५८ में ६,२६७) रु. व्यय हुये ।

(४) आश्रय-गृह के सम्बन्ध में वांछित सामग्री सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये) ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि आश्रय गृह में जिन महिलाओं को रखा गया उन पर ढाई सौ रुपया प्रतिमाह व्यय आया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हो सकता है थोड़ी आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं आश्रय-गृह हैं वे उन महिलाओं के लिये हैं जिन महिलाओं को अनैतिक व्यापार से छुड़ा कर लाया हो । वहां पर टेम्परेरी तौर पर रखा जाता है वहां तीन महिने से ज्यादा नहीं रखा जाता । केस

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

वगैरह समाप्त होने पर या तो उनको वापिस उनके घर भिजवा दिया जाता है या महिला-सदनों में भेज दिया जाता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : महिला सदन और आश्रय-गृह में क्या अन्तर है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आश्रय—गृह वे हैं जहां सिर्फ तीन महिनों के लिये रखा जाता है अदालत का फैसला न हो जाय तब तक। उसके बाद उनको सदन में रखा जाता है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जून १६५८ के अन्दर दो महिलाओं का आना बतलाया गया हैं उनका डिसचार्ज का बताया गया है उसमें लिखा है वन रिलीज्ड विथ हर ब्रदर एंड वन रिलीज्ड विथ हर....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो जानकारी मांगी गई थी वह दे दी गई हैं।

श्री श्रीभानसिंह : जानकारी यह मांगी गई रिलीज़ किसके साथ किया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ब्रदर ही समझना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह : कैसे समझ लिया जाय जबकि यहां लिखा हुआ नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : टाइप ही इसी तरह से हुआ है।

श्री श्रीभानसिंह : "One released with her...-" with whom ?

श्री अध्यक्ष : रिलीज्ड है या रिलीज्ड ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : टाइप की गलती है मैं इस सम्बन्ध में तहकीक करके ही बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक ५८

६. १६ म० पू०

विधायी कार्य

(अग्रेतर विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट बिल को पारित किया जाय यह प्रस्ताव सदन के समक्ष है। इस पर बहस ११ बजे तक चलेगी। उसके बाद में जो दूसरा प्रस्ताव मुख्य मन्त्री महोदय का है वे प्रस्तुत करेंगे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, समय तो बहुत कम दिया गया है। हमें यह विश्वास दिलाया गया था कि थर्ड रीडिंग पर अपने विचार रख सकते हैं। हिन्दू ट्रस्ट बिल था उसको पब्लिक ट्रस्ट बिल कर दिया गया है इसके कारण जो केवल हिन्दुओं तक ही सीमित था सारी जनता पर यह लागू हो गया है। वैसी हालत में इस पर काफी बोलना है। क्रिश्चियन्स का क्या तरीका है ये सब बातें ऐसी हैं जिनके लिये समय ज्यादा दिया जाय तो बहुत उचित होगा।

इसलिये मैं समझता हूँ कि समय थोड़ा ज्यादा होता तो अच्छा होता।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : आप तो बहुत बोले थे। .

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : मैं धन्यवाद दूंगा राजस्व मन्त्रीजी को कि हिन्दू शब्द हटाकर उन्होंने इसको एक सार्वजनिक रूप दिया है। लेकिन फिर भी इसमें एक बात छोड़ दी। अब केवल यह पारसियों और ईसाइयों पर और हिन्दुओं पर लागू होगा पर जहां तक मुसलमानों का सवाल है वे अभी भी इस कानून के परव्यू से दूर रक्खे गये हैं। मैं चाहता हूँ आप उनको भी इसमें ले लेते तो ठीक था। आप कहेंगे कि उनके लिये अलग से वक्फ कानून लागू है। पर यह तो एक अलग व्यवस्था हुई। यह उनके लिये अलग और दूसरों के लिये अलग इस प्रकार की दुहरी व्यवस्था हुई। इससे खर्चा भी बढ़ेगा। तो दोहरा खर्चा करना ठीक नहीं है। उनके लिये अलग व्यवस्था अलग स्टाफ अलग कमिश्नर आदि हैं और इस कानून के अन्तर्गत आपको अलग व्यवस्था फिर करनी पड़ेगी। तो इस तरह से दो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कायम हो जावेगी। आज आप इकोनोमी की बात सोचते हैं एक तरफ तो और दूसरी तरफ इस तरह फालतू में दोहरी व्यवस्था में पैसा खर्च करते हैं।

फिर जैसा पता लगा है मुझे बम्बई स्टेट में इस तरह से दोनों के लिये अलग अलग व्यवस्था नहीं है। सबकी एक ही व्यवस्था है। एक ही पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है और वह सारी सम्प्रदायों पर लागू है। जैसा हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि उसी बम्बई एक्ट की प्रमुख धाराओं को लेकर यह एक्ट बनाया है उन्होंने तो जब उसकी आपने नकल की है तो इस मामले में आप नकल क्यों नहीं करते। वहां जब एक ही एक्ट सभी सम्प्रदायों के बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है तो आपको क्या दिक्कत आने वाली है। इससे खर्चा बचेगा।

अब दूसरा प्रश्न आता है मुख्य रूप से कि इन ट्रस्टों का जो रुपया बचेगा उसका किस प्रकार से नियोजन होगा। लोग एक श्रद्धा से अभिभूत होकर अपने आराध्य देव को रुपया भेंट चढ़ाते हैं। और उनकी एक भी भावना रहती है कि यह भेंट जिस निमित्त को लेकर वे चढाते हैं वह भेंट उसी निमित्त में खर्च की जावे। हो सकता है रुपया, दो रुपया चढाते वक्त कोई इस तरह की भावना लोगों की न रहती हो पर वे जिस सम्प्रदाय को मानने वाले हैं उसके विकास के किसी काम में वह खर्च हो यह एक मात्र भावना तो रहती ही है। अब उस सम्प्रदाय के विकास के कई काम हो सकते हैं उनमें किसी एक में खर्च करने की उनकी मंशा ज़ाहिर न की गई हो पर यह तो ज़ाहिर है कि वह रुपया उसी सम्प्रदाय के भलाई के किसी काम में खर्च हो। जैसे मान लिजिये नाथद्वारा का मन्दिर है? वहां पर पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय है। उन्होंने बहुत रुपया इकट्ठा किया है। हो सकता है मंदिर में अव्यवस्था हो व जिस निमित्त के काम में खर्च होना चाहिये था वह नहीं हो सका। इसलिये आज अव्यवस्था उत्पन्न हुई। गड़-बड़ी हुई वहां। जो रुपया बच गया और जो रुपया जिस निमित्त खर्च होना चाहिये था नहीं हुआ इसी से गड़बड़ी हुई। तो आज सरकार कहती है इसको ठीक ढंग से लगाया जाय। इसका सदुपयोग क्या हो सकता है। सरकार कहेगी बड़ी बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की इन्डस्ट्री में इसको लगाया जाय। जैसे

Page No 34

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

देवस्थान के तीस लाख रुपये को स्वेदेशी काटन मिल्स वाले को दिया है। पर इससे क्या होगा, एक बार जिन्होंने दान दे दिया वे आगे से चढाने में क्यों रुपया देंगे। यह जरुरी नहीं कि सभी लोगों को सरकार पर विश्वास हो कि सरकार जो काम करती है वह ईमानदारी से करती है। लोन सैंक्शन करेंगी तो इस प्रकार की गड़बड़ियों की सम्भावना को दूर करके करेंगी। आज इस प्रकार का सभी लोगों को सरकार पर विश्वास नहीं है। जब इस प्रकार का विश्वास नहीं है तो जो लोग श्रद्धा से भेंट चढाते हैं, जिस निमित्त से भेंट चढाते हैं उसमें कमी आवेगी। और इस तरह से पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय की ओर से जो स्कूलें या अन्य धार्मिक संस्थाएं चलती हैं वे भी बन्द हो जावेंगी। उनको चलाने के लिये भी लोग पैसा नहीं देंगे क्योंकि उनको भरोसा नहीं रह जावेगा कि उनका उन संस्थाओं के निमित्त दिया हुआ पैसा उसी काम में सरकार खर्च करेगी। वे देखेगें सरकार तो अपनी मर्जी से अपने कृपा-पात्रों को लोन दे देती है, अपने मनमाने ढंग से उसका उपयोग करती है तो वे लोग चढावा देना बन्द कर देंगे, वे क्यों देंगे? वे देखेंगे कि जिस निमित्त से दिया है उस निमित्त तो खर्च होता नहीं। तो पहले के जमाने में आज तक जो एक प्रकार से सम्पत्ति का विभाजन होता था उसका यह एक तरीका हमारे पूर्वजों ने निकाला था वह तरीका सरकार बन्द कर रही है। आज हम कहते हैं सम्पत्ति का विभाजन होना चाहिये। यह उसी प्रकार का एक तरीका था जो हमारे पूर्वजों ने निकाला था। वे भी चाहते थे कि एक के पास अधिक रुपया नहीं रहे। तो उन्होंने ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जहां से सार्वजनिक लाभ हो सके और इन संस्थाओं में पैसे वाले लोग अपनी मर्जी से पैसा लगाया करते थे। इस तरीके से धन का स्वयं 'स्वतः प्रेरणा से बंटवारा होता था। आज कोई ढंग लावेंगे तो सरकार को जबर्दस्ती करनी पड़ेगी। आज जितने भी टैक्स, सुपरटैक्स, डैथ ड्यूटी लगाकर आप सम्पत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं तो यह तो जबर्दस्ती का बंटवारा है। पर हमारे यहां जितनी संस्थाएं थीं जो ढांचा हमारे पूर्वजों ने बनाया था उनका भी दृष्टि-कोण धन का बंटवारा करना ही था पर उनका तरीका ऐसा था कि लोग स्वतः अपनी प्रेरणा से वह बंटवारा करते थे।

लेकिन आज हम कानून में इस प्रकार व्यवस्था करके, इस प्रकार इन्वेस्टमेन्ट की बात करके उस तरीके को नष्ट कर रहे हैं। जो लोग पहले यह सोचकर पैसा चढाते थे कि यह पैसा उनके ही समाज के लिये उनके ही धर्मावलम्बी के लिये उनकी ही धर्म की संस्थाओं के काम आवेगा पर अब वे जब यह समझेंगे कि इस पर तो सरकार का नियन्त्रण होगा, सरकार अपने ढंग से खर्च करेगी तो देने वाले की भावना की कद्र किसी भी रूप में हमारी राज्य सरकार और कमिश्नर पूरी नहीं कर सकेंगे। कमिश्नर अगर जैनी है या नास्तिक है तो वह कभी भी यह सहन करेगा नहीं कि उनकी सम्पत्ति का उपयोग उनके ही धर्म के प्रसार में हो। वे तो यही कहेंगे कि यह सारा रुपया पंचवर्षीय योजना में लगा दिया जावे, इन्डस्ट्री खोल दी जावे या दूसरा कोई काम कर दिया जावे। उस नास्तिक कमिनश्र की तो इच्छा यही रहेगी। वह हमेशा इसी प्रकार की प्रेरणा और व्यवस्था देगा। तो हमारी इसमें यह मान्यता है कि धन का

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सदुपयोग नहीं होगा, जिस भावना से वह चढ़ावा करता है वह भावना पूरी नहीं होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस बात को गहराई से देखे और जो इन्वेस्टमेंट आप इस तरह से करना चाहते हैं वह उस धर्म की संस्थाओं के विस्तार के निमित्त में खर्च किया जाय और जो उनकी भावना है उसके अनुसार लगाया जावे। बाकी किसी दूसरे काम में नहीं लगना चाहिये यह पैसा। अब इस बिल का जो उद्देश्य है उसमें इस प्रकार का विवरण किया गया है कि जितनी भी इस प्रकार की धार्मिक संस्थायें हैं उनकी अवस्था खराब है और उनकी अवस्था सुधारने के निमित्त ही इस प्रकार का नियम लेकर आये हैं, इस प्रकार की बात माननीय मन्त्री महोदय करेंगे। लेकिन क्या इस बिल के सदन में लाने और उसके पास करने से वह सारी मन्शा पूरी हो जायेगी? मेरी तो यह धारणा है कि इस विधेयक के द्वारा जिस मन्शा को हम पूरा करना चाहते हैं वह पूरी नहीं होगी। आज जो मन्दिरों में अव्यवस्थायें हैं वह इसलिए नहीं हैं कि वहां पर चढ़ावा कम आता है, चढ़वा खूब आता है। इसके अलावा यह बात भी नहीं है कि मन्दिरों में समय पर पूजा नहीं होती, समय पर पूजा भी होती है और मन्त्रों का उच्चारण जिस प्रकार से पुराने सनातन धर्मकाल में होता था उसी प्रकार होता है पर आज जो मंदिरों में अव्यवस्थायें हैं उसका कारण मंदिरों और मठों में जो पुजारी और महन्त लोग हैं, वह है। हां, अगर इसके लिए समाज कदम उठता और सोचता कि हमारा धर्म गिरता जा रहा है और हमारे मंदिरों की व्यवस्था खराब होती जा रही है उसको सुधारना चाहिए तो कोई बात भी थी। आज जिस प्रकार की समाज को शिक्षा इन पुजारियों और महंतों द्वारा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। आज जितने भी मंदिरों के अन्दर पुजारी हैं वह वहां आफिसर्स की तरह हैं और अधिकारियों की तरह हैं और अधिकारी हो कर केवल अपना घरू खर्च चलाने के लिए दिन भर ऐश और आराम करते हैं, दुर्व्यसन करते हैं और इस प्रकार से धन का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन आज जो मंदिरों में धन का दुरुपयोग, होता है उस दुरुपयोग के ऊपर इस विधेयक द्वारा कोई चैक नहीं होता। जो आज पैसों का दुरुपयोग होता है वह इस विधेयक द्वारा रुक नहीं सकता। आज वह पुजारी और महन्त लोग उस पैसे को खुद के उपयोग में लगाते हैं और जिस भावना से लोग मंदिरों में पैसा चढ़ाते हैं उससे कोई लाभ नहीं हो पाता है और यह विधेयक उसके ऊपर किसी प्रकार से भी चैक नही लगाता है। बहुत से मंदिर और मठ इस प्रकार के हैं कि जो उनके महन्त हैं वह उन मन्दिरों की व्यवस्था करते हैं। मेरे विचार में या तो मन्त्री महोदय इस प्रकार की व्यवस्था करते कि जितने भी मन्दिर हैं उनको ट्रस्ट बना देते पर ऐसी भी व्यवस्था इस विधेयक में नहीं है और सब मन्दिरों की जो व्यवस्था है वह सारे ट्रस्टी करेंगे और महन्त केवल निमित्त मात्र होगा और वह महंत भी अगर सम्प्रदाय की सारी भावनाओं को पूरा नहीं करेगा तो ट्रस्टीज़ उसको हटा देंगे। यदि वह महन्त सारी भावनाओं को पूरी नहीं करता है तो आवश्यकता यह है कि इस प्रकार के इन्स्टिट्यूशन्स हैं उनमें भी सुधार किया जाये। लेकिन इस विधेयक में हम देखते हैं कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो समझता हूं कि केवल एक उद्देश्य

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

को लेकर यह विधेयक बनाया गया है कि जो फालतू पैसा पड़ा हुआ है उसको कैसे हड़प किया जाये। केवल एक ही इसी भावना को लेकर यह विधेयक बनाया गया है। अगर माननीय मन्त्री महोदय को इन मन्दिरों की व्यवस्था में सुधार करने की इच्छा होती तो इसमें गुंजाइश हो सकती थी पर जो कुछ सम्पत्ति मन्दिरों में है उसका उपयोग तो होता नहीं है और क्योंकि दुरुपयोग होता है और दुरुपयोग हो कर के सम्पत्ति बच जाती है क्योंकि लोग चढ़ावा ज्यादा देते हैं और उस सम्पत्ति का पुजारी और महन्त लोग इस प्रकार से उपयोग करते हैं कि वह अपने निजी काम में लेते हैं और उससे दुर्व्यसन करते हैं। अगर आगे जाकर यही बिल रहा तो आज जो मन्दिरों की संस्थायें हैं वह खत्म हो जायेगी। आज जिस प्रकार से सरकार उनका नियन्त्रण करना चाहती है इस विधेयक द्वारा यह नियन्त्रण नहीं हो सकेगा और जब लोग देखेंगे कि इस के अन्दर तो राज्य सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है तो लोगों की ऐसी संस्थाओं के प्रति अश्रद्धा हो जायेगी और लोग चढ़ावा नहीं देंगे और आगे जाकर मन्दिरों की संस्थायें हैं वह समाप्त हो जायेंगी। क्या राज्य सरकार की यही मन्शा है कि इन संस्थाओं को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाये? एक ओर तो सरकार की तरफ से सक्यूलर-वाद की घोषणा की गई लेकिन दूसरी ओर सरकार इस प्रकार का विधेयक ला रही है जिससे कि वह ऐसी संस्थाओं के मूल में कुठाराघात करने जा रही है। इससे तो संस्थायें समाप्त हो जायेंगी। इसलिए इस विधेयक द्वारा जो सरकार ऐसी संस्थाओं पर नियन्त्रण करना चाहती है वह गलत है। इन संस्थाओं पर इस प्रकार का नियन्त्रण सरकार को नहीं करना चाहिए। आप समाज को विकासशील बनाइये और फिर समाज इसका उपयोग करे तब तो इसका उपयोग होता वरना यह सारी मन्शा समाप्त हो जायेगी। मैंने कल ही समाचारपत्र में पढ़ा था कि हमारी केन्द्रीय सरकार एक इसी प्रकार का पब्लिक ट्रस्ट बिल ला रही है और जब हमारी केन्द्रीय सरकार इस प्रकार का विधेयक ला रही है तो फिर हमारे इस बिल का क्या होगा? क्या जो बिल आज हम बना रहे हैं वह केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये जाने वाले बिल से कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करेगा? क्या इसको वापिस फिर डिलीट करना नहीं पड़ेगा? इसलिए इस बिल को पूर्ण रूप से पारित करने के बजाये जो हमारी केन्द्रीय सरकार द्वारा बिल लाया जा रहा है उसकी मूल धारणा को देखा जाये और इस बिल को नहीं लाया जाये और उस विधेयक द्वारा जो कि सारे भारत की सारी संस्थाओं के लिए होगा इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए इस विधेयक को पारित करने में जल्दबाजी नहीं करें और देखकर इस पर विचार करें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पहले ही दिन मैं इस पर काफी बोल चुका था और आज बोलने की विशेष आवश्यकता भी नहीं थी लेकिन इस थर्ड रीडिंग पर मैं निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर दो दफा विचार करके कदम उठाया जाये। जिस प्रकार मन्त्री महोदय, और उधर बैठने वाले जो माननीय

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

सदस्य हैं वह जैसा आसान समझते हैं इस तरह की यह आसान चीज़ नहीं है। इस चीज़ के लिए आज तक भी मुसलमान या ईसाई जो हमारी राज्यसत्ता को संचालित करते थे उन्होंने भी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। आज ईसाइयों की और मुसलमानों की जितनी भी संस्थायें हैं और जो चर्च और मज़ार हैं उन पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन, सेक्यूलर गवर्नमेंट की जो डींग हाकने वाली गवर्नमेंट है वह इस मामले में सवाल उठाकर अपने ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी और इतना बड़ा संकट मोल ले रही है जिसका आज आप लोगों को पता नहीं है। लेकिन वह समय आयेगा जिस समय आप लोग समझेंगे कि इसके अन्दर जल्दबाजी करके हमने गलती की और इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा और उस समय सोचेंगे कि हम लोगों ने सब ने इसके लिए कहा था कि इसको जन साधारण के लिए विचार रखने के लिए फिर इस सवाल को उपस्थित किया। मैं तो यह समझूंगा कि इसके लिए यहां भारतवर्ष की हिन्दू संस्कृति है वही नहीं बल्कि विश्व के लोग भी यह समझेंगे कि आपका हाजमा इतना तेज़ हो रहा है कि जिसके लिए आपने राजाओं के पैसे को और दूसरे भी कई तरह के धन को गवर्नमेंट ने अपने काम में लिया और मन्दिरों जैसे मामूली मामलों में भी उनका पैसा लेने में कमर कस रखी है। इसके लिए थोडा सा वर्ड आफ वार्निंग है तो मेरा और निवेदन है कि इसके लिए शीघ्रता नहीं की जाये। इसके लिए जनता की विचार धाराओं को जानने की आवश्यकता है जिस में मैं हर्ज नहीं समझता। दूसरी बात यह है कि मै मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसमें जैसे पार्टीकूलर पार्टी के लिए वह प्रश्न आया है तो हिन्दू संस्कृति के दूसरे दल हैं जैसे आर्यसमाज है, ब्रह्मसमाज है या वह भी इसमें समाविष्ट होंगे या नहीं मैं यही मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा।

श्री दामोदरलालव्यास : यह मैं पहले ही बता हूं चुका कि केवल उस प्रोपर्टी को जिसके ऊपर कि मुस्लिम वक्फ एक्ट लागू होता है उसके अलावा सब पर लागू होता है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : सब पर लागू होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो आर्यसमाज और ब्रह्म समाज का काम होते वक्त चाहे हिन्दू संस्कृति यह विचार कर ले कि जैसा हुआ सो हुआ लेकिन आज की आधुनिक वह संस्कृतियां है उनके द्वारा जरूर इसके ऊपर बड़ा एतराज होगा और बड़ी दिक्कतें पैदा होगीं। मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट प्रिडा-मीनेन्ट पॉवर है, वह ऐसे मामलों को सब तरह से हल कर सकती है लेकिन यह पहले विचार करके काम में लेने की चीज़ थी। इसके वास्ते यह जो कदम रखा है वह ठीक नहीं है।

जब जागीरदारों के वास्ते प्रश्न आया था उस समय यह सवाल आया था कि पहले लाख वालों को लिया फिर ५ हज़ार तक का हुआ फिर नीचे एक रुपये तक की जागीरें हैं वह खत्म हो गई। इसलिए पहली दफा बड़े मन्दिरों पर लागू किया था इसके अलावा छोटे मन्दिरों के वास्ते जैसा

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

कि इसकी फ़ज्योलोजी के अन्दर सब आ गये हैं के इसमें हैं। इसके अलावा कुछ न कुछ इस प्रकार की चीज़ हो कि उसमें सब के ऊपर यह प्रश्न आने के अलावा छोटे मंदिरों को इस मामले से बचा दिया जाय तो यह भी सोचने की बात है। मैं यह जानता हूँ खुद कि एक तरह से देखा जाय तो यह बहुत दुःख होता है कि बड़े मन्दिरों के अन्दर जो जाते हैं वहां कई बातों के अन्दर थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा होती है। वहां पर कई अपव्यय भी होता है, लेकिन छोटे मंदिरों के अन्दर यहां तक होती है कि कई मन्दिरों में जीविका नहीं है वहां पुजारी, गरीब और अनाथ पुजारी झोली लेकर दान मांगता है। अगर उस चीज़ के वास्ते यह प्रश्न आता है तो एक तरह से औरंगजेब के समय जज़िया लागू हुआ था तो मैं तो इस चीज़ को उससे भी ज्यादा समझूंगा। उसने भी मन्दिरों और मस्जिदों के वास्ते वैसा सवाल नहीं रखा था। इसके वास्ते हम लोग चाहें इधर बैठने वाले हो चाहे उधर बैठने वाले, कोई भी हो जरूर निवेदन किये बिना नहीं रहेगा कि इसको बहुत विचार करने के वास्ते लेना है।

वैसे जैन समाज के अन्दर बड़े बड़े मंदिर हैं और उन मन्दिरों में से श्री केसरियानाथजी मंदिर राजकीय प्रबंध में रहता था तो वहां पर कई इस तरह की दिक्कतें पैदा हो गई हैं कि जिनके मुकाबिले के अन्दर आज कोई कहने की बात नहीं है। ऐसे सब मामलों में इस प्रकार की चीजें आ गई हैं। जहां और धन लेने के तरीके काफी हैं। गवर्नमेंट के सामने बड़ी बड़ी और दूसरी तरक्की की चीजें हैं और इसमें एक तरह से देखा जाय तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें पर इस प्रकार से छोटे छोटे मन्दिरों के ऊपर इस प्रकार का प्रतिबन्ध न लगायें। आपकी, तीन दफा की पंच वर्षीय योजना में थोड़ा सा ध्यान दें तो कोई बात नहीं है करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी ? मैं कहना मुनासिब नहीं समझता हूं। अगर हिसाब लगा कर देखा जाय तो मेरा अन्दाजा है कि उसके अन्दर ५० पर्सेन्ट तक क्या उससे भी ज्यादा धन का अपव्यय होता है। यह मैं मानता हूं कि वह बहुत अच्छे काम में खर्च होता है, लेकिन बहुत सी जगह थोड़ा सा इस मामले में ब्रेक लगाया जाय तो यह हो सकता है तो बहुत कुछ अपव्यय बच सकता है। गरीब धर्मार्थियों को फिर क्यों हैरान किया जाता है।

इसके अलावा अपनी गवर्नमेंट जो झोली लेकर बाहर के अमेरिका और रूस के इन लोगों से सब जगह मांगने के वास्ते तैयार किये जा रहे हैं तो इन बातों के लिए धन इकट्ठा होता है तो यह मामूली धन है इसके वास्ते इकट्ठा करें तो मैं तो कुछ नहीं समझता।

यह मेरे निवेदन करने की बात नहीं है। मै कहना मुनासिब नहीं समझता हूं कि एक तरह से मेरे सिद्धान्त धर्म के मामले में कट्टर आर्य समाज से ताल्लुक रखते हैं। मंदिरों के मामले में ऐसी बात नहीं है कि जो दल की विचारधारा है इस तरह की उसमें मेरा कोई विशेष लगाव हो, लेकिन खास तौर से मेरा कहना यह है कि एक हिन्दू के नाते, एक मनुष्य के नाते मैं इस चीज के वास्ते निवेदन करूंगा कि आप इसको आंख मींच कर जन समुदाय के सामने उपस्थित नहीं करके इस तरह से जैसा कि आप कह रहे हैं तो मुझे

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

और मेरे साथियों को दोनों तरफ से लोगों को बोलने का फिर चान्स नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस मामले में शीघ्रता नहीं की जाय, और इसका विवेचन हो। विचार हो और अगर लेना है तो पहले बड़े मंदिरों की सम्पत्ति को लें जैसा कि प्रश्न आता है तो छोटे मन्दिरों के वास्ते डिमार्केशन इस बारे में होने की अत्यन्त आवश्यकता है। और यह ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए एक बवण्डर खड़ा हो जायगा। जहां पहले वाले बवण्डर अभी खत्म नहीं कर चुके हैं और एक नई चीज़ और खड़ी हो जायगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या बापू के सिद्धान्त मंदिरों के वास्ते ठीक नहीं थे। इसके वास्ते यह कहना पड़ेगा कि हमारे लौह पुरुष ने जो पटेल साहब थे उन्होंने भी महमूद गज़नवी के तोड़े हुए सोमनाथ के मन्दिर को बनवाया। उस वक्त में यह कार्य किया जब कि धन के खर्च होने के लिए काफी जरूरत थी। बल्कि वह कराची से इतनी दूरी के फासले पर है कि एक मामूली हवाई जहाज वहां जाकर नुकसान कर सकता है। उसके बावजूद उन्होंने किया।

इसके अलावा मुझे यह कहना पड़ेगा कि जब सेन्टर में यह सवाल तय हो जाय, जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने कहा है उस समय के वास्ते उसकी विचार धारा को रोक दिया जाय। यह कहना पड़ेगा कि इन्टरनेशनल पालिसी का इक्वीलिब्रियम इतनी तेज रफ्तार के साथ में जा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों के अन्दर मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बारे में थोड़ा सुनकर इस बात पर विचार करें और दूसरी बात करने से पहले। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए हमारे जो मुख्य मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं भारत के वह भी एक बड़ी जबरदस्त ताकत इस ओर चीन से टक्कर लेने के लिए आगे मैदान में खड़े हो गये हैं। वह भी केवल यही एक रिलीजियस चीज थी। लामा कोई बादशाह नहीं था। लामा के वास्ते कोई दूसरा सवाल नहीं था लेकिन उसके लिए सारी कम्युनिस्ट पावर्स जो कि आज जबर्दस्त हैं उनसे टक्कर खाने के लिए तैयार हो गए तो यह सवाल है कि जनता के अन्दर यह प्रसारित हो जाय तो एक तरह से विचार करने की चीज है। तो एक तो यही निवेदन करूंगा कि विचार करके और सेन्टर से इसके बारे में कुछ न कुछ हो जाने दें, और आज तक जितना धन इकट्ठा किया गया है और जितना गवर्नमेंट को खाने का मौका मिला है, उन चीजों को हजम हो जाने दें, अन्यथा दूसरी चीज़ खाने की तो कोशिश करेंगे इस प्रकार का धन है, अपच करेगा, बल्कि वह गर्मी हो इस उत्तरपंथ और दक्षिण पंथ दोनों में संघर्ष न हो उनके होठ धूज रहे हैं, ऐसी परिस्थियों के अन्दर झगड़ा पैदा करना ठीक नहीं है। हम लोगों को भी भारत के स्वतंत्र नहीं रहने का आप लोगों से कम खेद नहीं है। यह बात ठीक नहीं है। उसको स्वतन्त्रता कायम रखने में हम लोगों का आप लोगों से कम उत्तरदायित्व नहीं है। अगर मौका पड़ गया तो यह अपोजिशन की पार्टी जिसके वास्ते आप सभी सब तरह से इसको पददलित करना चाह सकेंगे तो मुझे तो यही निवेदन करना है कि इस बात में सबको नुकसान उठाना पड़ेगा, और पुरानी जो इतने दिनों के बाद स्वतन्त्रता मिली है, उसके लिए पूरा विचार करके इसको रखना चाहिये, मैं तो यही कहूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो हिन्दू पब्लिक

Page No 40

(श्री मुरलीधर व्यास)

ट्रस्ट बिल, पब्लिक ट्रस्ट बिल के नाम से पारित होने जा रहा है उसका पहले नाम हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल था और इस नाम के आधार पर किसी धारणा को लेकर इसे बनाया गया था और उसके बाद इसके नाम में परिवर्तन करके पब्लिक ट्रस्ट बिल का जो संशोधन किया गया और उसी नाम पर इसको पारित करने जा रहे हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो मान्यताएं पहले इस विधेयक को बनाने के समय थीं उसके कुछ विपरीत कुछ नई मान्यताएं इसमें जोड़ी गई और उन मान्यताओं को यह कहां तक पूरा करता है या नहीं करता है इसको गंभीरता के साथ सोचना चाहिये।

राजस्थान के अंदर यह जो पब्लिक ट्रस्ट बिल राजस्थान विधान सभा में पारित हो रहा है या जो चर्चा चल रही है उन सारी चर्चाओं पर सोचने से मालूम पड़ता है कि जो विधेयक हमारे सामने है और उसके अंदर जो परिवर्तन हुआ है और जो मान्यताएं पहले सरकार ने मान्य की थीं उन सारी बातों से पता चलता है कि इस विधेयक के बनने के बाद और पहले चर्चा में सरकार के द्वारा इस बात का मूलरूप से खयाल नहीं रखा गया कि हम क्या बनाने जा रहे हैं।

राजस्थान में एक विचित्र स्थिति है; इससे पहले नाथद्वारा मंदिर के लिए एक विशेष बिल पास हुआ और उसके बाद में यह बिल आया। मेरी समझ में यह बात अब तक नहीं बैठी कि नाथद्वारा मंदिर के लिये क्या विशेषता थी जिसके कारण अलग बिल बना जब कि सब बातों का समावेश इस पब्लिक ट्रस्ट बिल में होता है तो उसके लिए अलग बिल रखने की क्या बात थी। आखिर क्या बात थी जिस के कारण इस प्रकार की स्थिति रखी गई और जब कि यह हिन्दू ट्रस्ट बिल के नाम से था और बाद में पब्लिक ट्रस्ट बिल बन गया तो फिर उसमें हिन्दुओं, मुसलमानों और क्रिश्चियनों को अलग अलग क्यों रखा गया। यदि पब्लिक ट्रस्ट बिल है तो ऐसी क्या बात है जिसके कारण आपने मुसलमानों को इससे अलग रखा। जब यह कानून सबके लिए और सब की रक्षा करने के लिये है तो क्या वह अलग पब्लिक है जिसको आप अलग रखना चाहते हैं। या तो यह मान्यता है कि यह धार्मिक विधेयक है जो केवल हिन्दुओं के लिये है और मुसलमानों के लिये नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं आपके दिल में हो सकती हैं लेकिन अगर यह धारणा है तो गलत है। जब पब्लिक ट्रस्ट एक्ट बन गया तो कोई कारण नहीं है कि उनको अलग छोड़ा जाय। पब्लिक ट्रस्ट में जितने भी ट्रस्ट बनेंगे चाहे मुसलमानों के धर्म स्थान हों या हिन्दुओं के हों सबके लिये एक समान लागू होना चाहिये। अनिवार्य रूप से सबके लिये लागू होना चाहिये। सरकार ने उन पर क्यों प्रतिबंध रखा है यह समझ में नहीं आया, जब कि नाम उसका है पब्लिक ट्रस्ट बिल मूल नाम में परिवर्तन करके रखा। इससे पता चलता है कि आपकी भावना इसको रखते समय कुछ और थी और यह बन कुछ और गया। इसको गंभीरता से सोचें तो मालूम पड़ेगा कि राजस्थान के जिन मंत्री महोदय ने जिन भावनाओं से इसको रखा उनकी उस समय क्या मान्यताएं थी और कहां तक ठीक थी। मैं तो समझता हूँ कि जब कभी कोई निष्पक्ष आदमी इसे देखेगा और वह इसकी वस्तुस्थिति

(श्री मुरलीधर व्यास)

पर विचार करेगा तो वह कहेगा कि कि इसको पास कराते समय कोई सोचने वाला नहीं था और मनमानी ढंग से इसको पारित कर दिया। यह स्थिति पब्लिक ट्रस्ट बनने के बाद बन गई है। इसमें आपने न तो क्रिश्चियन शब्द जोड़ा और न कोई दूसरा शब्द जोड़ा। मंदिर शब्द अलग हैं मस्जिद और चर्च अलग है। मस्जिद और चर्च शब्द आपने इसमें नहीं जोड़ा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इससे पहले सरकार की मान्यता क्या थी। पहले भी देवस्थान विभाग था जो जितने मंदिर हैं उनकी निगरानी रखता था और उनका काम देखता था। उससे भी पहले अलग अलग रियासतों में भी देवस्थान विभाग की व्यवस्था थी और देवस्थानों की व्यवस्था करने के लिये कानून बने हुए थे और आपने उन सब बिलों को एकीकरण करने के लिये हिन्दू ट्रस्ट बिल के नाम से एक नया बिल रखा और उसमें जो संशोधन आये उनको मान कर आपने "हिन्दू" शब्द को उड़ा दिया। मूलभूत व्यवस्था करने की सरकार ने मान्यता प्रदान की थी उसके लिये बिल लाया गया था। मैं यह मान्य करता हूं कि जो व्यवस्था देवस्थान के अंतर्गत चलती है उसमें खराबियां थीं उनको दूर करने के लिए और देवस्थानों की व्यवस्था ठीक करने के लिये यह बिल रखा गया था लेकिन अब तो यह इतना विशाल हो गया है कि इसको गहराई से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि कोई ट्रस्ट कायम होता है तो सरकार का उस पर किस प्रकार से नियंत्रण है ताकि गड़बड़ी न हो सके। इस मूलभूत सिद्धान्त से इसको बनाया जा रहा है और जब इस सिद्धान्त से बनाया जा रहा है तो ऐसा क्या कारण है कि जाति विशेष को इससे अलग रखने चाहते हैं। इसमें मुसलमानों को अलग रखा। उनका यदि कोई ट्रस्ट बनता है तो सरकार की उस पर कोई देख रेख या निगरानी नहीं होगी और न नियंत्रण होगा और वे मनमाने ढंग से चलेंगे। मैं व्यक्तिशः नियंत्रण के पक्ष में नहीं हूं। जो सरकार व्यवस्था करना चाहती है मन्दिरों सम्बन्धी, धर्मशालाओं सम्बन्धी या शिक्षण संस्थाओं सम्बन्धी या और कोई व्यक्ति कोई ऐसा ट्रस्ट बनाते हैं जो जनता के फायदे के लिये है उस पर पूरी निगरानी रह सके और कोई आदमी उसका दुरूपयोग न कर सके इन मूलभूत बातों को लेकर यह बिल बनाया गया है, लेकिन कहां तक इसका पालन किया जायगा और कहां तक उसकी रक्षा होगी इसको गहराई से देखना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि देवस्थान विभाग तक ही यह सीमित है तो इससे कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा। देवस्थान विभाग की वस्तुस्थिति के बारे में पहले भी यहां पर कई बार कहा जा चुका है, और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो पब्लिक ट्रस्ट बिल है उसके अंतर्गत जो खर्च और देखरेख की व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी उसके लिये एक बोर्ड होगा और वह राजस्थान व्यापक बोर्ड बनेगा और वह बोर्ड सरकार को सलाह देगा आयुक्त के जरिये और साथ ही साथ इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में सलाहकार समितियां बनेगीं जो सलाह सरकार को देंगी। मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि हम कानून में किस प्रकार के दृष्टिकोण से सोचते हैं और कानून बनाते समय सरकार का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, यदि वही पुराना दृष्टिकोण

(श्री·मुरलीधर व्यास)

जिसके अंतर्गत अभी व्यवस्था चल रही है उसी के अनुसार पुराने कानून को बदल कर नया कानून बनावें तो वह ऐसा कानून नहीं है जो आज के समाज के लिए आवश्यक हो । आज के समाज को ऐसा कानून चाहिए जो आज की व्यवस्था को चलाने के लिए कहां तक सार्थक होता है । अब जो देवस्थान विभाग,सार्वजनिक संस्थाओं के सम्बन्ध में जो कानून थे, जो व्यवस्थायें थी, उस कानून और उन व्यवस्थाओं को लेकर, जो पहले कानून बना हुआ था, उस आधार पर, उस तरीके पर, हम कानून बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं वह कतई आज की हमारी जो थिंकिंग की प्रणाली है, जिस तरह सोचते हैं, उसमें उपयुक्त नहीं है। कानून में हमें सबसे बड़ी बात खयाल में रखनी पड़ेगी, हमें हमारे दिमाग को स्थिर रखना पड़ेगा कि हम जो कानून बनाने जा रहे हैं, वह कानून आज जो व्यवस्था हम समाज को देना चाहते हैं, उस समाज व्यवस्था में कहां तक सार्थक हो सकेगा। आज हम समाज को दो चीजें देना चाहते हैं, एक समाजवादी व्यवस्था देना चाहते हैं, दूसरी विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था देना चाहते हैं। इन दो व्यवस्थाओं के द्वारा नये समाज का निर्माण करना चाहते हैं, इन दो व्यवस्थाओं में सारे कानून को हमें तोलना पड़ेगा कि जिस नव समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, उसके साथ ही यह जो कानून बनाने जा रहे हैं, और जो भावी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, उसमें यह कानून कहां तक संगत होगा, कहां तक असंगत होगा। मैं समझता हूं कि जिस भावी समाज का निर्माण हम करना चाहते हैं, जिसका लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था और विकेन्द्रीकरण है, यानि सत्ता इतनी विकेन्द्रित हो जाय कि जिससे धीरे धीरे जाकर हमारी सरकार सत्ता विहीन हो जाय और लोग स्वयं अपने हाथ से काम करने लग जायं। यह उद्देश्य बहुत अच्छा है, इसकी मान्यता के लिए सरकार ने प्रयत्न भी किये, २ अक्टूबर से विकेन्द्रीकरण की नीति के आधार पर जो सत्ता सरकार के हाथ में है, वह जनता को सौंपने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसके साथ ही बहुत अच्छा कानून बनाने की बात करते हैं और उस कानून को मद्देनजर रखते हुए हम यह कानून बनाने जा रहे हैं, यह कहां तक उस कानून को सहायता दे सकेगा, इसमें विकेन्द्रित रूप है या नहीं है, इसमें कोई अपने हाथ से काम करने की व्यवस्था है या नहीं, इसका ख्याल नहीं रखा है और उसके बिल्कुल विपरीत, इसमें जहां सरकार की व्यवस्था और जनता, दोनों का सहयोग हो सकता है और वहां तक सरकार का नियन्त्रण हो, वहां तक तो ठीक है परन्तु उसके बाद सारा कब्जा सरकार अपने हाथ में रखे, ट्रस्टीज की कोई चले नहीं, उसके साथ ही जो सलाहकार समिति है, जो बोर्ड है, वह क्या सरकार को सलाह दे। सलाहकार समितियों में अपने अपने ढंग के योग्य आदमी होंगे, वे सलाह भी देंगे, पर उसके माने यह नहीं होगा, सलाहकार समिति को अपने ढंग से काम करने का अधिकार होगा और जो ढांचा है वह एक नौकरशाही का ढांचा हो जायगा। राज्य में नौकरशाही ढांचा है, परन्तु इससे सार्वजनिक संस्थाओं में, देवस्थान विभाग में भी नौकरशाही ढांचा हो जायगा क्योंकि मन्दिर का पुजारी आपका नौकर बनेगा, वह भगवान का नौकर नहीं बनेगा, उसका इन्सपेक्टर से सम्बन्ध रहेगा। इन्सपेक्टर मनमाने

Page No 43

(श्री मुरलीधर व्यास)

तरीके से आज चलते हैं। आज स्थिति क्या है, मैं जानता हूं कि बीकानेर में जितने पुजारी हैं, आपकी जो व्यवस्था है, उसमें सबसे बड़ी कमी है कि जो भगवान को भोग लगाया जाता है, क्योंकि पैसा सरकार के पास से आता है, इन्सपेक्टर के जरिये आता है, इसलिए भगवान को भोग लगा कर वह भोग इन्सपेक्टर के पास जाय, अधिकारियों के पास जाय, उनको खुश रखा जाय। भगवान का सिर्फ यहां तक सम्बन्ध होता है, इससे ज्यादा सम्बन्ध होता नहीं। तो पुजारी का इन्सपेक्टर से सम्बन्ध होता है और इन्सपेक्टर का ठेकेदार से सम्बन्ध होता है। मन्दिरों को जो भगवान के भोग लगाने की सामग्री दी जाती है, वह ठेकेदार के जरिये दी जाती है। ठेकेदार ठेका लेता है, रेट निश्चित करता है, उसके बाद क्या होता है कि वह इन्सपेक्टर से मिल जाता है और फिर जो गेहूं की क्वालिटी बताई है, अच्छे घी की क्वालिटी बताई है, जो कान्ट्रेक्ट के अन्दर रखी गई है, वह भगवान के भोग में नहीं आती है। पुजारी चिल्लाता है, यहां अच्छा शुद्ध घी लिखा हुआ है, सवा छः का लिखा हुआ है, गेहूं की क्वालिटी लिखी हुई है, उसकी जगह जो गेहूं दिया जाता है, वह सड़ा दिया जा रहा है। वह शिकायत करता है, इन्सपेक्टर की शिकायत होती है, वह कहता है, पुजारी तुम्हारी यहां से छुट्टी, तुम नहीं रह सकते। तो मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपके जरिये निवेदन करता हूँ कि ज्यादा अच्छा होता अगर बिल के प्राविजन को पढ़ लेते। जब क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पास हुआ था, तब आप मौजूद नहीं थे। इसमें कहां मन्दिर के पुजारी से, भोग को खरीदने से इसका सम्बन्ध कहां है? आपने इस बिल को समझा नहीं है और इस तरह की बहस कर रहे हैं। इस थर्ड रीडिंग में आप प्राविजन्स के बारे में कहें। सही बात यह है कि इसका देवस्थान डिपार्टमेंट से ट्रस्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है, आप कह रहे हैं कि सड़ा गेहूँ खरीद लिया, खराब घी खरीद लिया, इससे इसका ताल्लुक नहीं है। जो ट्रस्टीज हैं वे जो काम करते हैं वे करते, उसमें दखल देने का प्रश्न नहीं है। उस ट्रस्ट की प्रोपरटी का मैनेजमेंट करने के लिए प्रश्न है, और प्रश्न नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं विकेन्द्रीकरण की बात कह रहा था कि किस प्रकार की व्यवस्था हो। मैं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय यह बात समझे नहीं। मैं कहने जा रहा हूं कि जो विकेन्द्रित व्यवस्था है उसके अन्दर जो वस्तुस्थिति है, उसको करने की चीज होती है, आप कह रहे हैं, ठीक बात है, उससे सम्बन्ध नहीं है, मैं मानता हूँ कि सम्बन्ध नहीं पर, पर एक प्रकार की व्यवस्था में किसी संस्था विशेष पर अधिकार रखेंगे तो क्या उससे सम्बन्ध होता नहीं और आपके अधिकारी अधिकारों का उपयोग कहां तक करेंगे। आपने कहा कि सलाहकार समिति है, मैं निवेदन करूंगा कि आज देवस्थान डिपार्टमेंट के लिए सलाहकार समिति है, तो सलाहकार समिति को ऐसा हक होता नहीं, उसमें स्वतंत्र आदमी होते हैं, वे देखते हैं और जो बातें रखते हैं, उनकी सुनवाई होती नहीं न खयाल होता है। जिनका रात दिन जिनके साथ सम्बन्ध रहेगा, उनके आधार पर समाज चलेगा और उसके अन्दर गड़बड़ी होगी। मेरे कहने का मूल उद्देश्य यह है कि जो पब्लिक ट्रस्ट बिल बनाने जा रहे हैं,

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसमें जो व्यवस्था रखी है, विकेन्द्रित रखी है। आपने जो व्यवस्था रखी है, वह है कि आज के जो मन्दिर हैं, उनको प्राप्त कर सकेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण यह होना चाहिए। मैंने गत दिनों में यह बताने की कोशिश की, जिस समय राजस्थान बना, मर्ज हुआ, उस समय किस तरह ..

श्री अध्यक्ष : यह बातें दोहराने के लिए यह समय नहीं है। यह थर्ड रीडिंग है, इसमें सीमित दायरा होता है कि बिल को स्वीकार किया जाय या नहीं किया जाय। आपने जनरल बहस शुरू कर दी। आप पांच मिनट में भाषण समाप्त करें और बिल पर ही बोलें।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कोशिश कर रहा हूं यह बात कह कर कि जो मूल बात और जो मूल दृष्टिकोण बनना चाहिए, वह बन सके। फिर भी, अध्यक्ष महोदय, आपने इस प्रकार का निर्णय दिया है उसको मैं मान्य करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज का जो विधेयक पारित करने जा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति बननी चाहिए कि आखिर ऐसे ट्रस्ट जो धार्मिक होते हैं, उनमें धर्म के रूप को किस तरह स्वीकार करना चाहिए, उस रूप में यह कहां तक मदद दे सकता है। यह बिल है यह कहां तक इस मामले में मदद करने वाला हो सकता है। इस प्रकार सारी चीजों को पकड़ लेते हैं और जो भावी विकास है, उसके अन्दर हमारा दखल हो। मैं मान्य करता हूँ कि अभी तक इस प्रकार के पब्लिक ट्रस्ट बने, लोगों ने संस्थायें खोली, चाहे वह स्कूल, धर्मशाला आदि खोले। परन्तु इस ट्रस्ट बिल के बनने के बाद आप देखेंगे कि लोगों की धारणा नहीं बनेगी कि अपने कोई धर्म की चीज बनावें क्योंकि जो बनाने वाले व्यक्ति हैं, उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण होता है। जो सद्भावना के आधार पर बनाते थे, वे आगे जाकर इस प्रकार की चीजों का निर्माण नहीं करेंगे। इस ट्रस्ट बिल के अन्दर जिस भावना को लेकर जो नीति रखी गई है, जो व्यवस्था रखी गई हैं, वह इस प्रकार की है कि इसके अन्दर किसी चीज़ का विकास नहीं होगा, न धर्म का विकास होगा, न मंदिरों का विकास होगा, जो मंदिर, धर्मशालायें जिस उद्देश्य को लेकर बनाई जाती हैं, उनका विकास नहीं होगा। आज मंदिर बनेंगे, उनका विकास अवरुद्ध हो जायगा। इसलिए जो बुनियादी भावना है, जिस आधार को लेकर यह चीज बनाते हैं, उसकी कद्र नहीं रखी गई है और इतना मात्र सोचा गया है कि किस प्रकार सरकार इन मंदिरों पर नियंत्रण कर सकती है और उनको अधिकार में रख सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो देश है, यह धर्म प्रधान देश रहा है, इसके अंदर जो पुरानी परम्परायें हैं, जिस आधार पर समाज निर्माण होता है। जो अब तक धर्म के प्रति भावना थी, और उसका संचालन करने वाले लोग थे, उनके जीवन में परिवर्तन आने से यह हुआ कि समाज का ढांचा बदला। पहले इस धर्म प्रधान देश में ऐसा था कि धर्म ही समाज का निर्माण करता था और धर्म के आधार पर ही अच्छी व्यवस्था होती थी और अच्छा समाज बनता था परन्तु आज हम देखते हैं कि अच्छा समाज नहीं बन रहा है क्योंकि धर्म के नाम पर अविश्वास होने लगा है और जिस रूप में

(श्री मुरलीधर व्यास)

समाज निर्माण होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। यह मान कर चलो कि अच्छा समाज बन नहीं सकता है क्योंकि उसको बनाने का तरीका जो है, उसमें मूलभूत बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि समाज के निर्माण में जो धार्मिक मान्यतायें हैं, धार्मिक मान्यताओं का मतलब यह नहीं लें कि इसका मतलब पूजा पाठ सेवा आदि तक सीमित हैं।

इससे मतलब है कि आदमी का सदाचार मय जीवन बनाने के लिए, आदमी के व्यवहारिक जीवन को अच्छा बनाने की व्यवस्था करते हैं तो विकास होता है। पर यह विधेयक है, जहां तक नियंत्रण के लिए है कि धन का दुरुपयोग नहीं हो, ऐसा कानून बना इससे सहायता मिलेगी पर दूसरे इसके विकास और आगे बढ़ने के रास्ते का जहां सम्बन्ध है, इस तरह की आजादी नहीं रखी है जिसके कारण हर आदमी स्वतंत्रता के साथ विकास कर सके। सरकार ने इसमें ऐसे प्रावधान रखे हैं जिससे वे विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और उनके कारण आगे विकास नहीं हो सकता।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष, मैं समझ रहा हूं कि सदन के सामने इस बिल का यह थर्ड रीडिंग है, जैसा कि पांच सात रोज पहले इस बिल का नाम था हिन्दू ट्रस्ट बिल, अब इसका नाम हुआ है पब्लिक ट्रस्ट बिल और दो चार दिन तसल्ली से इस पर विचार करें तो और भी इसका नाम बदल सकता है। आज प्रजातन्त्र में आर्ग्यूमेंट्स पर विचार किया जाय तो गिने चुने आदमियों के विचार से जो चीज़ रखी जाती है, उसमें परिवर्तन होता है। इस चीज़ को मन्त्री महोदय भी मानेंगे कि डेढ़ साल पहले यदि यह बिल पास होता तो इसका नाम हिन्दू ट्रस्ट बिल रहता और वे खराबियां जिनको मंत्री महोदय ने मानकर दूर किया है वे खराबियां इसमें यों ही रह जाती। इसलिए जो हमने इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा था सैद्धान्तिक रूप से मैं उस पर अब भी बल देता हूं, नहीं तो मिसल मशहूर है कि "चौबेजी छब्बेजी बनने गए थे और दुब्बेजी रह गए" वही होगा। आज हिन्दू ट्रस्ट बिल पास करने का सरकार को अधिकार नहीं है, इसीलिए आम पब्लिक के लिए कर दिया। जनसंघ की तरफ से हिन्दुओं के लिए आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हों ऐसी बात नहीं। हमने कहा कि हिन्दू, मुस्लिम ईसाई, पारसी सभी को रिप्रेजेन्ट करता है। यहां सदन में पारसी नहीं, ईसाई नहीं तो हम उनको रिप्रेजेन्ट करते हैं। अब इसको जनमत के लिए भेजना इसलिए और भी आवश्यक हो गया है कि आपने यहां बुला कर एक भी पारसी को एक भी क्रिश्चयन को बुला कर नहीं पूछा कि हम तुम्हारे धर्म के सम्बन्ध में यह कानून पास कर रहे हैं।

आज के हमारे प्रधान मंत्री प्रजातांत्रिक ढंग से समझाते हैं कि तुम्हारे लिए हम ऐसा कानून पास करने जा रहे हैं, साधुओं को जाकर समझाते हैं पर यहां राजस्थान में इस तरह नहीं करना चाहते तो कम से कम जनमत के लिए तो अवश्य इसे रखना चाहिये। राजस्व मंत्री जी का कर्तव्य था

Page No 46

(श्री मदनसिंह)

कि इन ८,१० दिनों में कम से कम जयपुर में जितने साधु महन्त, सन्त, सिख, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे उनको बुला कर कहते कि हम इस तरह की चीज ला रहे हैं। दिखावे के रूप में माननीय राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद मिला कि हिन्दू शब्द को हटा दिया पर हिन्दू शब्द को हटा कर और भ्रांति पैदा कर दी है कि राजस्थान सरकार सब धर्मों की मालिक बन गई है। आज हमारी सरकार केवल ऊपर की बात बता कर चीज वही की वही रखती है। हिन्दू शब्द हटाने के बाद में कौनसी बात हट गई जो हिन्दुओं पर, मन्दिरों पर लागू नहीं होगी। हमारी जो पहली मांग है उसके पीछे जबरदस्त आर्ग्यूमेंट्स हैं, प्रजातन्त्र में दो चीजों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। पहली चीज तो यह है कि बहुमत से निर्णय लिया जाता है और दूसरी चीज यह है कि अच्छे ठोस आर्ग्यूमेंट्स को माना जाता है। हमारा वजनी आर्ग्यूमेंट है कि किसी भी सेक्यूलर स्टेट को धार्मिक स्थानों का प्रबन्ध करने, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, इसका उत्तर राजस्व मंत्री जी ने नहीं दिया। महन्तों और मन्दिरों के पुजारियों के लिए माननीय सदस्यों ने कई बातें कही, यह कहा गया कि मन्दिर मठ व्यभिचार के अड्डे हैं, उनमें फिजूल खर्ची होती है। मैं आज भी पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इनके लिए क्या व्यवस्था रखी है, आपने तो केवल पैसे की बात रखी है, ३६०० रुपयों के लिए रखा है, सीमा रखी है कि इन्हीं सीमा तक के मंदिरों को लिया जायगा . . .

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य इस बिल को पूरा पढ़ नहीं पाये, समझा नहीं कि ३६०० की सीमा किसके लिए रखी है, व्यभिचार अनाचार को मिटाने का नहीं ट्रस्ट की प्रोपर्टी को एड्मिनिस्टर करने का रखा गया है, ३६०० की लिमिट है उसको पढ़ लीजिये।

श्री मदनसिंह : यह तो आर्ग्यूमेंट दिया है कि अनाचार होता है, इसको नहीं रोकेंगे हम तो व्यवस्था करना चाहते हैं। यह देखा है कि जितनी खराबियां मंदिरों में हैं ठीक तरह से वे खराबियां किस तरह चलें इसलिए यह ट्रस्ट बिल बना रहे हैं। ऐसा ही मंदिरों को खत्म की तो स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया कि कुव्य-वस्था है, नाथद्वारा के लिए भी यही कहा गया कि व्यवस्था ठीक नहीं है। अब जब सब मंदिरों को लिया जा रहा है तो यही आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि अव्यवस्था है। मुझे मंत्री महोदय बतायें कि हिन्दू शब्द क्यों हटाया, केवल विरोध किया गया इसलिए या और किसी वजह से? हिन्दू शब्द हटाने से यह प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट कन्विन्स्ड हुई है कि धर्म के सम्बन्ध में वह कोई कानून नहीं बना सकती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें। हिन्दू शब्द को हटाया है तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी धर्म के धार्मिक स्थान की व्यवस्था करने का सरकार को अधिकार है। उन मंदिरों, मठों और धार्मिक स्थानों पर सरकार अधिकार करती है तो भारत के संविधान के खिलाफ, जनता की मंशा के खिलाफ कानून पास किया जा रहा है। मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाया, दूसरी पब्लिक के लिए अलग कानून बनाया तो क्या मुसलमान इस देश के रहने

Page No 47

(श्री मदनसिंह)

वाले नहीं हैं, क्या मुसलमान इस देश की पब्लिक नहीं है जो उनके लिए दूसरी प्रकार की व्यवस्था बनी और हमारे लिए दूसरी तरह की व्यवस्था बने तो आर्ग्यूमेंट दे कर मंत्री महोदय बतायें तो मानेंगे । आर्ग्यूमेंट नहीं दे कर अपनी पार्टी के सदस्यों से यह राय ली जाय कि मंदिर बहुत खराब हैं और हमें कहा जाय कि मंदिरों का रुपया खराब हो रहा है इसके लिए हम यह व्यवस्था कर रहे हैं ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आन ए पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन सर, मेरा यह निवेदन है कि जैसा अभी प्रश्न आया है कि हिन्दू शब्द को हटा कर क्रिश्चियन्स, मोहमेडन्स, पारसी सब को शामिल कर दिया है, तो इस पर मंत्री महोदय प्रकाश डालें । क्रिश्चियन और मुसलमान भी शामिल हो गये तो क्या माननीय मंत्री इस पर लाइट डालेंगे कि यह बात कहां तक सही है ।

श्री अध्यक्ष : मुसलमानों के अलावा सारे धर्म हैं ।

श्री मदनसिंह : क्रिश्चियनों को रखा है ।

श्री अध्यक्ष : इसका दायरा बढ़ा दिया है ।

श्री मदनसिंह : अबकी आपने सिक्ख और पारसियों को रख लिया है । अब सिक्ख, जैन और क्रिश्चियन हैं जिनको हिन्दू में ले लिया है । केवल यही दो बातें हैं । हमें कभी इनसे तसल्ली नहीं होगी । मैं समझता हूं कि आज जैसा प्रबन्ध मन्दिरों का महन्त करते हैं उससे भी खराब हालत होगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य तो अपना भाषण समाप्त कर चुके थे फिर खड़े हो गये हैं ।

श्री मदनसिंह : अगर मन्दिरों में चढावा न चढ़ा कर अगर महन्तों पर ही चढ़ने लगे तो फिर आप क्या व्यवस्था करेंगे । यह तो चढ़ावा महन्त पर होता है या जो गुरू होता है उस पर होता है । इसके लिये आपने क्या व्यवस्था की है । यह जो नई चीज़ आपके सामने आवेगी । मैं समझता हूं कि धर्म सम्बन्धी चीज़ है मैं समझता हूं कि अगर यह चीज़ पब्लिक के सामने जावेगी तो ये सारी चीज़ें पब्लिक के सामने आवेगी । वे लोग मन्दिर छोड़ छोड़ चले जावेंगे । आप जिनके चरित्रों की बात करते हैं । राजस्थान में कई लोग ऐसे हैं जिनके चरित्र बहुत सच्चे हैं वे किसी दरख्त के नीचे जा कर बैठ जावेंगे और लाखों रूपयों का वहां उन पर चढ़ावा होगा उसका क्या इलाज होगा । क्या आप जनता को सज़ा देंगे । आपको मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मन्दिर की मूर्ति में लोगों को विश्वास है जितना अच्छा पुजारी होता है और जितनी अच्छी पूजा होती है उतना ही चढ़ावा चढ़ता है । फिर तो वह चीज़ नहीं रहेगी । इसलिये मैं यह पूछूंगा कि आज रघुनाथजी का मन्दिर है उनका रामकरण या और कोई दूसरा पुजारी हैं पूजा करता है और बाद में मन्दिर को छोड़ कर अलग चले जाते हैं और उसके बाद उस को ५ लाख रूपये चढ़ते है तो उसके लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी ।

(श्री मदनसिंह)

दूसरा मैं समझता हूं कि माननीय महेन्द्रसिंहजी ने जो आरगुमेन्ट मन्दिरों और मठों के सम्बन्ध में दिये उसमें उन्होंने यह बताया कि ये तो रुपये मन्दिर में चढ़ते हैं तो उस पर सरकार का क्या हक है।

श्री सरदारसिंह (उनियारा) : गवर्नमेंट रख लेती है।

श्री मदनसिंह : आज आप मन्दिरों को अपने हाथ में ले लीजिये। दो रोज में मैं यह कहूंगा कि वहां पर कागले पड़ेंगे। महन्त हो तो पुजाने वाले होते हैं वही इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, गांव के गांव लोग दान देते हैं। विनोबा भावे आज दान लेते है और उनको गांव के गांव दान दिये जाते हैं उनके लिये अलग कानून हैं। वे कांग्रेस के संत हैं और कांग्रेस के सिद्धान्तों के माननेवाले है। वे चाहें तो सेवा का दान ले लें। श्रम का दान ले लें। सोने का दान ले लें। ज़मीन का दान ले लें ग्राम दान ले लें। सब कुछ ले सकते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रजातन्त्र में ग्राम दान का किसी को कोई हक नहीं हैं। मैं समझता हूं कि मन्दिरों के साथ उनको भी इन्क्लूड करना चाहिये। मैं समझता हूं कि पब्लिक को यह संतोष रहता है कि जो भी हमने भेंट दी है उसका सदुपयोग होगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र में कोई इसके लिये आरगुमेन्ट नहीं देकर कोई काम किया जाता है तो वह डिक्टेटरशिप है। आप जानते हैं कि आज सत्ता जिसके हाथ में होती है उसका अनुकरण जनता करती है क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है। आप उनसे वोट लेकर यहां आये हैं और यहां आकर इस तरह के कानून बनाते हैं जो जनता के हित के लिये नहीं होते। मुझे याद है जालोर में माननीय मुख्य मन्त्री ने, जिस समय चुनाव हो रहे थे बताया कि जनसंघ वाले वैसे ही बकवास करते हैं। आज माननीय मुख्य मंत्री यहां पर सदन में नहीं हैं अन्यथा मैं उनसे पूछता कि आप दस रोज पहले इस प्रकार का भाषण देते हैं और आपका यहां पर क्या रुख होता है। इसलिये मैं कहता हूं कि सेक्युलर स्टेट आप इसको नहीं कह सकते हैं जहां तक आप ट्रस्ट बनावेंगे ! मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना ठीक नहीं है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसकी पूजा करते हैं जैसा परमात्मा को भजे वैसा ही हो जाता है। मगर आज यह हो गया है कि जिस प्रकार हम उसको भजते हैं वैसा ही उसको होना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विदेशियों के समय में यानि अंग्रेजों के समय में धर्म की एक छोटी से चीज़ को हम उनको बताते थे कि हमारे धर्म में यह कितनी महान चीज़ है। जो छोटी से छोटी चीज़ धर्म में नहीं थी उसको भी विदेशियों को हम बताते थे। मगर अब हम इस प्रकार करते हैं तो क्या विदेशी लोग उसको नहीं समझते क्या विदेशियों के लोग यहां नहीं हैं। वे यह सोचते होंगे कि यह क्या बात है। आज हिन्दू धर्म के मामले में माननीय मंत्री महोदय मेरे से ज्यादा समझते हैं क्योंकि वे इस जाति में हैं मगर क्या किया जावे एक पार्टी के बस में आकर सुधार के नाम से यह बातें कर रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि सुधार कोई चीज़ नहीं क्योंकि माननीय मंत्री ने खुद ने फरमाया कि मन्दिरों में भ्रष्टाचार होते हैं, व्यभिचार होते हैं तो होते रहे। यह जो ट्रस्ट बिल ला रहे हैं वह एक कागज

(श्री मदनसिंह)

के रूप में रहेगा। यह एक पुजारियों को चुनाव के काम में लाने के लिये आपका एक साधन होगा और उनको आप अपने चुनाव के काम में लेंगे और उनकी जो निजि सम्पत्ति है उसको आप चुनाव के समय में इस्तेमाल करेंगे। मैं यह कहूंगा कि आपके दिल में तीन रोज में इतना विचार बदल गया और बदल सकता है कि हिन्दू से, पब्लिक पर आये गये तो फिर मैं समझता हूँ कि कुछ दिन आप और ठहरें तो आपके दिल में फिर परिवर्तन आसकता है। जब सेन्टर से प्रधान मंत्री श्री पंडित जी ने साधु सन्तों के समक्ष यह बात रखी है तो मैं समझता हूँ कि क्या विचार देंगे उस पर जरा विचारना है। यह कल के पेपर से मालूम होता है। आपको फिर इसमें बाद में एमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। इसलिये जरा ठहर जाए तो कोई एतराज की बात नहो है। कौनसे आपके मन्दिर भंग करे जा रहे हैं, कौनसा रूपया लुट रहा है। जहां पर रूपया लुट रहा था वहां पर तो आपने प्रबन्ध कर ही दिया है। इसलिये मैं समझता हूं कि आपको इतनी जल्दी क्या है। अगर यह जनमत के लिये चला जावे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि हमारी यहां पर जो मन्दिरों की मौजूद व्यवस्था है वह अच्छी है और सभी व्यवस्था आप नहीं कर सकेंगे। यह मैं गारन्टी से कह सकता हूं। इसके अलावा ऐसे ऐसे साधू हैं जो आपके पूरे राजस्थान का अच्छी तरह से संचालन कर सकते हैं। मगर आप उनको सबको एक ही तरह से जैसे अन्धों को, लूले लंगड़ों को साथ ले लिया है। बड़े बड़ों को आप लें और छोटों के लिये आप रास्ता बता दें कि इन इन मन्दिरों की व्यवस्था से इस प्रकार आपको संतोष होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक शीघ्र सम्पूर्ण सुधार नहीं होगा तब तक कोई हित नहीं होने का है। गवर्नमेंट की मंशा साफ़ है। यह कांग्रेस के जीवन काल तक के लिये है। आप अपना जनता में विश्वास खो रहे है और जनता आपकी पार्टी को पैसे नहीं देती है अब आपके पास कौनसा ज़रिया है जिससे आप पैसा ला सकते हैं। आप हमको विधान की चीज़ नहीं देते। आप आज मेजोरिटी के बल पर किसी प्रकार का बिल ला सकते हैं। हिन्दुओं को कत्ल करने का बिल ला सकते हैं। यह जागीर का प्रश्न नहीं है यह मन्दिरों का प्रश्न है। मैं यह कहूंगा कि अगर मन्दिरों का ठीक ढंग से प्रबन्ध नहीं हुआ तो आपके खस के टट्टे नहीं लग सकेंगे और आप खस के टट्टों में नहीं बैठ सकेंगे। क्योंकि यह चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके लिए बर्दाश्त होगी, जिसके लिए विरोध नहीं होगा। जनता का तो ऐसा भाव देख रहा हूं कि जनता इससे रुष्ट हो रही है कि क्यों ऐसी चीज बनी। हिन्दुओं का नाम हटा कर इसको हिन्दूओं पर ही रख दिया। इसके लिए अलग अलग विचार हो रहे हैं और जिससे मंत्री महोदय को इसके लिए ताकत पड़ेगी। वैसे यह सरकार जनता के आंदोलन को दबाने में माहिर है लेकिन यह आंदोलन ऐसा आन्दोलन होगा जिससे दबा नहीं सकेंगे। मैं तो वैसे विचार रख देता हूं। जिस तरह आंदोलन होते हैं, जनता की आज्ञा होगी वैसे होंगे। जैसे जागीरदारों को दबा कर समाप्त करदिये

Page No 50

(श्री मदनसिंह)

लेकिन वैसे मंदिरों और देवताओं को दबा कर समाप्त नहीं कर सकेंगे । जागीदारों का तो स्वार्थ था । मंदिरों के लिए तो जनता प्राणों तक की बाजी लगा सकती है और खून बहा सकती है। जब ट्रस्ट मंदिरों का चार्ज लेने को आवेगा जब जनता विचार करेगी। मैं अपने विचार प्रकट कर चुका हूँ, मंत्री महोदय अपने विचार रखें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल, जिसका रूप अब पब्लिक ट्रस्ट बिल हो चुका है, लगभग एक सप्ताह पूर्व सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ था । उसके द्वितीय वाचन के समय दोनों ओर के विचार और दोनों की युक्तियां और दलीलें सदन के समक्ष आयी थी। मैं समझता हूं कि उनमें से कुछ दलीलें कुछ युक्तियां और कुछ विचार इतने संगत भी प्रतीत हुऐ कि उनका समावेश इस विधेयक में किया गया। स्वयम् सम्बन्धित मंत्री महोदय ने भी कुछ संशोधन प्रस्तुत किये, और दूसरे माननीय सदस्यों की ओर से भी जो उपयुक्त और उचित संशोधन आये उनका भी पूर्ण रुपेण इसमें समावेश किया गया और मैं तो यह समझता था कि विधेयक इस स्थिति में आ चुका है कि यह सब को पूर्ण रूप से मान्य होगा लेकिन आज तृतीय वाचन के अवसर पर फिर से ऐसे विचार प्रस्तुत किये गये हैं, जिनकी, मैं समझता हूँ, आवश्यकता इस अवसर पर नहीं थी। खास तौर पर यह दोहराया गया कि इस तरह का विधेयक लाना हमारे धर्म में हस्तक्षेप है। इस सम्बन्ध में कई सारी बातें आयी और यहां तक कहा गया कि हम खून बहा देंगे, राजस्थान में यह हो जायगा, वह हो जायगा। कितनी ही बातें बतायी गई....

डा० मदनसिंह : आपको क्या डर है। खून तो हम बहायेंगे ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपसे ज्यादा खून बहाया है ।

श्री मदनसिंह : यह तो आपके शरीर से दिखाई दे रहा है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपके और मेरे शरीर को तोल कर देख लीजिये ।

आज जितना गर्व और गौरव माननीय सदस्य अनुभव करते हैं, उनको यह मानना चाहिये, कि देशभक्त प्रत्येक स्वाभिमानि व्यक्ति ने अपने देश के लिए खून बहाया है लेकिन इस के माने यह नहीं है कि धर्म की आड़ में उस चीज़ को पालने दिया जाय, जिस चीज़ ने देश को अधोगति से पहुँचाया । कौन सज्जन इससे परिचित नहीं होगा कि धर्म के नाम पर हमारे यहां क्या २ कुकृत्य नहीं हुए है ? धर्म के नाम पर देश की देवियों को अग्नि में जिन्दा जलाया गया था, धर्म के नाम पर देश में दूध मुंही बच्चियों को कत्ल किया गया था वे धर्म के नाम पर देश में पशुओं तक को ही नहीं किन्तु बच्चे, लड़कों, लड़कियों को देवताओं के भेंट चढ़ाया गया, धर्म के नाम पर ही कितना अधर्म आज के युग में किया गया लेकिन आज भी उस अंध विश्वास को धर्म के नाम से पुकारा जाता है। जहां ट्रस्ट की मंशा दूसरे किसी मंदिर गिरजा, गुरुद्वारा,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उपासना विधि पर किसी प्रकार का आघात करना नहीं आया है इस विधेयक के द्वारा और यह इसमें स्पष्ट आया है, लेकिन धर्म पर फिर भी इसको आघात बताया जा रहा है। आश्चर्य और दुख होता है कि मेरे से पूर्व वक्ता महोदय धर्म और धर्म के साथ साथ धार्मिक ग्रन्थों की भी जानकारी रखते होंगे, मेरा मतलब शास्त्रों से, स्मृतियों से है ? फिर मैं समझ नहीं पाता कि किस शास्त्रों और स्मृति में केवल मंदिरों में पूजा करना या एक प्रकार की उपासना विधि को धर्म बताया है। मैं तो कहता हूं कि यह धर्म के अंग मात्र हैं। संध्या भी प्रातःकालीन, सायंकालीन कर सकते हैं। देवी की सेवा कर सकते हैं, उपासना कर सकते है, शिव की उपासना कर सकते हैं। वैष्णव अपनी उपासना कर सकते हैं। मंदिर में जा सकते है। शक्ति, वैष्णव वे अपनी विधि से कर सकते हैं यहां तक की हिन्दुओं में तो नास्तिक भी होते रहे हैं और उनके बड़े २ आचार्य हुये हैं। लेकिन उपासना विधि को लेकर मंदिरों का यह हो जायगा हिन्दुओं और हिन्दू धर्म पर आघात होगा, मन्दिर और धर्म नष्ट हो जावेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बतलाना चाहता हूँ, कोई आचार्य की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी धर्म में विश्वास रखने वाला हूं और उस हैसियत से कहता हूं कि धर्म में यही नहीं है कि मन्दिर में मूर्ति के सामने उपासना की जाय। धर्म एक गूढ चीज़ है। मनुस्मृति में धर्म के लक्षण बताये गये हैं जिसमें कहीं यह नहीं आता है कि मन्दिर में यह धर्म है। उसमें कहा गया कि :

धृति, क्षमा, दमस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह। धीर्विद्या सत्यमक्रोधो, दशकं धर्म, लक्षणम्"।

इस विधेयक में कौनसी ऐसी चीज़ है जो धर्म को नष्ट करती है। जो लक्षण बतायें हैं धर्म हैं, धृति धीरज पर इसके द्वारा कहां आघात जाता है, क्षमा पर कहां आघात आता है, इन्द्रियों के दमन से कहां धर्म पर आघात आता है इस विधेयक द्वारा। इस प्रकार जो दस लक्षण धर्म के बताये गये हैं, उनमें माननीय सदस्य द्वारा बतायें कि धर्म पर कहां आघात आता है।

श्री महेन्द्रसिंह : धर्माचारण के लक्षण है।

श्री मदनसिंह दांता : इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्टर साहब इसका विरोध नहीं करेंगे। आप धर्म रखते हैं वे नहीं रखते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मिनिस्टर साहब ने धर्म पर कानून नहीं बनाया है।

श्री मदनसिंह : इसलिये देखता हूं कि वह व्यभिचार कैसे मिटेगा, जो इससे हो रहा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : धर्म के लिए यह कानून बना है, यह मन से हटा दीजिये। लेकिन मन्दिरों में जो सम्पत्ति इक्ट्ठी होती है, महन्त हैं, पुजारी हैं उनके उनमें विलासिता आती है, और उससे दुराचार, व्यभिचार बना है। यह धन के संग्रह से और उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति हो जाने से हुआ है। इसका कुछ असर पड़ता है, तो उन लोगों पर पड़ता है। माननीय सदस्य ने संकेत से कहा कि मन्दिर में बहुत

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कुछ मिट चुका है। यह केवल एक मन्दिर के लिए नहीं है। जिस ज़िले का मैं रहने वाला हूं वहां पर कामवन का एक मन्दिर है, यह गुंसाइयों से सम्बन्धित है। वहां से जाकर पूछ लीजिए कि क्या वैयक्तिक, उनके वैयक्तिक आचरण क्या हैं और वे किस स्थिति में है। एक युग था जब गुंसाई व महन्त नैतिक आदर्शों के आदमी थे। जिस समय सम्प्रदाय आरम्भ हुई, जब जब महन्त और गुंसाई का आविर्भाव हुआ उसके बाद आचार्य परम्पपरा चली। आदर्श पूर्ण आदमी कुछ रहे और यदि ऐसा नहीं होता तो देश के विद्वान, बहुश्रुत, बहु पंडित लोग भी अन्धविश्वासी हो जाते। जब परम्परा चली तो सैकड़ों और हज़ारों वर्षों तक परम्परा चली, कि ऊंचे दर्जे के त्यागी तपस्वी वास्तव में जो कांचन मुक्त होते थे, जिनको सोना चांदी या किसी प्रकार भी धन का प्रलोभन नहीं होता था वे ही लोग महन्त होते थे। उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी शंकरचार्य के सम्बन्ध में एक जन श्रुति प्रचलित है कि वास्तव में वे त्यागी थे या नहीं, इस बात की जांच करने के लिये सुधन्वा राजा ने वह परीक्षण किया कि शंकराचार्यजी त्यागी है या नहीं, क्योंकि वे उनको अपना गुरू बनाना चाहता थे अतः उस राजा ने उनके त्याग की परीक्षा लेना उचित समझा। और इस तरह परीक्षण की कि स्वामी जी जिस जगह शौच जाया करते थे, उस रास्ते में सोने चांदी और जवाहरात डलवा दिये। लेकिन शंकराचार्यजी अपने शौच आदि क्रिया से निवृत होकर उसी तरह वापिस आजाते हैं, उसके बाद वह राजा अपने गुप्तचर को भेजता है, कि देखो वह सोना, चांदी, जवाहरात वे ले गये या नहीं। वे देखते हैं, कि जितनी मात्रा में सोना, चांदी, जवाहरात आदि डाले गये थे उतनी ही मात्रा में वहां उसी तरह रखे हुए मिल गये। इस प्रकार से कितने ही महात्माओं की परीक्षायें हुआ करती थी, इसी प्रकार से विलासीपन और व्यभिचार आदि की भी उस समय परीक्षायें हुआ करती थी, और वास्तव में जो इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे, उन्हीं को इस प्रकार का ऊंचा स्थान मिलता था। लेकिन आज के समय में इतने त्यागी तपस्वी और दमन शील साधुओं का मिलना एक स्वप्न मात्र है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या देवस्थान विभाग के कमिश्नर को आप इस तरह का त्यागी मानते हैं ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आप साधु सन्तों में उन्हें न मिलाइये। जहां तक विधेयक की मंशा है, वह केवल इतनी है, कि मन्दिरों में गिरजाघरों में या अन्य धर्म स्थानों में जहां सम्पत्ति जनता से इकट्ठी होती है उस सम्पत्ति का सदुपयोग हो, केवल मात्र इस विधेयक की यही मन्शा है। माननीय सदस्य को यह भी आशंका है कि यह इस प्रकार का विधेयक केवल जनतंत्री राज्य और कांग्रेस के राज्य में कैसा हुआ ? मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं, कांग्रेसी राज्य के आने से पहले भी, कम से कम भरतपुर ज़िला में गंगा माता का मन्दिर है, जो वहां राजा महाराजाओं की तरफ से बनवाया गया है, लेकिन पैसा जो उसमें इकट्ठा होता है वह सब जनता की ओर से होता है, उसकी व्यवस्था आज से नहीं बहुत

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

दिनों से कमेटी के हाथ में है, ट्रस्ट के हाथ है। वह कमेटी आज से नहीं बल्कि जब से कमेटी ने उसको अपने अधिकार में लिया है तभी से वह कमेटी जनता द्वारा चुनी हुई होती थी। तमाम शहर उसको चुनकर भेजता था। इसी तरह ही लक्ष्मणजी का मन्दिर है, हालांकि राजा महाराजाओं द्वारा निर्मित है किन्तु उसकी व्यवस्था आदि का भार कमेटी पर ही रहता है। राजा महाराजा मन्दिर बनवा कर जनता के सुपुर्द कर देते थे। वैसी हालत में वे ताम्रपत्र पर लिख कर देते थे कि यह मन्दिर हम जनता के लिये अर्पित करते हैं, और उसकी व्यवस्था जनता की ओर से की जाती थी। इससे यह मानना चाहिये, कि वह मन्दिर किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं मान जाता था बल्कि वह सम्पूर्ण जनता की सम्पत्ति मानी जाती है। वैसी हालत में ट्रस्ट के बना देना से या कमेटी का निर्माण कर देनें से यह मान लेना कि यह तो धर्म पर आघात है कतई उचित नहीं है। इसमें केवल व्यवस्था के बारे में ही उल्लेख है। जितनी भी धन सम्पति जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, वह किसी महन्त की नहीं है, वह किसी एक सम्प्रदाय की नहीं है, या कुछ लोगों की वह सम्पत्ति नहीं है, वह जनता की सम्पत्ति है। मन्दिरों और मठों की सम्पत्ति जनता से चाहे वह एक एक पैसे के रूप में हो, वह जनता से आती है उस हालत मे उस सम्पत्ति पर जनता का पूर्ण अधिकार है।

अब प्रश्न यह है कि उस सम्पत्ति का उपयोग किस प्रकार से हो। आप व्यवस्था को ला सकते हैं, महन्त महाराजा को रखा जाय या किसी सम्प्रदाय को रखी जाय। आज के युग में जहां जन तन्त्रीय शासन है, विधान सभा है केन्द्र में लोक सभा है वैसी हालत में जनता को यह हक है, विधान सभा द्वारा इस सम्बन्ध में व्यवस्था होनी चाहिये ताकि इस प्रकार से जो जनता का धन है उसका दुरूपयोग न हो। जैसा कि मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि पं० नेहरू ने साधु समाज में यह कहा है कि इस सम्बन्ध में लोकसभा कानून बनायेगी मन्दिरों और मठों की सम्पत्ति के सदुपयोग के बारे में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में इस प्रकार का पहले कानून बन जाता है जिससे इस प्रकार की सम्पत्ति का सदुपयोग हो सकता है तो हमें केन्द्र के कानून की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिये।

इसके अलावा भी आपको एक और बड़ा आक्षेप है यह है हिन्दू शब्द के हट जाने सम्बन्ध में। मुझे यह याद है कि जिस समय यह बिल मूल रूप में आया था उस समय इसमें हिन्दू शब्द था। हिन्दू शब्द को हटाने के बारे में इस ओर से या उस ओर से किन्हीं माननीय सदस्यों ने संशोधन दिया था। उस सम्बन्ध में कुछ युक्तियां भी दी गई थी और इसी कारण से यह हिन्दू शब्द हटाया गया। मुझे ठीक से तो याद नहीं किन्तु जिस समय मृत्युभोज विधयक हमारे यहां आया था उसमें भी हिन्दू शब्द लगा हुआ था। यह केवल हिन्दुओं के मृत्युभोज पर ही लागू होगा, यह देखकर मुझे उस समय भी यह अनुभव हुआ था कि यह केवल हिन्दुओं के लिए ही क्यों? क्या मुसलमानों में मृत्युभोज नहीं होते? हमारी तरफ जो मेवों का इलाका है उसमें कितने ही गांवों की पाल होती है। जिनका मृत्यु भोज में खाना खिलाया जाता है वैसी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हालत में यह बिल दूसरे रूप में हमारे सामने है, उसमें हिन्दू शब्द नहीं है। मतलब यह कि यह सब के लिए समान रूप से लागू रहेगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इससे मुसलमानों का सम्बन्ध रहेगा या नहीं ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इस सम्बन्ध में मुझे बतलाने का अधिकार नहीं। आसन की ओर से और माननीय मंत्री महोदय की ओर भी इस बात का कई बार संकेत हो चुका है, मंत्री महोदय कई बार बतला चुके हैं कि मुसलमानों के लिये वक्फ कानून अलग है। उसी तरह से अजमेर दरगाह के लिये भी बहुत दिनों से एक ट्रस्ट बना हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिए कानून अलग है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ईसाईयों और सिक्खों के भी तो कानून बना हुआ है, उनको भी डर लगा हुआ है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जहां तक मुझे पता है, मुसलमानों के लिये अलग कानून है। हमने जो इसमें दिखाये हैं, जो हमारे सामने हैं हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, जैन, पारसी ये बड़े बड़े धर्म हैं, जो हमारे सामने आते हैं। मुसलमानों को छोड़कर चूंकि उनके लिए अलग से कानून बना हुआ है यह कानून अन्य धर्मावलम्बियों के लिये है इसलिए इसमें से हिन्दू शब्द निकाल दिया गया है। मंदिरों के अन्दर अनाचार अत्याचार जो फैला हुआ है, वे कैसे हटते हैं, इसके बारे में भी कहा गया वे जब ही हटेंगे जब हमारा और आपका और हमारे उन भाईयों का जो वहां काम करते हैं, उनका नैतिक स्तर ऊंचा होगा लेकिन कलयुग में इसका मूल कारण जो है वह धन है। सम्पत्ति जिसके पास ज्यादा होती है, हमारे राजा महाराजा लोग जागीरदार लोग, सेठ साहूकार जो धन सम्पत्ति और वैभव में पले हुए हैं, वे इस बात को जानते हैं कि धन से कितने कितने दुर्गुण आ जाते हैं। एक शराब खोर किसी बुराई की चेष्टा करता है तो उसका बहुत बड़ा कारण है, धन चाहे वह तनख्वाह के रूप में हो या किसी प्रकार की आमदनी के रूप में हो, जहां पैसा ज्यादा जमा हो जाता है, वहां इस प्रकार के दुर्गुण आ जाया करते हैं। इस सम्बन्ध में एक चूहे की कहानी है। चूहा बहुत उछल कूद किया करता था वह उछल कूद में इतना ऊंचा उठ जाया करता था कि जो कोई उसे देखते वे आश्चर्य करने लगते हैं उसके बिल को देखा गया तो मालूम हुआ कि उसके पास धन का बहुत बड़ा संग्रह रखा हुआ है। उस धान को निकाल दिया गया और बिल को चुन दिया गया तो यह हाल देखकर चूहा उछल कूद भूल गया। यह उदाहरण यह बताता है कि जहां धन और सम्पत्ति और उस पर एकाधिकार और स्वामित्वपन हो जाता है उस समय तो कहना ही क्या। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं यह समझा हूं कि इस प्रकार जिस के पास बहुत अटूट सम्पत्ति है और उन मन्दिरों की सम्पत्ति पर ट्रस्ट कायम करने का है, जिनकी आमदनी ३६०० या उससे ऊपर होगी। जब आप कहते हैं, हजार बारह सौ को आपने क्यों न रखा उनको क्यों छोड़ दिया ३६०० रुपया इसलिए छोड़ा गया है कि ३०० रुपया माहवार आज

के युग में इतनी अधिक नहीं है कि उसमें से कुछ बचत रह सके और जिससे आराम तलब और विलासिता का जीवन व्यतीत कर सके। जितना ऊपर से ऊपर पैसा पहुँचता जायेगा यह निश्चय है कि उस पैसे का उतना ही दुरुपयोग होगा।

श्री मदनसिंह : क्या चरित्र निर्माण के लिये ३००० रुपया वार्षिक आय होनी चाहिये ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : हमारी आय तो बहुत होनी चाहिये 'अदीनां श्याम शरदं सतम्' हमारे देश में कोई दीन न रहे पर आज की स्थिति में आप कहते हैं, एक तरफ करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति है और दूसरी तरफ भूखों मरते हैं लोग। तो एक स्तर बनाना पड़ता है कहीं न कहीं तो। आज सीलिंग में भी कह सकते है इतना नहीं इतना होना चाहिये। पर कहीं न कहीं तो सीमा बनानी ही होगी। आप अशोक सीता की बात करते हैं। सीता को अशोक के नीचे ही क्यों रखते हैं। आप ४८ सौ करते तब भी यही कहते ४८ सौ क्यों करते हैं, तो यह कोई न कोई सीमा तो निर्धारित होगी ही। अब ३६००) मान लिया है तो उसके लिए भी कहते हैं इसका दुरुपयोग होगा। होने को तो दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। समाज स्वयं सुधरे। अब इसमें सरकार अंकुश केवल इतना ही लगाना चाहती है कि उस सम्पत्ति का सदुपयोग हो। जनता जैसा चाहे वैसा उसका उपयोग हो। उससे आप संस्कृत की पाठशालाएं और औषधालय खुलवा सकते हैं और भी जनोपयोगी काम हो सकते हैं। यह इसमें है। तो ऐसी स्थिति में धर्म का नाम लेकर इसका विरोध करना तो नितान्त निर्मूल है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह पंवार।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में इस कानून के सम्बन्ध में दो चार बातें, जिनको आवश्यक समझता हूं, रखना चाहूँगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने राय प्रकट की कि इसमें आवश्यक संशोधन आ गये हैं। मगर एक भारी त्रुटि जिसकी ओर मैंने पहले ध्यान आकर्षित किया था, मैं उसको हूबहू उसी रूप में इस में पाता हूं।

मैंने बताया था कि मंदिर इत्यादि जिन संस्थाओं को हम इस विधेयक के अन्तर्गत ला रहे हैं उनके सम्बन्ध में मौजूदा कानून में जनता को यह अधिकार है कि वह उनकी बद-इन्तजामियां अगर देखें तो उनके विरुद्ध सरकारी न्यायालयों में न्याय प्राप्त करें। उनको सरकारी न्यायालयों में ले जावें और वहां से उचित व्यवस्था लें। ऐसा अधिकार मौजूदा कानूनों में था। मगर इस कानून में हमने आम जनता को उस अधिकार से रोक दिया। कोई भी न्यायालयों में मन्दिरों की दुर्व्यवस्था के प्रश्न को लेकर नहीं जा सकता। इसके अलावा यह अधिकार किसको दिया है। देवस्थान कमिश्नर और मातहत अधि-कारियों को यह अधिकार दिया है और अधि-कार दिया है उनको कम्पलेन्ट का। कम्पलेन्ट की उनको मोनोपोली दे दी है। वे अधिकारी ही अगर चाहें तो अनुमति दे सकते हैं कि उनको न्यायालय में ले जाया जाय अन्यथा।

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

ले जाया नहीं जा सकता। ऐसी कम्पलेन्ट की मोनोपोली, शिकायत करने का एकाधिकार कुछ अधिकारियों के तहत में हम देते हैं। इसका अर्थ होता है वे अधिकारी अगर चाहें तो अव्यवस्था का मामला न्यायालय में ले जाए नहीं तो उनकी अव्यवस्था का प्रश्न न्यायालय में जा ही नहीं सकता। अगर आपके ये सरकारी अधिकारी ऐसे हैं जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि भगवान शंकराचार्य का परीक्षण लिया गया सोने चांदी का ढेर उनके सामने रखकर। पर उन्होंने एक को भी नहीं छूआ। पर ऐसे कितने अधिकारी हैं आपके जो शंकराचार्य की तरह लोभ लालच से दूर रह सकते हैं, सोने चांदी की चमक में फंस नहीं सकते। छोड़ने का सवाल नहीं, यहां तो, यहां तो दूसरे की जेब से निकालने का प्रयोग करने की भी चेष्टा अगर करनी पड़े तो वह चेष्टा करके दूसरे की जेब से भी निकालने में संकोच नहीं करते हैं ये। हमारा यह तो आज का एक साधारण नैतिक स्तर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो शिकायत करने का उनको जो एकाधिकार आप दे रहे हैं तो उस अधिकार का दुरुपयोग नहीं होने वाला है यह निश्चित है। बल्कि दुर्व्यवस्था को संरक्षण देने में ही उसका उपयोग होगा। एक प्रकार से तमाम मंदिरों की व्यवस्था इसी रूप में चलेगी। आप कहेंगे की व्यवस्था तो ट्रस्ट करेगा। पर ट्रस्ट के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार आपने उनको दे रक्खा है, अधिकार ही नहीं बल्कि एकाधिकार दे रक्खा है और अगर ट्रस्टीज यह समझें कि कोई गड़बड़ है तो वे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर मुकद्दमा लड़ें। अब मुकद्दमा लड़ने में काफी किल्लत उठानी पड़ती है, वकील करना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, पेशियों पर जाना पड़ता है। तो यह स्वाभाविक आम आचरण का नियम है कि लोग इज्जत से बचना चाहता हैं। उसके अनुसार इस झंझट को टालने के लिए देवस्थान कमिश्नर को खुश रखना पसन्द करेगा। तो यह शंका निर्मूल नहीं है कि लोग देवस्थान कमिश्नर की ओर ताकेंगे। तो यह एक तरफ तो इनको शिकायत करने का एकाधिकार, दूसरी तरफ सम्पूर्ण अधिकार और तीसरी तरफ यह ब्रोदरेशन से बचने का खयाल। इन तीनों चीजों को लेकर देखें तो यह दुर्व्यवस्था तो और अधिक बढ़ने वाली है, उस अव्यवस्था को संरक्षण मिलने वाला है। इसके लिए इस स्थिति को रोकने के लिए इस कानून में न कोई संशोधन आया और न इस ओर ध्यान ही दिया गया। यह इसकी सबसे बड़ी त्रुटि है। जिसकी ओर मैं सरकार का और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कलेवर बदलने के साथ यह बात ज्यों की त्यों मौजूद है।

दान के बारे में बहुत बातें की गई। दस नियम भी बताये। सदाचरण आचरण का नियम है। धर्म तो उससे बड़ा है। यह चर्च के रूप में होता है एक आर्गेनाइजेशन होता है धर्म। केवल व्यक्तिगत आचार से धर्म नहीं हो जाता। वह तो धार्मिक लोगों को सद्पुरुषों का आचरण है। पर उस सदाचरण के नियमों में भी सत्य का नियम माना गया है। इसके बिना कोई भी आचरण नहीं टहर सकता। सत्य के बिना तो फिर वह आचरण कपट पूर्ण पाखण्ड हो जाता है। कितनी भी माला फेरिये, अगर उसके साथ सत्य नहीं जुड़ा हुआ है तो वह कपटपूर्ण आचरण है। इसी प्रकार इस कानून में भी कपटपूर्ण पाखण्ड

Page No 57

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

इन्ट्रोडयूस कर दिया है । कपट इन्ट्रोडयूस कर दिया है । बहस चली कि यह कानून हिन्दुओं के लिये किया गया। दूसरी कोई संस्था इसमें नहीं आती। क्यों नहीं आती ? क्या उनमें बहुत रुपया इकट्ठा नहीं होता। क्या जो हिन्दुओं से इतर प्राणी हैं उनमें प्रलोभन के भाव पैदा नहीं होते, क्या वे लालच से परे हैं. लोभ उनको नहीं सताता, वहां दुर्व्यवस्था नहीं हो सकती, पैसे का दुरुपयोग वे नहीं कर सकते ? इत्यादि दलीलें दी गई। और हिन्दू शब्द को हटाने के पीछे भी यही दलील थी कि यह पक्षपात क्यों। यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों । एक सम्प्रदाय के लिये आप कानून बनावें और दूसरी के लिये नहीं, यह ऐसा क्यों। इस उच्च भावना से प्रेरित होकर हिन्दू शब्द आपने इसमें से निकाला। पर इसके कलेवर में इस से अन्तर कुछ नहीं आया। कानून तो वैसा ही पड़ा है । मैंने बताया कि ट्रस्ट की परिभाषा में आपने मंदिर और मठ लिये, इसमें चर्च आदि नहीं आये। संविधान को उठाकर देखें उसमें राज्य विधान सभा को अधिकार दिये हैं सेवन्थ शिडूल की लिस्ट डी में आइटम लिखे है उन पर, पर उसमें से एक भी इस कानून में नहीं आता। तीसरी लिस्ट जैसी है आइटम २८ और आइटम १० में ट्रस्ट और ट्रस्टीज़ लिखा है। इसके सम्बन्ध में राज्य सरकारें नियम बना सकती हैं। ट्रस्ट की जो संविधान में परिभाषा दी है वह आपके कानून में की परिभाषा नहीं है । पहली भूल तो उसको रखने में यह हुई। क्योंकि संविधान तो पिता है और आपका कानून तो पोता है उसका। पोता के ज़माने में जो परिभाषा दे रहे हैं वह बाप के ज़माने में नहीं थी। उस में ये मंदिर और मठ आते नहीं क्योंकि वह ट्रस्ट प्रोपर्टी नहीं है। मैं संक्षेप में बता दूं। ट्रस्ट और नान ट्रस्ट एन्डोमेंट में क्या भेद है। मैं अगर एक लाख रुपया देता हूँ किसी पण्डित समूह को और कहता हूँ कि यह एक लाख रुपया मैं आपको इस वास्ते देता हूं कि आप इससे मन्दिर की स्थापना करिये और इसकी एस्टेट का ठीक से नियमन कराइये। यह ट्रस्ट होगा।

पर मैं बिना किसी कन्डीशन के वह एक लाख रुपया उनको भेंट कर देता हूँ। कि यह लीजिये आप एक लाख रुपये, मेरी आप में आस्था है, आप पण्डित लोग हैं, तपस्वी और त्यागी लोग हैं, धर्म की मर्यादा से वाकिफ लोग हैं और इस मेरे विश्वास के साथ में एक लाख की थैली आपको भेंट करता हूं आप जैसा और जो चाहें जिस तरह से उसका उपयोग कीजिये । मेरी आप पर कोई बन्दिश नहीं है । अब उससे मन्दिर बनाया जाता है तो वह ट्रस्ट नहीं है । दान देने वाला कहता है आप इस के स्वयं स्वामी हैं। वह आपका मन्दिर है। मेरा दिया हुआ ट्रस्ट नहीं है। मेरे दिये हुये धन में से बना है पर ट्रस्ट नहीं है क्योंकि उसने उसके साथ कोई कन्डीशन नहीं लगाई। तो यह ट्रस्ट और दान का भेद होता है। तो श्रीमान्, मन्दिर और मठ आपकी इस व्याख्या में आपकी इस परिभाषा में आ नहीं सकते। वह तो गुरु को दी हुई सम्पत्ति है, आचार्य को दी हुई सम्पत्ति है जैसे पूर्व समय में गुरुकुल में पढ़कर विद्यार्थी आता था और वह गुरू को दक्षिणा देकर आता था तो वह दक्षिणा ट्रस्ट नहीं हो सकती उसी तरह उस दान में दिये हुए द्रव्य से बने मन्दिर और मठ ट्रस्ट नहीं हो सकते। यह बिल्कुल गलत चीज़ है

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

कि आप उनको ट्रस्ट मानें। वस्तुतः आपकी ट्रस्ट की यह परिभाषा ऐसी है जैसे आम भाषा में कहते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो गया, तो यह अर्थ का अनर्थ है। आप खामखां में मन्दिर और मठ को ट्रस्ट की परिभाषा में घुसेड़ कर अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं पर आपके अनर्थ करने से संविधान की सेवन्थ शिड्यूल की लिस्ट तीन में आइटम १० में दिया हुआ ट्रस्ट शब्द का अर्थ नहीं बदल जावेगा। उसका अर्थ वही रहेगा। अगर आपने उसकी परिभाषा बदल दी है तो आपका कानून न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जायेगा। तो श्रीमान्. मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कृत्रिम परिभाषा से मंदिरों और मठों को उसमें लिया है। अब मान भी लिया जाये कि आपने उनको जायज़ लिया है फिर भी आपने केवल टेम्पल और मठों को ही लिया है उसमें आपने मस्जिदों को, चर्चों को नहीं लिया है। बावजूद इसके कि आपने हिन्दू का शब्द वहां से काट दिया, वह उन पर लागू नहीं होता। आप इस कानूनी चीज़ को भूल जाते हैं। आपने हिन्दू शब्द को हटा दिया पर इसका कलेवर वैसे का वैसा है। ट्रस्ट का जो अर्थ है वह तो सर्व मान्य है वह आप की परिभाषा से नहीं बदलता है। केवल मात्र सदन के कुछ सदस्य कहें कि हमने हिन्दू शब्द को हटाया और उसका कानूनी असर क्या हुआ ? यह कानून के नहीं जानने वालों को भुलावा है, यह एक प्रकार से राजनैतिक कपट है। आपने उस हिन्दू शब्द को हटा दिया पर सारे कानून का कलेवर तो वैसे का वैसा है। हिन्दू शब्द के हटने से भी यह बिल उन्हीं तक सिमित है और ऐसा करके मैं समझता हूं कि आपने लोगों की नासमझी का फायदा उठाया है।

अब मैं आपको आगे बताऊं कि इसमें विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है इस विधेयक की बुनियादी चीज़ों पर तो बहस हो गई और मैं इस पर अब ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन आपकी जो टेन्डेन्सी है वह यह है कि आप धार्मिक और संस्कृतिक संस्थाओं के ऊपर थियोक्रेटिक टैन्डेन्सी अपना रहे हैं। मैं कोई धर्म का पण्डित नहीं हूं, कोई शास्त्री नहीं हूं और अपनी छोटी मोटी अकल से जितना कह सकता हूं उतना भी नहीं कहूँगा। मैं तो एक राजनैनिक दृष्टि से कहूंगा कि इसका अर्थ यह होगा कि जिस चीज़ का हम नो नो जुबान से विरोध करते हैं उसके उपरान्त भी आज धर्म और संस्कृति में हस्तक्षेप हो रहा है। मेरे कहने का अर्थ है कि हमारे देश के अन्दर साम्प्रदायिक राजनीति नहीं होनी चाहिए। वह हमारे देश के लिए घातक है और जो राजनीति में साम्प्रदायिकिता घुसेड़ रहे हैं हम उनके लिए बुरे से बुरे शब्द कहने में नहीं हिचकते। मगर धर्म से राजनीति को सम्बन्धित करके संस्कृतिक पर परम्पराओं पर राज्य का अधिकार कायम करने का अर्थ यह होगा कि आप सम्प्रदायिक राजनीति को निमन्त्रण देते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिए घातल चीज़ है। एक और दूसरी चीज़ है कि आप सम्प्रदायिक राजनीति को निमन्त्रण नहीं देते पर जनतन्त्र की बुनियाद को काटते हैं। श्रीमान्, लोकतन्त्रीय व्यवस्था को कायम रखने के लिए चुनाव की प्रणाली से संसद सदस्य बना देना ही पर्याप्त नहीं है। इस तरह लोकतन्त्र कायम नहीं होता डेमोक्रेसी इज़ ए वे आफ लाइफ इट इज़ नाट ए वे आफ गवर्निंग। केवल हुकुमत को संचालिन करने से ही डेमोक्रेसी नहीं होती।

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

डेमोक्रेसी लोगों के जीवन बिताने का ढंग है, उनका जैसा जीवन दर्शन है और उसको कायम रखने के लिए देश में जनतन्त्रीय प्रवृत्तियां पनपनी चाहिए अन्यथा जैसे कि मुस्तफा कामरां ने वहां पर असेम्बली बनाई और उसमें लोगों को नोमीनेट किया पर लोगों ने डिबेट में भाग नहीं लिया और उसका नतीजा यह हुआ कि उसको डिज़ाल्व करना पड़ा। क्योंकि वहां के लोगों की भावना नहीं थी। जैसे कि कमाल पाशा ने डिक्टेटरशिप कायम की थी और जन जीवन को चलाने वाली संस्थायें थी उनको मिटा दिया था। तो राजनीति के अन्दर कैसा असर पड़ने वाला था। तो श्रीमान् आज हम क्या करते हैं कि हमारी छोटी छोटी सांस्कृतिक संस्थाओं को चलाने के लिए आदमी के पास सरप्लस इन्कम होनी चाहिए। लोगों के पास केवल रोटी और कपड़े मात्र का पैसा रहा तो beyond immediate necessities of process of living. एक जनतांत्रिक तरीके पर आपका फर्ज है कि आप उनको वह उपलब्ध करायें जनता के पास सरप्लस इन्कम होनी चाहिए। जो कदम आप उठा रहे हैं और साम्प्रदादिक राजनीति कायम करना चाहते हैं इससे तो लोकतांत्रिक प्रणाली धीरे धीरे घुल जायेगी। जिस धरती के लिए कहते आये हैं कि यहां जगत के गुरु पैदा हुए हैं अब यहां जगत के मज़दूर पैदा होंगे। यह किस प्रकार की विचार धारा आप लेकर चल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी मोटी बुनियाद जिसको महान पाश्चात्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया और हम उस पर ध्यान से सोचते भी नहीं। मैं समझता हूं कि आप इसको पास कर लीजिए और मैं यहां तक मानता हूं कि हिन्दुओं की जो गई गुजरी हालत है और जन चेतना की जो गई गुजरी हालत है उसमें कोई बोलेगा नहीं। आप इसको पास कर लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहां तक कि आप जबरदस्ती उनकी बेटियों को उठा भी लें तो आज तक हिन्दुओं की चेतना इतनी गिरी हुई है कि लोगों के कानों तक पर जूं नहीं गुजरेंगी। आज जन चेतना का यह हाल है। तो इस प्रकार का कानून पास हो सकता है। असर उसका नहीं होगा और जिस रोज़ असर होगा उस रोज़ यह देश जागेगा। मगर आप इन बुनियादी बातों पर सोचें तो अच्छा है वरना जैसे एक साइकिल चला करती है व्यक्ति के जीवन में ज्वाला आती है, उभार आता है जातियां बढ़ती हैं गिरती हैं इसी प्रकार से स्वतंत्रता चली भी जायेगी। यही मुझे कहना था।

श्री उपाध्यक्ष : पूर्व निश्चयानुसार मन्त्री महोदय अपना भाषण शुरू करने थे। अतः वह शुरू करें।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : मुझे बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले व्यवस्था ले ली गई थी।

श्री लक्ष्मीचन्द : फिर तो बोलने वालों के लिए समय निर्धारित कर लेना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : खैर, मन्त्री महोदय शुरू करें।

श्री अनोपसिंह : ही इज़ वन आफ दी पिटीशनर्स। इनको तो मौका मिलना चाहिए।

Page No 60

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि इस सम्बन्ध में पहले व्यवस्था ले ली गई है कि ११ बजे वादविवाद समाप्त हो जायेगा । क्योंकि श्री पंवार बोल रहे थे अन्यथा समय को आगे बढ़ाना उपयुक्त नहीं था । अत : माननीय मन्त्री महोदय अपना भाषण आरम्भ करेंगे ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कहां तक उचित होगा कि आज इतनी बड़ी चीज़ है और इसके अन्दर आरग्यूमेंन्ट्स भी अच्छे दिये गये हैं और जैन सम्प्रदाय की ओर से आप अच्छी चीजें लाये हैं । अगर ऐसा व्यवहार अपोज़ीशन के साथ रहा तो हम कहते हैं कि न तो कानून को बनाना ही चाहते हैं और न...

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है कि मन्दिरों का रजिस्ट्रेशन होगा । तो उपाध्यक्ष महोदय, जहां रजिस्ट्रेशन का प्रश्न आता है वहां रजिस्ट्रेशन एक मामूली मन्दिर का भी करना पड़ेगा और उस रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सरकार को फीस देनी पड़ेगी और वह फीस आयेगी कहां से ? वह उसी मन्दिर के पैसे में से आयेगी । तो दानदाता ने पैसा इस नीयत से नहीं दिया है कि मेरा पैसा सरकार की कोर्ट फी में और रजिस्ट्रेशन में जायें । इस प्रकार से जो दानदाता की भावना है उसकी नहीं की जायगी, और उसके साथ विश्वासघात होगा जिनसे विश्वास से पैसा लेते हैं कि उनके पैसे का सदुपयोग होगा और दूसरी तरफ इस प्रकार कान्ट्रेक्ट होता है. इस प्रकार से दान देने का जो तरीका है, वह जो दान देता है वह दान इस मतलब से नहीं देता है कि उसके पैसों को रजिस्ट्रेशन फीस में खर्च किया जाय । उसके पैसे को रजिस्ट्रेशन फीस में खर्च करते हैं तो उसके साथ में निश्चत तौर पर मानना पड़ेगा कि उसके साथ में विश्वासघात होता है । ट्रस्टी विश्वासघात उसके साथ में करेंगे तो, उपाध्यक्ष महोदय, निश्चय रूप से यह मानना पड़ेगा कि कोई लोग पैसे देंगे नहीं ।

दूसरा, इस कानून के अन्दर इस किस्म की व्यवस्था रखी है कि स्पेशल ऑडिट करवाया जायगा । सरकार चाहती है कि स्पेशल ऑडिट करवाने के लिए कार्यवाही हो, तो जहां तक ऑडिट का प्रश्न है मुझे कहने का विशेष अधिकार नहीं है । जहां तक खर्च का प्रश्न है तो इसमें इस प्रकार का अधिकार रखा गया है कि स्पेशल ऑडिट का खर्चा ट्रस्ट से लिया जायगा । तो हमारा पैसा इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप ऑडिट पार्टी भेजे उसका खर्चा संम्प्रदाय वाले, या धर्म के नाम पर जिन लोगों ने दिया है उनसे खर्च होगा । हमारा पैसा ७किस्म से खर्च किया जा सकता है, मन्दिर पर, मूर्तिपर,ज्ञानपर, साधु व साध्वी पर और श्रवक और श्राविकाओं पर । इस प्रकार से अलग अलग दानदाता अलग अलग से देता है । किसी की साधु के प्रति श्रद्धा होती है, किसी की श्रावक के प्रति श्रद्धा होती है, किसी की ज्ञान के प्रति श्रद्धा होती है, किसी की मन्दिर के प्रति श्रद्धा होती है । हमारे धर्म के अन्दर इस प्रकार से लिखा गया है कि एक फण्ड का पैसा दूसरे फण्डमें खर्च नहीं हो सकता है । उसके विपरित खर्च करते हैं तो धर्म का मानने वाला नहीं माना जा सकता है । आप हमारी धर्म की भावना जो है उसको कुचलने का अधिकार कर रहे हैं । इससे हमारी धार्मिक भावना कुचली

(श्री लक्ष्मीचन्द)

जायगी । ७ प्रकार के दान के सिवाय दूसरी चीज़ नहीं होती है ? इसके अलावा कोई मन्दिर के नाम से पैसा नहीं देता है । हमारे यहां ७ प्रकार के दान होते, हैं और ७ प्रकार के इन दानों में पैसा दिया जायगा । लेकिन आप कहते हैं कि स्पेशल पार्टी जायगी ऑडिट करने के लिए उसका खर्चा किया जायगा तो उसके लिए ज़रिया कौन सा निकाला है । उसका ज़रिया यही होगा कि दानदाता का दान दिया हुआ है उसमें से इस प्रकार से खर्चा किया जायगा तो स्पष्ट रूप से यह मानकर चलना पड़ेगा कि आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि मन्दिरों की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, पैसे का सदुपयोग नहीं होता है, तो मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि सरकार इस पैसे का सदुपयोग नहीं कर सकती है । जहां पर पैसे के खर्च का प्रश्न है आप कहते हैं कि ट्रस्ट को देना पड़ेगा तो ट्रस्ट के मेम्बर्स अपनी पाकेट में से पैसा नहीं देंगे और मन्दिरों की प्रोपर्टी से देंगे और मन्दिरों की प्रोपर्टी से खर्च किया जायगा तो दान देने वाले की भावना कुचली जायगी । उसके साथ में विश्वासघात होगा । लोग उसका विश्वास नहीं करेंगे । उसका परिणाम क्या होगा कि इसमें यह कहा गया है कि उसके बारे में हम पूर्णतया स्वतन्त्र होंगे, लेकिन स्वतन्त्र होते हुए भी सरकार के आदेश के अनुसार पैसा देना पड़ेगा और अगर पैसा देंगे तो उसके साथ विश्वासघात करेंगे और उसका परिणाम क्या होगा कि जो अच्छे सज्जन हैं वे ट्रस्ट में नहीं रहेंगे । यह पूर्ण रूप से मानकर चलना पड़ेगा कि जो घर बैठे बिना कहे लाखों रुपयों का बजट बना देते हैं तो आप कहेंगे कि इसमें पैसा दो, स्पेशल ऑडिट पार्टी के अन्दर खर्च करो तो खर्च करने को तैयार नहीं होंगे । खर्च करने को तैयार नहीं होंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि उनको मेम्बरशिप से हटाना पड़ेगा और मेम्बर्स वे लोग आ जायेंगे जो कि सरकार के इशारों पर नाचने वाले हों । मैं तो फिर खाओ और खाने दो तथा जीओ और जीने दो वाली बात होगी । मन्दिर का पैसा है सरकार कहती है कि इस प्रकार से खर्च करो, सरकार कहती है उस प्रकार से खाओ, सरकार कहती है उस प्रकार से चलो, वह उसी तरह से करेंगे ।

इस कानून की धाराओं को लेकर चलते हैं और आप कहते हैं कि मन्दिरों का सुप्रबन्ध करेंगे तो मेरा विश्वास नहीं है कि आप कहते हैं कि मन्दिरों का पैसा वेस्ट जाता तो मैं कहता हूं कि सरकार के महकमें जितने हैं उस तरह से आपने इस कानून के अन्दर यह रखा है कि मन्दिरों का संचालन होगा, तो मैं कहता हूं कि जिस समय स्कूल को छोड़कर मैं सेशन कोर्ट के अन्दर गया दरख्वास्त लेकर तो मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि कुछ रखो, तो मैं समझा नहीं और यही समझा कि कहीं हवा से उड़ न जाय तो पत्थर रख दिया तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ रखो । तो उसके कहने का मतलब यही था कि इस पर कुछ न कुछ पैसा रखो । तो इस प्रकार से सरकार का नियन्त्रण सरकार के हर दफतर में इस प्रकार से चलता है तो पूर्णतया यह मानकर चलना पड़ता है कि वही असिस्टेन्ट कमिश्नर और कमिश्नर....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : कौन से मजिस्ट्रेट के सामने आप किस हैसियत से गये थे ? क्या आप मुख्तार की हैसियत से गये थे ?

श्री मदनसिंह : किसी भी हैसियत से गये थे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, स्टाम्प नहीं लगाये होंगे उसी के लिए पैसे के लिए कहा होगा।

श्री लक्ष्मीचंद : आप कैसे भी मान लो वह मजिस्ट्रेट साहब अब रिटायर्ड हो गये उनका नाम लेना फिजूल है।

श्री दामोदरलाल व्यास : किस हैसियत से गये थे? क्या आप मुख्तार की हैसियत से गये थे तो उस वक्त मैजिस्ट्रेट कौन थे। आप बतलाइये। जब आप एक एलीगेशनलगाते हैं तो आप बतलाइये कि कौन थे?

श्री लक्ष्मीचन्द जैन : मैं एक व्यक्तिगत हैसियत को लेकर गया था, और व्यक्तिगत हैसियत से परमिशन लेने गया था, उस वक्त पैसा रखने के लिये कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : २०, २५ साल पहले की बात होगी। We are not concerned with that.

श्री लक्ष्मीचन्द : सन् १६४३ की बात है। आप किसी भी अनजान आदमी से पूछ लें कि सुनवाई के लिए क्या व्यवस्था है जहां सुनवाई नहीं होगी तो मंदिरों का भी यही हाल होगा। एक एप्लीकेशन देने के लिए जाना पड़ेगा तो हो सकता है कि ऐसे ही अधिकारी मिलेंगे तो पैसे का दुरुपयोग होगा। मन्दिरों की व्यवस्था को जहां सुधारने के लिए चलते हैं वहां दुर्व्यवस्था होगी। मंदिरों के खर्चे से खस के टट्टे लगते हैं। हम राजा रईसों से कहते थे कि वे पैसे का दुरुपयोग करते थे तो यहां बजट के अन्दर प्रोवीज़न रखा है कि खस के टट्टे लगते हैं। इस प्रकार से कमिश्नर डिमान्ड करेगा। देवस्थान कमिश्नर को गर्मी से बचाने के लिए खस के टट्टे की गुंजायश की जाय। इस प्रकार से मन्दिरों के पैसों में से जायेगा।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर पहले एक धारा के अन्दर अलग अलग ट्रस्ट रखा गया था। तो वह योजना थी। मेरे को तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि अलग अलग रिप्रेजेन्टशन होगा। मगर इस वक्त जो इसमें हैं उनमें पूर्णतया स्वतन्त्रता के साथ रिप्रेजेन्टेशन नहीं हो सकेगा। नहीं तो हर धर्म के अनुयायियों का अपना अपना अलग ट्रस्ट होता, अलग अलग सुझाव देते। जैसा कि पहले कानून के अन्दर था कि जैनियों का अलग होगा, वैष्णवों का अलग होगा, तो अगर वह चीज़ कर दी जाती तो ज्यादा ठीक होता। उसको आपने जिस मकसद से हटाया है कि अलग अलग रिप्रेजेन्टशन कर सकते हैं, वोट दे सकते है। अलग अलग बोर्ड होता तो अलग अलग रिप्रेजेन्टेशन करते। अलग अलग बोर्डों के अलग अलग मैम्बर्स होते तो मंदिरों की व्यवस्था या उस संप्रदाय को चलाने के लिए जो धार्मिक स्थान हैं उनकी व्यवस्था अलग अलग से ठीक होती। कई जैनी ऐसे होते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में विश्वास रखते हैं और कई वैष्णव ऐसे होते हैं जो कि जैन धर्म में आस्था रखते हैं। हमारे महावीर स्वामी राजपूत थे लेकिन जैन सम्प्रदाय की तरफ श्रद्धा रखते थे और वे हमारे पूजनीय हो गये तो फलां जाति का होने से ही उस संप्रदाय का हो यह चीज नहीं है। अगर उसकी किसी अलग सम्प्रदाय के प्रति श्रद्धा होगी। जैसा कि आपने पहले कानून

(श्री लक्ष्मीचन्द)

में रखा था अगर वही का वही हो जाता तो मेरे को विश्वास हो जाता, लोगों में झगड़ा नहीं बढ़ता। जब तक कि कोई अतरंग भाव से एक दूसरे के धर्म के प्रति श्रद्धा व विश्वास नहीं रखते हैं वे लोग शामिल बैठकर इस प्रकार से ट्रस्ट का संचालन करेगें इसमें मुझे शंका है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि बोर्ड के मेम्बर्स कमिश्नर के इशारों पर नाचेगें, कमिश्नर और असिस्टेन्ट कमिश्नर के इशारों पर नाचेगें, और यदि दान दाता की जो भावना है उसके मुताबिक खर्च नहीं किया जायगा, इसलिए इसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, रीडिंग पर मनानीय सदस्यों ने अपने विचार प्रदर्शित किये, करीब करीब वही विचार हैं जो कि इस बिल को पेश करते समय और सेकिन्ड रीडिंग के दौरान में क्लाज़ बाई क्लाज़ के एमेंडमेंड के सिलसिले में विचार रखे। कोई नई बात कहीं नज़र नहीं आई है।

अजमेर से आये हुए माननीय सदस्य जो कि अभी यहां नहीं हैं, पहले भी भाषण दिया गया था और जवाब दिया गया तो उस वक्त थी नहीं थे। और अब इस वक्त भी नहीं हैं उन्होंने कुछ मुद्दे उठाये थे कानूनी बातों के कि टेम्पल ट्रस्ट नहीं हो सकता, मठ ट्रस्ट नहीं हो सकता और उस वक्त भी मैंने टेम्पल और मठ के लिये यह बताने की कोशिश की थी कि कानूनी तौर पर किस प्रकार से ट्रस्ट बन जाते हैं और आज फिर उन्होंने वही सवाल उठाया। मुझे फिर दुबारा जवाब दोहराना पड़ेगा यह स्थिति ठीक नहीं है लेकिन मैंने जैसा कहा था और उन्होंने यह बात उठाई थी कि मन्दिर बनाकर मूर्ति की भेंट किया जाता है लेकिन मंदिर बनाकर मूर्ति को भेंट करने के बाद वह मंदिर डेयटी का हो जाता है और वह मूर्ति केपेबल ऑफ एडमिनिस्टरिंग दि ओफरिंग और गिफ्ट बन जाती है। जो ओफरिंग और गिफ्ट टेम्पल में मूर्ति के पास आयेंगे उनको एडमिनिस्टर करने वाले जो लोग होंगे वे ट्रस्टी होंगे और वह मंदिर ट्रस्ट बन जाता है। शुरू में जो मंदिर बनवाये हैं उसके बाद जो भेंट देते है उसको एडमिनिस्टर करने वाले ट्रस्टी बन जाते हैं और वह टेम्पल ट्रस्ट बन जाता है। यही हाल मठों का है। बहुत से लोग कहते हैं कि मठों में धर्मोपदेश या धार्मिक शिक्षा दी जाती है और वहां पर आचार्य लोग रहते हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि मठों की प्रोपर्टी आचार्यों की खुद की प्रोपर्टी नहीं है। धर्म का उपदेश दिया जाय, प्रीचिंग ठीक तरह से दिया जाय इसके लिये जनता और राजा और महाराजाओं, जागीरदारों की तरफ से धन और बड़ी बड़ी जागीरें इन मठों के नाम पर दी गई हैं इसलिये कि उन मठों का खर्चा अच्छी तरह से चलाया जाय। यदि ये ट्रस्ट नहीं हैं तो और क्या हैं। यह कहना कि मंदिर और मठ ट्रस्ट नहीं हैं, और कानूनी तरीके से सही नहीं है बल्कि गलत है।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने कान्स्टीट्यूशन के आधार पर आपत्ति उठाई थी और एक रूलिंग जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था और कहा था कि मंदिरों और मठों के मामले में सरकार को दखल देने या कानून बनाने का अधिकार नहीं है। मैंने उसी को पढ़कर बताया था कि दर असल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मैं इस सदन को अधिकार है कि जितने भ ट्रस्ट हैं उनके डिनोमिनेशन में दखल करने का सरकार को अधिकार नहीं है, यह अधिकार नहीं है कि जितने ट्रस्ट हैं उनके काम को सरकार अपने हाथ में ले ले। लेकिन वे लॉ के अनुसार काम करें और जिस भावना से ट्रस्ट बना है उनके अनुसार काम करते है या नहीं और प्रोपर्टी में गड़बड़ तो नहीं करता है इसकी निगरानी रखने का सरकार को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। संविधान की आर्टिकल २६ का इन्टरप्रिटेशन हुआ है उसमें सरकार को अधिकार है कि ट्रस्ट को रेगुलेट करने के लिये वह लॉ बना सकती है और जो डिनोमिनेशन पर्टिक्युलर ट्रस्ट का है उसके फंक्शन में जब तक दखल नहीं की जावे जब तक कि ट्रस्ट के क्रीएटर की मंशा के माफिक वह काम करता है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या प्रोपर्टी का मिस-अप्रोप्रियेशन नहीं करता। लेकिन यह इन्टरप्रिटेशन आपका गलत है कि कांस्टिट्यूशन के अनुसार इस प्रकार के ट्रस्ट के लिये विधान सभा कानून नहीं बना सकती और बदइन्तजामी में दखल नहीं दिया जा सकता। आज हिन्दुस्तान में कई ट्रस्ट हैं और इतने हैं कि धार्मिक विचारधारा वाले लोग जो नये नये ट्रस्ट बनाये हैं उनका पता पब्लिक एट लार्ज को नहीं लगता तो क्या उसके लिये कानून की जरूरत नहीं है। यदि माननीय सदस्यों को यह मंशा है कि ट्रस्ट के ट्रस्टीज जैसा चाहें वैसा करते रहें दखल देने की आवश्यकता नहीं है तब तो कानून की भी जरूरत नहीं है और यदि आप यह चाहते है कि जनता को पता लगे कि कहां कहां किस किस प्रकार के ट्रस्ट बने हैं और उनके नीचे जो प्रोपर्टी है उसका मेनेजमेन्ट ठीक तरह से है या नहीं, कितनी प्रोपर्टी है, कौन कौन ट्रस्टीज हैं, कौन क्रीएटर हैं, क्या इसके ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब की पूर्ति तभी हो सकती है जब कि इसके लिये कानून हो और उसके लिये ऐसी मशीनरी हो जो जानकारी रखे कि ट्रस्ट ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। जब तक यह पता नहीं होगा तब तक जितने ट्रस्ट हैं उनमें से ३०, ४० प रसेन्ट में दुरूपयोग होगा और जनता को पता नहीं चलेगा कि कौन ट्रस्टीज हैं, कैसा ट्रस्ट है और उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। जब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता तब तक पब्लिक एट लार्ज को पता नहीं लगता। बहुत से लोग मरते समय वसीयतनामे के जरिये ट्रस्ट बना जाते हैं इसलिये यह जरूरी है कि सब ट्रस्टस का रजिस्ट्रेशन हो जिससे पब्लिक एट लार्ज को पता चल जाय कि कौन से ट्रस्ट हैं और आयन्दा बनने वाले ट्रस्ट्स का भी पता चल जाय।

इसके बाद धार्मिक हस्तक्षेप करने की बात आती है। इसके बारे में नगर (भरतपुर) से आने वाले माननीय सदस्य ने अच्छी तरह से बता दिया था कि इस बिल में धर्म और वर्शिप के बारे में बाधा डालने वाला एक शब्द भी नहीं है। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ट्रस्ट की डेफिनेशन में कई मतों के मंदिरों, मठों आदि को दाखिल किया है इसलिये चर्च वगैरा इसमें नहीं आने वाले हैं। मैंने डेफिनेशन को देखा और वे भी उसको देखते तो इसमें बहुत साफ़ है कि केवल इस प्रकार से कहने के लिये उसमें मठ और मंदिरों को दर्ज कर दिया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि और कोई रिलीजियस चीज़ इसके अंतर्गत नहीं आयेगी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसमें लिखा है :

"Public Trust" means an express or constructive trust for either a public religious or charitable purpose or both and includes a temple, math, dharmada or any other religious or charitable endowment and a society formed either for a religious or charitable purpose or for both." यह कोई जरूरी नहीं है कि इसके अन्तर्गत हिन्दूज के ही आयेंगे बट इट इज़ वेरी क्लीयर देट कोई दूसरे रिलीजियस एन्डोवमेन्टस हैं वे भी शामिल होंगे। इसलिये यह कहना कि चर्च या और कोई रिलीजियस स्थान पारसियों के या सिक्खों के और ईसाइयों के स्थान नहीं आयेंगे। इसके अलावा माननीय सदस्य जो जो साचोर से आये हैं उन्होंने इस बिल में बहुत दिलचस्पी ली है। इसमें शक नहीं जहां तक जैन ट्रस्ट्स का संबंध है उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि इसका जैनियों से संबंध नहीं रहना चाहिये। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसमें इस बात का प्रोविजन है कि जो स्टेट लेवल और रीजनल लेवल पर एडवाइज़री बोर्ड होंगे उनमें जैनियों का प्रोपर रिप्रजेन्टेशन होगा। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही संप्रदायों के लोग होंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन का मामला आयगा उसमें यह रख दिया जायेगा कि जब जैनियों की कोई बात पेश होगी तब सिर्फ वे ही लोग डिसीजन ले सकेंगे, वोट दे सकेंगे जिनके धार्मिक ट्रस्ट के संबन्ध में कोई बात है। एक एक काम के लिये अलग अलग बोर्ड बनाने से क्या मतलब निकलता है। जो आप चाहते हैं वह इसमें रख दिया है। बिहार के एक्ट में जिस तरह का प्रोविजन है उससे भी ज्यादा अच्छा और एफिशियेंटली बनाया है और इस बात को एन्श्योर कर लिया है कि एक धर्म का सवाल आयेगा वहां दूसरे धर्म के लोग दखल नहीं देंगे और उस धर्म के लोगों को स्वतंत्रता होगी कि पूरी तरह से विचार विमर्श करें और डिसीजन लें। इसलिये उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

रहा सवाल इस बात का कि बिल के जनरल प्रोविजन हैं उसमें देवस्थान डिपार्टमेंट की दखल है लेकिन उसकी सीधी दखल नहीं है। जहां कहीं ट्रस्टीज का सवाल आयेगा, सेक्शन ३८ को देखेंगे तो उसमें यह प्रोविजन है कि यदि परपज ओफ ट्रस्ट फेल हो जाय, मिस मेनेजमेन्ट करें या मिस एप्रोप्रियेशन ओफ फंड्स हो जाय तो असिस्टेन्ट कमिश्नर इन्क्वायरी कंडक्ट करेंगे और किस की गलती से ट्रस्ट को नुकसान पहुँचा उसके बारे में वे जो वरडिक्ट देंगे वह फाइनल नहीं है। सिविल कोर्ट उसको सेट एसाइड कर सकता है। हर एक स्थान में जहां कोई रिलीजियस ट्रस्ट पर देवस्थान कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर कोई ओर्डर देते हैं तो उसमें फाइनेलिटी नहीं है बल्कि यह रखा है कि कोर्ट ओफ लॉ को उसे सेट एसाइड करने का अधिकार दिया है इसलिये सेक्शन ९३ और ९२ के प्रोविजन्स अलग निकालने के लिये यहां इस बारे में प्रोविजन रखा गया है। इन प्रोविजन्स की तहत में खुद जो एग्रीव्ड है वह अलग कार्यवाही कर सकता है।

यही वजह है कि सेक्शन्स ९२, ९३ जो ट्रस्ट के ऊपर लागू होते हैं, वह यहां पर लाग

Page No 66

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं होगे, यह आवश्यक भी है वरना क्या होता है कि जिस मकसद से, ट्रस्ट के प्रोपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह कानून बनाया जाता है, वह खत्म हो जाता है। इसमें जो बिल हम पास कर रहे हैं, इस बिल की धाराओं को एप्लाई करने में, ट्रस्ट की प्रोपरटी को एडमिनिस्टर करने में मुश्किल हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस रास्ते को बन्द करके, जो रेमेडी कानूनी है, वह दे दी गई है और ट्रस्ट से सम्बन्ध रखने वाले हैं, जिनको दिलचस्पी है, और रिलीजियस डिनोमीनेशन खुद ही दावा कर सकती है, इस प्रकार कोर्ट फीस वगैरह के बहुत से खर्च से बच जायगी, जितनी देर लगती हैं, नोटिस वगैरह से इस प्रावीजन से बच जायगी। जो एग्रीव्ड पार्टी होगी वह कोर्ट से वरडिक्ट ले सकती है। मैं समझता हूं और कोई नई बात माननीय सदस्यों ने कही नहीं। आर्य समाज वगैरह के बारे में जो कहा उसके लिए मैंने अर्ज़ कर दिया था कि यह जनरल पब्लिक ट्रस्ट बिल है, वह, जो रिलीजियस डिनोमिनेशन्स हैं, उन सब पर एप्लाई होगा, चेरिटेबल इन्सटीट्यूशन्स पर एप्लाई होगा। इसमें कोई भेद भाव नहीं रखा गया है। माननीय सदस्य ने कहा है कि मुसलमान प्रोपरटी है, उसको क्यों एक्सकलूड किया गया है। उसके लिये मैंने अर्ज़ कर दिया कि सेन्टर ला है, वक्फ एक्ट, यह एप्लाई होता है। यह राजस्थान में एप्लाई हो गया है, उस पर एक्शन ले लिया है, डिपार्टमेंट कायम हो गया है, सर्वे करा ली गई है, अब वक्फ बोर्ड कायम करके प्रोपर्टी उसके सुपुर्द कर देना चाहते हैं। एक कानून है, उसके तहत प्रोपर्टी एक्वायर हो गई है, उस पर इसको एप्लाई नहीं कर सकते हैं। जहां तक आबू का सम्बन्ध था, उसके वास्ते कर दिया है, अमेंडमेंट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पर्मीशन आ चुकी थी, इसलिए एक्सक्लूड किया जा रहा है। बाकी जितने ट्रस्ट हैं, उन पर यह लागू होगा। रिलीजियस डिनोमीनेशन से ताल्लुक है, वरशिप से ताल्लुक है, भोग से ताल्लुक है, सामान से ताल्लुक है, जैसा कि जोबनेर, फागी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, इसमें कोई सम्बन्ध नहीं रखा गया है। ट्रस्ट के क्रियेटर, दान दाता है, उसकी मन्शा के मुताबिक काम करते जायेंगे, वे हिसाब प्रोपरली रखें, उसका आडिट बाकायदा हो, अगर किसी वक्त देवस्थान कमिश्नर, असिस्टेन्ट देवस्थान कमिश्नर को मालूम हो कि कोई गड़बड़ी है तो ऑडिट हो सकता है। जब कभी हमें किसी स्पेशल डिपार्टमेंट के बारे में मालूम होता है, हम ऑडिट करा लेते हैं। लोकल फन्ड ऑडिट डिपार्टमेंट से, जब स्पेशल ऑडिट कराने की आवश्यकता समझते हैं, ऑडिट करा लेते हैं। इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, जिनके पास लाखों हज़ारों रुपये रुपये हैं, उनके लिए अंदेशा है, स्पेशल ऑडिट का प्रावीज़न होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह कि हम प्रोत्साहन देते हैं, अगर वे गबन करें तो उसमें रुकावट न रहे, इसलिए...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मैं समझता हूँ....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप समझ लेना, कानून पढ़ कर...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरी अर्ज है....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय सदस्य गलत स्टेटमेंट करते हैं, माननीय सदस्य फ्रोम फागी, जोबनेर, फुलेरा. All these are wrong. He is neither form Phagi, neither from Dudu nor form Phulera.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am sorry. He is from Jobner.

श्री पी० के० चौधरी : You made a wrong statement.

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सीटी) : इसमें इतना खर्चा क्यों रखा गया है, इतने ऑफिसर क्यों रखे गये हैं ?

श्री दमोदरलाल व्यास : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो बीकानेर से आये हैं, वे दो तीन दिन बहस के वक्त मौजूद नहीं, थे उन्हें मालूम नहीं है कि देवस्थान कमिश्नर, देवस्थान असिस्टेन्ट कमिश्नर का ट्रस्ट पर खर्चा नहीं है बल्कि कन्सोलिडेटड फंड है स्टेट का, उसमें से होगा। इसमें प्रावीज़न है कि ट्रस्ट से खर्चा नहीं लिया जायगा। That is already a department of the State and we have to keep it. हमारे पास इतना बड़ा देवस्थान डिपार्टमेंट है, वह सेपरेट डिपार्टमेंट है, इसलिए ट्रस्ट की वज़ह से डिपार्टमेंट क्रियेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है,..कोई नया डिपार्टमेंट नहीं खोला। माननीय उपाध्यक्ष, जितनी बातें माननीय सदस्यों ने कही, उन सबका जवाब दे दिया है, मैं समझता हूँ....

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन सर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री लक्ष्मीचन्द : एक हनुमान का मंदिर है, वहां लोग तेल चढ़ाते हैं, उसकी कोई आमदनी नहीं हो तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : Put a short notice question. It is not a method.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन....

(श्री रघुवीरसिंह जी बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : There is already a point of clarification by an Hon'ble member on the front side.

श्री मदनसिंह : मंत्री महोदय से, जिन्होंने कोई सैद्धान्तिक रूप से इसका विरोध नहीं किया, उसका जवाब नहीं मिला। हमारा विरोध था कि आज की असेम्बली हमेशा के लिए नहीं रहेगी. दूसरी भी आयेगी। आज की असेम्बली १९६२ में नहीं आवेगी। इसलिए सैद्धान्तिक प्रश्न था कि आज कानून बना रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : It it a speech or some speech about a point of reference.

श्री मदनसिंह : यह क्लेरीफिकेशन के लिए हैं, स्पीच नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : What is that point.

श्री मदनसिंह : वह है कि १९६२ में क्या मालूम, कौन से सदस्य आने वाले हैं ..

श्री दामोदरलाल व्यास : आप नहीं आने वाले हैं कम से कम ।

(हंसी)

श्री रघुवीरसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि इस कानून द्वारा सरकार को रजिस्ट्रेशन लागू करने का, मन्दिरों पर रजिस्ट्रेशन फीस लागू करने का अधिकार दिया जाय । ऐसे कानून के बनाने में मैं भाग लेना अच्छा नहीं समझता ।

(श्री रघुवीरसिंह जी ने सदन से बहिंगमन किया । साथ ही कुछ विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य भी सदन से बहिंगमन कर गये ।)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट बिल, १९५८ को पारित किया जाय (व्यवधान) ऑर्डर, ऑर्डर, प्लीज ।.... प्रश्न यह कि राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट बिल १९५८ को पारित किया गया ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित गिया गया ।

सरकारी संकल्प

गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) Sir, I move the following resolution: "This House generally agrees with the principle and proposal of the transfer of certain territories comprised within villages Dotada, Pipalda and Sarkhera in Bhensrorgarh Tehsil of Chittor Distt, in the State of Rajasthan to the State of Madhya Pradesh as envisaged in the Rajasthan and Madhya Pradesh (Transfer of Territories) Bill, 1959 proposed to be introduced in Parliament." मैं इसके साथ ही साथ संक्षेप में कुछ निवेदन कर दूं, तो मैं समझता हूँ कि वह उचित होगा । यह बिल इस सदन के समक्ष इस वजह से लाया गया है कि इस वक्त चम्बल बांध की जो योजना है, उस योजना के अन्तर्गत राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्य सम्मिलित हैं । जहां तक चम्बल प्राजेक्ट का सवाल है, इस चम्बल प्राजेक्ट के अन्दर गांधी सागर, जो मध्य प्रदेश की तरफ से डेम बनवाया जा रहा है, उसके अन्दर जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए जो सारी की सारी कोलोनीज हैं, गांधी सागर के किनारे इस हिस्से पर, जो करीब चार लाख एकड़ के आस पास पड़ता है, इस हिस्से पर अनेक कालोनीज़ बनी हुई हैं उनके बहुत से डिस्प्यूट, कई सवाल वक्त वक्त पर खड़े होते रहे उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन चित्तौड़ डिस्ट्रीक्ट में शुरू करना पड़ा । मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से यह प्रश्न बारबार आता रहा और उन्होंने यह बात सामने रखी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, इस जोइन्ट प्राजेक्ट का आपस में साथ में मिलकर काम करते हैं, उसके काफी काम काज की दृष्टि से समस्यायें खड़ी रहती हैं तो इतना हिस्सा मध्य प्रदेश को ट्रांसफर कर दिया जाय, एडमिनिस्ट्रेटिव पाइन्ट आफ व्यू से भी ज्यादा सहूलियत हो जायगी और जो कॉम्प्लीकेशन्स रात दिन खड़े होते हैं, वे खड़े नही होंगे । मैं मानता हूँ जो प्राजेक्ट गांधी सागर का है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से होने के लिए यह एक तरह से अत्यन्त आवश्यक है । जो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट है जहां तक, उसके और इस हिस्से के बीच में यह चम्बल नदी पड़ती है, फिर उसके बाद यह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हिस्सा आता है, जहां जाकर बहुत से काम किये जा सकते हैं। सारे पहलुओं पर विचार करने बाद हम भी इस बात से सहमत हैं कि इतना हिस्सा मध्य प्रदेश को ट्रान्सफर कर देते हैं, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं हो सकता है और जो प्राजेक्ट गांधी सागर का है, उसका एफीसियेन्टली एडमिनिस्ट्रेशन हो क्योंकि यह राजस्थान के हित में है, वहां से बिजली मिलती है, और राजस्थान कोर इरीगेशन की फैसेलिटीज मिलती हैं। उसका एफीसियेन्टली रनिंग हो, यह हमारे और उनके, दोनों के हित में है, इसलिए हमारे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम सहमति प्रगट करत हैं, उसके बाद यह पार्लियामेन्ट के समक्ष आयेगा और पार्लियामेन्ट भी उचित रूप से फैसला करेगी।

मैं समझता हूँ यह बहुत वाद विवाद का विषय तो नहीं होना चाहिये। यह उस जमीन की बात तो है नहीं कि एक एकड़ जमीन भी हमारी इधर से उधर क्यों जाय। जिससे एफिसियेन्ट रनिंग हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन का यही हमारे सामने मूल आधार होना चाहिये और उसी आधार पर हमने इस फैसले को करना उचित समझा है। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Mr. Deputy Speaker Sir, Before going into the provisions of the Bill, I will like to express my views that whether by this trausfer of territory, in what way we are going to get special benefit out of it. Whether we are making a free gift of our land to the Madya Pradesh Government because if you go into the Bill, you will find that not only we are giving a free gift of land to the Madhya Pradesh but we are also making a free gift of our all immovable properties and other buldings so...

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): I may clarify that there are no Govt. buldings.

श्री पी० के० चौधरी : But the Bill provides. The Bill has made provision. Second thing is that if you don't transfer this territory, to Madhya Pradesh it is said that the administration of the project or the functioning of the project will suffer. If knowingly they have set up a colony in the territory of Rajasthan, they could set up so in their own territory. I think, we are entitled to some sort of betterment levy etc. from Madhya Pradesh. Because, after this, the income of this State would have increased. Well they don't even consider this economic factor before setting up of a colony there. But I think simply on the plea that there are certain litigations and to avoid or to facilitate or to see the convenience of those people, we want to transfer this part. This is the only suggestion he has given, while placing the bill before the House.

Now I would come to clause 9 of the Bill. Clause 9 of the Bill says-

"(1) All land and all stores arti-

(श्री पी. के. चौधरी)

cles and other goods in the transferred territories belonging to the State of Rajasthan shall, as from the appointed day, pass to the State of Madhya Pradesh.

EXPLANATION--In this sub-section the expression 'land' includes immovable property of every kind and any rights in or over such property and the expression 'goods' does not include coins, bank notes and currency notes.''

It is what the State Government might have got without using all that. They surrender it as a free gift simply on the vague idea that this Bill is going to benefit the Rajasthan also. We will get electric energy and water etc. but the Madhya Pradesh Government will not give those things as a free gift. They will charge the usual rates as well as the cost. They will supply it all at a rate of their own and they will recover the cost from us. So when we are giving this, it is a sign of good will towards the Madhya pradesh Government. Sow I will like to know about the agreement regarding supply of electric energy and water supply and at the same time whether this land factor will be taken into consideration ?

Second thing my views are that if there is not immovable property besides the land...

(Pause)

श्री उपाध्यक्ष : what is the wrong ?

श्री पी० के० चौधरी : The Chief Minister was busy in some talks so I thought to wait.

If there are any immovable property or Government buildings I will like that as provided in Clause 9, atleast there should be an amendment that those pending cases of these properties will be transferred from Madhya Pradesh to the Rajasthan. In the same way the land value, betterment levy and certain amount should be obtained from Madhya Pradesh otherwise they must agree to the lower charges. There must be a reduced rate or charge than the normal rate.

Second thing is regarding clause 11 and 12. In clause 11 it says:--"All laws which immediately before the appointed day extend to, or are in force in the Mandsaur district in the State of Madhya Pradesh but do not extend to, or are not in force in the transferred territories shall, as from that day, extend to, or as the case may be, come into force in the transferred territories, and all laws which, immediately before the appointed day, are in force in the transferred territories, but not in the Mandsaur distrsct in the State of Madhya Pradesh, shall, on that day, cease to be in force in the transferred territories, except as respects things done or omitted to be done before that day.

(श्री पी. के. चौधरी)

Explanation—In this section 'law' includes any enactment, ordinance, regulation, order, bye-law, rule scheme, notification or other instruments having the force of law in the whole or in any part of Madhya Pradesh or Rajasthan."

I have got an objection to the passing of this Clause 11. I would have preferred the clause to be amended. If the Rajasthan laws are beneficial to the residents of that place then that should not be annulled. Under it, no protection is there which they might have to get. I would therefore like that the Home Ministry of the Govt. of India should amend it. These Tenancy Laws and Panchayat Act should remain so long as the Madhya Pradesh Government comes on par otherwise by a stroke of pen the State Government has entered into the agreement and the Parliamant is passing it. We may agree to the transfer but the Parliament Members should see that these people who were in Rajsthan they should not be deprived of it simply to make it convenient for those litigants.

Second thingis about Clause 12 of this Bill. This clause reads:

"Any court, tribunal or authority required or empowered to enforce any law extended to the transferred territories by section 11 may, for the purpose of facilitating its application in relation to the transferred territories, construe the law in such manner, without affecting the substance, as may be necessary or proper in regard to the matter before the court, tribunal or authority."

My submission is that the Tribunal or the Court should not be allowed to construe the law. when those cases have started under the Rajasthan Laws, then the judgment of all those cases should be given in the light of Rajasthan Laws. After the transfer has been affected, they can have Madhya Pradesh laws, but the cases which are lying this day, they should be allowed to continue under the Rajasthan Laws. Such amendment should be brought in this clause 12.

Then I come to clause 17. Clause 17 provides for power to make rules.

It says that: "The Central Government may,by notification in the official Gazette, make rules to give effect to the provisions of this Act.

(2) All rules made under this section shall, as soon as may be after they are made, be laid for not less than thirty days before each House of Parliament and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which they are so laid or the session immediately following."

I would suggest that there shold be another sub-clause that "the rules made under this section shall be laid for not less than thirty days before the

Page No 72

(श्री पी. के. चौधरी)

State Legislature before they are placed before the Parliament."

I hope the Hon'bleChief Minister will convey these wishes of the members of this House to the Government of India before they pass this Bill.

One more point, Sir. As far as the resolution is concerned, I think according to our rules of procedure the the resolutin is not properly worded. The resolution says "This House generally agrees with the principles and proposal of the transfer of certain territories." Now this means that this House may not agree with all the details which are there in the Bill. I think it is ambiguous and our Rules of Procedure also say that the resolution made in the form of declaration of opinion of recommendation of the House may be in the form so as to record either approval or dispproval by the House of an act or policy of the Government Now it should be either in the form of approval or disappoval. It means that we must agree with the details of the clauses if we approve of it. We cannot agree to it with any reservations like 'generally approve...' So it should be properly worded.

श्री उपाध्यक्ष : You mean to say that 'generally' is superfluous.

श्री पी० के० चौधरी : Yes Sir. It is vague also. The resolution should be specific whether we agree or don't agree.

श्री उपाध्यक्ष : If the word is taken out ?

श्री पी० के० चौधरी : It should be approved or disapproved rather than 'generally agreed to.'

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने रेजोल्यूशन में जो कुछ भी अपने विचार रखे थे काफी सदन के सदस्य सहमत हैं। भारतवर्ष एक है और राजस्थान भी हमारा है और मध्य भारत हमारा नहीं है ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें वादविवाद का प्रश्न नहीं उठता। अगर आज हमारे सामने यह प्रश्न होता कि केरल सरकार में अपने गांव जा रहे हैं तो सोचते कि इतने गांव हैं केरल जैसे स्टेट को दे रहे हैं। अब तो राजा महाराजाओं का राज तो रहा नहीं, न जागीरदारों की जागीरें रही। ऐसी तो कोई चीज नहीं है। आज राजस्थान और मध्यप्रदेश में कोई फर्क नहीं है अगर उनको सुविधाएं रहती हैं तो वे ले लें। मैं समझता हूँ कि यह बात, पांच वर्ष हो जावेंगे, चल रही है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय ने जो रेजोल्यूशन रखा है और उसके द्वारा अपने विचार सदन में रखे हैं हम तो उन विचारों का पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं और उनके विचारों से सहमत हैं। जो आप इस चीज में विश्वास रखते हैं कि हमारा सारा राष्ट्र एक है हम किसी भी जगह जमीन दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सदन के सदस्यों को इसमें किसी तरह का विरोध नहीं करना चाहिये और मैं

(श्री मदनसिंह)

मेरी पार्टी की तरफ से निवेदन करूंगा कि हम आपके विचारों से सहमत हैं। कल आबू का प्रश्न आया। आबू बम्बई से हमारे यहां आया। अजमेर का प्रश्न आया। अजमेर हम से हमेशा के लिए अलग था। मैं समझता हूँ वह आसानी से आ सका है हमें भी इस प्रकार की भावना रखनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह छोटी सी बात होगी। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है हम उसमें पूर्ण रूप से सहयोग देंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह प्रश्न इस समय आया है अगर सदन और चीफ़ मिनिस्टर की यह भावना हो कि बिना किसी एतराज के यह पास हो जावे यह तो भाव दूसरे हैं लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा और किये बिना नहीं रहूंगा कि यह चीज इस प्रकार की है जिसके लिये ज्यादा महत्व नहीं दिया जावे, मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने अपने भाव व्यक्त किये हैं मैं उनका और उनकी भावना दोनों का विरोध करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि यह एक प्रान्त के किसी भाग का काट कर दूसरे भाग में कर दिया जावे इस प्रकार का प्रश्न है और वह भी एक कीमती भाग है। उसके जहां पानी और बिजली के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह जो स्कीम है इसमें बहुत सा पानी इधर का भी है वह भी उधर जाता है उसके एवज में मध्यभारत में क्या ऐसे मामलों में तत्पर पानी व बिजली देने में हो सकता है कि वे भाग उनके एवज़ में उनको दिया जावे। यह बात दूसरी है कि जैसे कोई आइलैन्ड पजैशन हो तो ऐसे पजेशन के लिये हमने ऐसा दिया है जैसे सिरोंज का बहुत बड़ा इलाका था जो राजस्थान से काट कर उनको दिया। इस तरह कि दूसरी बात थी। इसलिये मैं मानता हूं कि यह इस प्रबन्ध के बारे में एक जमीन को इधर से उधर देने के बारे में यहां पर विचारने की बात है और इसके साथ में यह ऐसी चीज है जो लोगों को ठेस पहुँचाने वाली चीज है और लोगों के हृदय में ठेस पहुचाने का प्रश्न है। इसी प्रकार का एक प्रश्न धौलपुर के इलाके के कुछ हिस्से को काट कर यू. पी. में मिलाने का था। इसके लिये एतराज़ हुए। प्रत्येक देने के मामलों पर जैसा चीफ़ मिनिस्टर ने जरा सा टच किया था लेकिन ऐसे मामलों में अब यह समय नहीं रहा कि जमीन के लिये पांच पांच बीघा के लिये हम लोग संघर्ष करें और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए जैसे पहले जमाने में हुआ करती थी और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने अभी संकेत किया था कि जब भारतवर्ष एक हो चुका है तो यह मामला विचारणीय हो सकता है, यह अपने को विचारने की चीज़ है लेकिन वह ज़मीन जिसके लिये संकेत होता है पहले जोगरफिकली, पोलिटिकली और स्टेटिस्टीकली और स्टेटैजिकली...

एक माननीय सदस्य : रिलीजियस को भी ले लीजिये....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : रिलीजियस को तो मैं छोड़ता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : कलचर नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इसके लिये आप विचार कर लें जब आपका हिस्सा जाने का प्रश्न हो रहा है।

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

अगर हमको इसके एवज में कुछ मिल रहा है तो, लेकिन जिस समय भूमि जाती है उस समय विचार धारा दूसरी हो सकती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय जिस समय बड़े विकट प्रश्न के सामने आते हैं और उस समय अपनी विचार धारा को व्यक्त करते हैं उस समय भी प्रत्येक मामले में मुस्कराकर ही वे उस चीज़ को सामने रखते हैं और उसको उसी तरह हर्ष के साथ व्यक्त करते हैं लेकिन मैं देखता हूँ कि उनके भाल पर, उनके चहरे के ऊपर उतना हर्ष प्रतीत नहीं हो रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रसन्नता ही है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जिस चीज़ को देखते हुए मुझे अन्दाज होता है कि क्या किया जाय ....

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो निराकरण कर दिया है। किस को प्रसन्नता है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : पुरानी जैसी हिस्ट्री है, रीलिजन और कल्चर के ऊपर तो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ही फरमावेंगे लेकिन हिस्टोरिकल, स्टेटैजिकल और पोलिटिकल मामले के अन्दर मैं थोड़ा सा निवेदन किये बगैर नहीं रहूंगा क्योंकि बुढे आदमी के भी थोड़ी हृदय में ठेस पहुँचती है। इसकी हिस्ट्री क्या है ? वैसे देखा जाय तो मध्यप्रदेश का जो सारे का सारा इलाका है वह महा राजस्थान का पार्ट है।

श्री मदनसिंह : We should not have any objection at all if it is a part of Rajasthan.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : कल ही यह भाग हमारे से गया हुआ है। अगर उसकी पृष्ठ भूमि पर दृष्टिपात किया जाय तो देखना होगा कि रामपुर, गरोठ और भानपुर का भाग एक दिन मेवाड़ का भाग था। रामपुर के दिवान यानी रानी के समय मे वह गया।

डॉ० बहादुरसिंह : मेवाड़ का मात्र मात्र था।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह: आपको तो उसकी हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए कई वर्ष लगेंगे। वह भूमि वही थी जो महाराणा ने दांतों से पकड़ रखी थी। बाद में महाराजा सवाई सिंहजी के पुत्र महाराणा से उनके भाणेज माधोसिंहजी को दिये जाने बाद में सारे हिस्से को इन्टरनिसाइन बेटल्स की वजह से, जो ईश्वरीसिंहजी और माधोसिंहजी के दरमियान हुई थी तो महाराजा होल्कर को यह जमीन उस समय दी गई थी और पचपाड़ा . .

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह रिलेवेन्ट कैसे है इस सारे मामले से ? इतिहास तो अलग से रखें सो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : रेलेवेन्ट तो नहीं हैं। जो इतिहास का ज्ञान है उसका परिचिय सदन को मिल जाय तो क्या हर्ज है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इस जमीन को रखने के वास्ते आबू में भी इतने झगड़े हुए थे।

(श्री आबिद अली, सभापति, पदासीन)

Page No 75

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

यह हमारी ओर का प्रश्न है इसलिये या तो एवज़ में इसके हमको कोई चीज मिलनी चाहिये या इसको इस तरह से छोड़ा जाय तो यहां इस पर विचार करना निहायत आवश्यक है। यह वही इलाका है जहां हाडा राजपूतों का खून बहा है और उन्होंने ने उस भूमि को कभी नहीं छोड़ा है। विचार धारा ही सारे सदन की दूसरी ओर जा रही है लेकिन जो वस्तुस्थिति है उसको तो मैं फिर भी निवेदन कर देना चाहता हूँ। पुरानी विचारा धारा के अनुसार देखा जाय तो मैं आपको एक हजार वर्ष पूर्व का एक दोहा सुनाना चाहूँगा उसमें कहा गया है :

पुत्ते जाया कवण धवण,
गुण अवगुण केन भुवेण।

जिन वप्पी की भोंहदी,
चापीजे अवरेण ॥

उस पुत्र के पैदा होने से कोई खुशी नहीं और उस पुत्र के मरजाने से कोई अफसोस नहीं जिसकी वपौती की ज़मीन दूसरों ने अपने पैरों से छूली है। इसलिए इसकी गम्भीरता पर विचार करके एक्स्चेन्ज़ के तौर पर भूमि ली जाय। हिस्ट्री तो आगे कहेगी तो कहेगी नहीं तो नहीं लेकिन पोस्टेरिटी तो बराबर कहेगी।

श्री कुशलसिंह : सारी जमीन तो दूसरों की थी। हमारी तो नहीं है।

श्री सभापति : आप आरम्भ रखिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरी तो वही सम्मति थी कि जो चीज़ जाय उसके बदले में चीज़ आनी चाहिये लेकिन ऐसा नहीं होता है तो उस पर विचार अवश्य ही करने की आवश्यकता है। आगे भी महाराणा प्रताप सागर की ओर कोटा के बांध की सिलाई की जमीन में दोनों प्रान्तों में पानी जाता है। ऐवजमेंाजे ज़मीन नहीं हो सकती, पार्लियामेन्ट में जब प्रश्न चले तो कहा जा सकता है कि पंजाब का पानी इधर आ रहा है, व्यवस्थम में उनके लिए दिक्कत होती है, पंजाब का जो टुकड़ा है, नहर की जो चीज़ है उसको इधर लेने में क्या आपत्ति हो सकती है। तो क्या वे दे देंगे ? इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है और एक्स्चेन्ज़ के तौर पर कुछ न कुछ लेना अवश्य ही चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय, ने प्रस्ताव रखा है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति जी, मैं समझता हूँ कि कुछ स्पष्टीकरण और कर दूँ तो अच्छा हो। यह एक इन्टरस्टेट सवाल है और इस प्रकार भूमि को ट्रान्सफर करने का कारण मैंने आप को बताया था था लेकिन दो एक बातें और निवेदन कर देना उपयुक्त होगा जिससे कि सदस्यों के निगाह में वे रहे।

इस प्रोजेक्ट की कुल मिला कर स्थिति यह है कि गांधी सागर बांध है, आधा राजस्थान टेरीटरी में है और आधा मध्य प्रदेश में। यदि इसको ट्रान्सफर नहीं करते हैं तो आधे को तो मैनेज राजस्थान करे और आधे भाग को मैनेज़ मध्यप्रदेश करे। इसके साथ प्रोपर्टीज़ और दूसरे सवाल हैं वे भी उठते हैं। यह पत्थर की ज़मीन है और इसमें रिहेबिलिटेशन भी नहीं है। जिस इलाके को ट्रान्सफर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

किया जा रहा है वहां कोलोनी एस्टेब्लिश करने का भी सवाल है और नीयर टू दी डेम दूसरा कोई हो नहीं सकता । इसका कई प्रकार का असर होता है । जो प्रोजेक्ट है इसमें १॥ लाख एकड़ भूमि के ऊपर मध्य प्रदेश की डूबेगी । हम जहां जिन बातों पर चर्चा करना चाहते है तो यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि एक फैसला ग्रेसफुली हो, सारी बातों को विचार करके उसको मान्य करने का सवाल है, आखिरकार वहां एक कोलोनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और उसको एफिशियेन्टली रन करना चाहते हैं । उस १॥ एकड़ में ६० हजार एकड़ के करीब कल्टीवेटेड लैंड है जिसका कम्पनसेशन दे रहे हैं । और उसका एडवान्टेज़ राजस्थान और मध्यभारत को, दोनों को होता है । चम्बल का जो प्रोजेक्ट है उसको ओवर आल थोरोली स्टडी करें तो यह मानना होगा कि greater advantage with comparatively less investment. राजस्थान को ज्यादा होता है । तीन हजार एकड़ भूमि पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सारी बातों को निगाह में रखते हुए विचार करना है । जिस प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, आधे में बाउन्डरी हो आधी नदी के बीच से दोनों टेरीटरीज़ जुड़ी हुई हैं, वैसी हालत में हमें यह भी कहना चाहिये और हम यह कह सकते हैं कि आधा बान्ध हमारा है, एडमिनिस्ट्रेटिविली फिज़ीबल बात नहीं है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, फुलेरा से आने वाले और जोबनेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया वह मैंने सुना । मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि छोटी सी चीज़ को लेकर क्या क्या बात कही गई । एक बात यह भी कही गई, जो ज़मीन हम दे रहे हैं उसका मुआवज़ा लेना चाहिये । सभापति महोदय, मध्य प्रदेश भी हमारे देश का हिस्सा है जब कि किसी बड़े फायदे के लिये एक दूसरे प्रदेश के अन्दर टेरीटरी बदली जाती है, मेरे ख्याल से मुआवज़ा लेने का प्रश्न नहीं होता । आबू को भी इधर उधर किया गया इसके अलावा जब स्टेट्स रिओरगेनाइज़ेशन हुआ उस समय भी भूमि का ट्रान्सफर हुआ था, वैसी हालत में मुआवज़े का सवाल पैदा नहीं होता ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आबू में भी केवल पत्थर ही थे और क्या था वहां पर ?

श्री सोहनलाल भटनागर : मुख्य मंत्री महोदय, ने कुछ थोड़ी बहुत शंकायें थी उसका स्पष्टीकरण कर दिया । उन्होंने यह भी बता दिया कि कितनी भूमि कलचरबेल है और कितनी अनकलचरबेल । जितनी भी भूमि हम दे रहे हैं वह कलचरबेल नहीं है । ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है अनओक्यूपाइड है । ऐसी हालत में हमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिये । जो कुछ किया जा रहा है वह राजस्थान मध्यप्रदेश और सारे भारत के लाभ के लिये किया जा रहा है । इसमें मुआवजे का सवाल नहीं और इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिये ।

दूसरी एक बात और है जिसका मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा । माननीय मुख्य मंत्री

Page No 77

(श्री सोहनलाल भटनागर)

महोदय, उत्तर देते हुए उसका स्पष्टीकरण करेंगे, यह जो तीन हजार एकड़ भूमि है वह क्या मध्य प्रदेश की टेरीटरी से मिलती जुलती है या नहीं, इसका स्पष्टीकरण मैं उनसे अवश्य चाहूंगा।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने ने एक बात और उठाई ११के संबन्ध में उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस किसी भी टेरीटरी का ट्रान्सफर किया जाता है। उसके लीगल इम्पलीकेशन्स क्या होते हैं एलेबोरेटली जो व्यवस्था दे रखी है यह काफी ठीक है। यह जो बिल उपस्थित किया गया है उसमें उसके क्या क्या कोन्सीक्वेन्सेज होंगे, सबके बारे में व्यवस्था दी हुई है।

धारा ११ को लेकर के फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टेरीटरी का ट्रान्सफर हो जाता है वहां पर मध्यप्रदेश के लॉज लागू हो जायेंगे। ऐसी सूरत में राजस्थान के जो ज्यादा बेनीफिशियल लाज है उनसे वहां की जनता महरूम रहेगी। लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिये कि जब एक टेरीटरी का दूसरी टेरिटरी में ट्रान्सफर करते हैं वे लॉज यों के यों कैसे लागू रह सकते हैं। नीचे जिस प्रकार की व्यवस्था दी हुई है। 'but not in the Mandsaur district in the State of Madhya Pradesh, shall, on that day, cease to be in force in the transferred territories, except as respects things done or omitted to be done before that day.'

नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें यह है कि जो कुछ राइट्स वेस्ट हो गये हैं वे डिवेस्ट नहीं होंगे। जो राजस्थान के अन्दर है उसमें गड़बड़ी होनी वाली नहीं। जब टेरीटरी का ट्रान्सफर होता है उससे नेचुरली यह कन्क्लुज़न निकलता है उस पर मध्य प्रदेश के लाज लागू होने चाहिये। इसके नेचुरल कोन्सीक्वेन्सेज़ क्या होंगे, वे भी इसमें दिये हुये हैं। शिडूल देखने से यह पता चलता है कि सारे के सारे विलेजेज़ उनको नहीं दिये गये हैं, विलेजेज़ के कुछ हिस्से दिये गये हैं। राजस्थान के हित के अन्दर और हमारे देश के हित के अन्दर दिये जा रहे हैं इसलिए हमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिये जो कुछ किया जा रहा है ठीक किया जा रहा है अतः जो प्रस्ताव मुख्य मंत्री महोदय ने रखा है उसको पास किया जाना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): माननीय सभापति महोदय, अभी जो प्रस्ताव रखा गया है उस सम्बन्ध में सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें स्पष्टीकरण के तौर पर कहीं। फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान में केवल एक स्थान नहीं ऐसे कई हिस्से मिलेंगे जो पास के राज्यों से जुड़ते हुये से प्रतीत होते हैं उनके उस राज्य में मिला देने से आर्थिक लाभ कुछ लोगों को मिल सकता है।

लेकिन यह सब कुछ होते हुये भी हमको यह देखना है कि जो हिस्सा राजस्थान का है जिसको हम मध्यप्रदेश को देना चाहते हैं जैसा कि प्रस्ताव मुख्य मंत्री महोदय, ने रखा है उसके परिणाम क्या होंगे यह हमें देखना है। इसके ऊपर कुछ सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं यह महसूस करता हूँ कि जहां तक एक प्रदेश के कुछ हिस्से को दूसरे प्रदेश में मिलाने का सवाल है, यह ठीक है कि कुछ हिस्सा दूसरे प्रदेश को मिल जाता

Page No 78

(श्री मुरलीधर व्यास)

है तो वहां के रहने वालों को सुविधा बढ़ सकती है। ऐसी हालत में कुछ हिस्से कोई इधर से उधर या उधर से इधर मिला दिया जाता है तो किसी प्रकार का रंज नहीं। लेकिन इस जनतन्त्री युग में अगर वहां के लोग यह नहीं चाहते हो तो वैसी हालत में हमें उनको नहीं मिलाना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां के लोगों की राय है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : एक भी आदमी नहीं, राय किसकी ली जाय क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : जंगल ही जंगल है ?

श्री मुरलीधर व्यास : क्या पहाड़ी आदमी नहीं हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक भी आदमी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा अभी मालूम हुआ है कोलोनी बसी हुई है। कोलोनी में तो लोग रहते हैं मैं यह समझता हूँ कि जिस प्रकार से भी हो वहां जो कुछ थोड़े लोग रहते हैं उनकी राय क्या है यह हमें जानना चाहिये।

श्री सभापति : वह कालोनी भी बान्ध की वजह से बनी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे उधर ही जाना चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर उनका इस प्रकार से मत है तो कोई सवाल नहीं। जहां तक इस प्रकार की कार्यवाही करने का सवाल है वहां पर हमें जनता की राय लेनी चाहिये। अगर वहां के लोग चाहते हैं तो और उनको रिलीफ मिलती है, उनको सुविधा होती है तो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री ने रखा है वह ठीक है और उसे पास किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री विशम्भरनाथ जोशी

श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : Mr. Chairman Sir, I also wish to express my views with regard to the resolution and the Bill which is under discussion. At the outset, Mr. Chairman, I feel I must say a word about the intial delay which has been caused in placing this Bill before the House. I understand that the President of India had referred this Bill to the Rajasthan State Legislature on the 9 th Ferbury, 1959 and the State Legislature was to give its opinion within a period of one month. Since the State Legislature failed to express any opinion on the matter and it could not be placed before the House the President had to extend this period and the extended date is 15 th May, 1959. Now our Legislature has been of session since 16th February, 1959 and a Bill sent by the president of India should have been given priority over all other ordinary business of the House. I think it is not very complimentary for the Secretariat of the Assrmbly that it should have made a default in this respect and made...

Page No 79

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I may mention here that there is nofault of the Secretariatof the Assembly.

श्री सभापति : Mr. Joshi, one thing more. I would like to say that it is not at all relevant. The qnestion before the House is whether the resolution be adopted or not. It is absolutely irrelevant whether the Bill came late or not.

श्री विशम्भरनाथ जोशी : What I mean to say that there was no compulsion on the President of India to extend the time and if he had not extended it. then the State Legislature would have been deprived of its rights to express its opinion on such an important matter.

श्री सोहनलाल भटनागर : बिना यहां आये तो यह हो भी कैसे सकता है ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : What I mean to submit is that the State Legislature, by asking for more time, has appeared as a defaulter in the eyes of the Parliament and the President. This was just a passing reference which I wanted to bring to the attention of the Chair and all concerend.

Coming to the resolution, I have to state that in matters like this we are expected to be businesslike. The question of transfer of the territory of a State should not be treated like exchange of mutual presents or formalities. I would have preferred if the State Government had worked out financial implications of the transaction. The Bill makes a mention of certain immoveable properties, certain stores, stocks and some other things. Naturally, we would like to know whether such properties and stores were purchased or constructed by the Rajasthan Government or Union Government or the Madhya Pradesh Government, or whether they were purchased in partnership and if in partnership, to what extent they were financed by the respective States. That is not before us and we are handicapped in forming an opinion about this.

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) There were no inhabitants, and it is a very small territory. It is a partnership project of Rajasthan and Madhya Pradesh Government.

श्री विशम्भरनाथ जोशी:The Hon'ble Chief Minister has stated that this project is in partnership with the Madhya Pradesh Government and that we should not be very particular about a small territory. It is true that we are beneficiaries and it is a partnership venture, but I would submit that to the extent to which we expect to derive any benefit, we are also contributing. We are also making investment in the form of our own money and whatever we are going to get we are paying for it.

So in transactions with other States we should act as very zealous guardians of the exchequer of the

Page No 80

(श्री वी. एन. जोशी)

State. From that point of view, I would have appreciated if all financial implications, what is the value of the property, to what extent the Rajasthan Government is financing this property, all these should have been given. I am not in a position to know whether before this colonisation started, there were any persons living there, whether there were any huts, dhanies, cottages already existing over this plot of land. If so, then we have to consider the interests of the third parties which are affected, and the imposition of Madhya Pradesh laws will affect the lives of those who are living in this part of the territory, and it is very likely......

श्री सभापति : There is an explicit explanation by the Hon'bleChief Minister that there were no inhabitants, and it was only for the sake of that dam that a colony has sprung up.

श्री विशम्भरनाथ जोशी : So when the colony was being built, the implications of the colony being allowed to be built on Rajasthan land should have been seen at the outset. We should have imagined that colony will be built up and then Madhya Pradesh Government will be able to make a demand and ultimately they will be able to put a strong case for the transfer of this territory to Madhya Pradesh. So at the outset we should not have agreed to this colonisation on our land. We should have agreed for the sale of that land and we should have been very vigilent from the very beginning. I think even at this stage it is not very late and if the immoveable property is of very considerable importance then it might still be stressed by the State Government that some sort of compensation or some other adjustment should be made so that we may get a return. It may be in the form of a concession in the supply of electricity or any other thing that may be mutually agreed upon.

I was just told during the course of discussion that the wishes of the residents of that area have been consulted and they have expressed a desire to go to the State of Madhya Pradesh. But so far as we have not held any refrendum or plebiscite...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Should we hold a refrendum ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : I don't say that. But unless a refrendum or plebiscite is held, we cannot say about their wishes. It is correct that if the good of the State so requires, a situation may arise where it may be in the larger interests of the State to transfer a certain portion of territory to another State, but such a transfer should be done after thoroughly scrutinizing the financial implications of the act. I have emphasised only this part of the problem.

Regarding wording of the resolu-

(श्री बी. एन. जोशी)

tion, as one Hon. Member has stated, the word 'generally approves' is confusing. It means that we approve, but with some reservations. So I think it would be better if this word 'generally' is taken out from the text of this resolution and the text may be allowed to stand after the omission of the word 'generally.' 'Generally' means that we agree with it but in some particular details we might not commit ourselves. So if we want to approve it, we should approve it unconditionally and this word should be taken out from the text of the resolution.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : चैयरमैन महोदय, मैं समझता हूँ कि मैंने बीच बीच में स्पष्टीकरण कर दिया है। पर फिर मैं दोहरा दूँ संक्षेप में कि कुल मिला कर जिस टैरीटरी का सवाल है वह तीन हजार और कुछ एकड़ है। बहुत लम्बा चौड़ा क्षेत्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि उस पर पुराना कोई इनहैबिटेशन या प्लान्टेशन नहीं रहा है। इस वक्त जो रहते हैं वे मज़दूर लोग हैं जो आज कल जो वहां पर कन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है डैम पर उस पर मज़दूरी करते हैं। कोई परमानेन्टली लोग वहां बसते हों राजस्थान के ऐसी बात नहीं है। जिस वक्त वह डैम का कन्स्ट्रक्शन पूरा हो जावेगा बहुत से लेबर्स से वहां से चले जावेंगे। इसलिए इसके साथ रेफेरेन्डम और ओपीनियन जानने की बात जुड़ती नहीं।

लॉज के मामले में भी किसी का टीनेन्सी राइट क्या था क्या नहीं, तो इस पर भी मैंने अर्ज किया कि खेती का प्रश्न भी वहां इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है और दूसरा, यह टैरीटरी, मैंने निवेदन किया आपसे कि बड़ा वाजिब सवाल है। आधा डैम राजस्थान में है और आधा मध्य प्रदेश में है। यह दोनों को मैनेज करने के लिए नेचरल बात है कि एक ही प्रबन्ध ठीक हो सकता है दो। में डिफिकल्टी पड़ती है। फिर साथ साथ जोइन्ट प्रोजेक्ट है जिसमें निवेदन किया कि कम्पेन्सेशन लेना चाहिए। हम खुद जो मध्यप्रदेश में कल्टीवेटेड एरिया है पार्टी को कम्पेन्सेशन भी दे रहे हैं अगर हमारी भी कोई पार्टी होती मकान दफ्तर वगैरह होते तो हम भी कम्पेन्सेशन की बात करते। तो उनकी वहां पर जो प्रोपर्टी है थर्ड पार्टी जिसमें इन्वोल्व है तो इस वजह से कम्पेन्सेशन का मामला खड़ा होता है। नहीं तो वह भी नहीं होता। कोरी स्टेट की भी प्रोपरटी होती तो होती। पर ऐसा भी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में बान्ध बन्धने से ११। लाख एकड़ एरिया मर्ज होता है। करीब करीब ७० हज़ार एकड़ से ऊपर ज़मीन ऐसी है जिसमें जिस प्रकार का हमारा क्षेत्र है उससे वैसा या कुछ ज़मीन और एग्रीकल्चरेबल वेस्ट भी होती है, सब मर्ज हो रही है इसके कम्पेन्सेशन के प्रिन्सिपल को राजस्थान गवर्नमेन्ट नहीं मानती है। राजस्थान गवर्नमेंट यह मानती है कि इस प्रकार के प्राजेक्ट्स में मध्य प्रदेश से भी हम उस कम्पन्सेशन सब मर्ज एरिया का कि जो अनऑकुपाइड था उस एरिया का कम्पन्सेशन नहीं लिया जाना चाहिए। यह स्टेण्ड हमने उसके बारे में लिया और हमें उम्मीद है कि वह स्टेण्ड आम तौर से जो प्राजेक्ट बनाते हैं, भाखरा वगैरह बने और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दूसरे बने उसमें भी सबमर्ज वगैरह के कम्पन्सेशन नहीं लिये जाते हैं । तो मध्यप्रदेश के एरिया से हमारा एरिया ज्यादा सबमर्ज हो रहा है और कुल मिला कर के एक्सपेन्डीचर के बारे में और सब के बारे में हमने अच्छी तरह से सोचा है । तो सारे फेक्टर्स को हमने काफी एग्ज़ामिन किया है । इसके अतिरिक्त हमने अपने ऑफिसर को वहां डेप्यूट किया और उन्होंने देखा कि जो काफी एसेन्शियल है उसी को देने की बात है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि कन्टीनुअस एरिया है या नहीं तो मैं आपको बताऊं कि वह बिल्कुल कन्टीनुअस एरिया है और बीच में पाकेट भी नहीं बनती है । वह तो मध्यप्रदेश टेरेटरी एक साइड में है और दूसरी साइड में राजस्थान टेरेटरी आती है । तो हमने इन सारी बातों को देखा है ।

दूसरी बात 'जनरली एग्रीज़' वाली आती है । मैं समझता हूँ कि यह बिल पार्लियामेंट के सामने जायेगा तो पार्लियमेंट से हम कहते हैं कि कम्पलीटली बिल एज़ इट इज़ एप्रूव कर देते हैं तो हम प्रिन्सिपल को और बिल के प्रावीज़न्स को एप्रूव करते हैं फाइनली । तो यह पार्लियामेंट के अंदर जाने वाला है तो मैं इसके अंदर ऐसी बात नहीं समझता हूं कि जिससे कोई उलझन वाली बात हो और इसमें उनको अमेन्ड करने की गुंजाइश रहती है । अपने यहां पर कुछ देरी लगी उसके कुछ और कारण थे और मैं समझता हूँ कि उनके अंदर इस समय जाने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन सारी बात को देखते हुए इसको यहां लाये हैं । जोबनेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दोहा भी सुनाया और जमीन के महत्व के बारे में भी काफी फरमाया तो मैं बताऊं कि मूल्यांकन जमाने के साथ साथ बदलता जाता है । वह मूल्यांकन किसी जमाने में था, जो आपने फरमाया । अब भारत सारा एक है और जिसमें ज्यादा से ज्यादा देश का विकास हो और अड़चनें कम हों उस दृष्टिकोण को सामने रखना मैं समझता हूं कि काफी महत्वपूर्ण बात रहती है । अभी निवेदन किया कि हमारा एरिया क्यों डूबे तुम्हारा भी हो तो जब इन्टरस्टेट प्राजेक्ट्स बनते हैं तो यह गौण बातें हो जाती हैं कि कौन सा एरिया इधर या उधर जाता है । इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को एक राय से स्वीकार करेंगे और जो कुछ जोबनेर से आये हुए माननीय सदस्य ने भावना व्यक्त की वह पुरानी है...

श्री पी. के. चौधरी : He is not from Jobner.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूदू फागी से आने वाले...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : दूदू यह बराबर कहते हैं तो मैं कहता हूं कि आधा फुलेरा मेरा है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं अर्ज करता हूं कि राजस्थान ही आपका है, देश ही आपका है ! आप दूदू और फुलेरा का क्यों झगड़ा करते हैं । तो मैंने निवेदन किया कि फागी से आने वाले माननीय सदस्य भी मुझे से सहमत होंगे, ऐसी मुझे आशा है....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : One clarfication about these rules. Whether the rules framed under section 17 will be circulated to us.

Page No 83

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप महानुभावों ने जो राय ज़ाहिर की है सारी प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट के सामने जाने वाली हैं। They will keep all these things in view,

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा निवेदन है कि जैसा क्लेरीफिकेशन आपने फरमाया, मैं अक्षर अक्षर इस चीज़ का अनुमोदन करता हूं। साथ ही मेरा इतना सा निवेदन है कि....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सभापति महोदय, क्या यह दूसरी बहस शुरु हो गई ?

डॉ॰ बहादुरसिंह : क्या यह रिप्लाई दे रहे हैं ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : नहीं। मैं इस राय से इत्तफाक करता हूं लेकिन किसी फ्रेज़ोलाजी में ऐसी चीज़ आ जाये कि आइन्दा इस तरह का हो और उधर की ज़मीन भी सबमर्ज होती हो तो हमारे इस मामले पर थोड़ा बहुत....

श्री सभापति (श्री आदित्य अली) : मैं समझता हूं कि अवश्य ध्यान रखा जायेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस बारे में मैं प्रयत्नशील हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान एण्ड मध्यप्रदेश (ट्रान्सफर आफ टेरेटरीज़) बिल, १९५९ को पार्लियामेंट में इन्ट्रोड्यूज़ किये जाने के सम्बन्ध में जो रेजोलूशन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने रखा है वह स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

श्री सभापति : We new adjourn to meet tomorrow at 8 A. M.

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक ६ मई, १९५९ के प्रातः ८ बजे तक केलिए तक के लिए स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, ५ मई, १६५६)

स्कम्भ | स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

जैसलमेर स्टेट के भूतपूर्व राजाओं द्वारा स्थायी खातेदारी अधिकारों का दिया जाना।

हरिजनों छात्रों को छात्रवृत्ति।

जयपुर प्रोपर तथा देहात में ८० भर की बजाय ८६ भर का तोल।

राजस्थान में घासमारी की वसूली।

शिक्षा विभाग भीलवाड़ा अध्यापकों के स्थानान्तरण।

पंचायतों द्वारा आबादी भूमि निर्धारण की मांग।

महारानी सुदर्शना गर्ल्स कॉलेज की अध्यापिकाओं का ग्रेड।

भरतपुर ज़िले में समाज कल्याण केन्द्र।

हायर सेकेन्डरी स्कूल सांचोर में भवन की कमी।

पिछड़ी जाति के काश्तकारों के नाम ज़मीन की खातेदारी।

भरतपुर ज़िले में महिला सदन।

संस्कृत का विकास।

६६८८ हाजीवास, ज़िला पाली, का जागीरदार द्वारा मुआवजे के दावे।

धौलपुर के मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की योग्यता।

नहरी पीवल ज़मीनों का बारानी लगान वसूल करने के सम्बन्ध में।

राजकीय हाई स्कूल चाकसू में टाइप राइटर की व्यवस्था।

सामुदायिक विकास सहकारी समिति आसिंद को भूमि का अलाटमेंट।

कोटा ज़िले में अफीम का अवैध व्यापार।

हट्टून्डी बालिका विद्यालय को सरकारी सहायता।

बीकानेर ग्लास फेक्टरी को पुनः चलाना।

चित्तौड़गढ़ ज़िले में इन्टरमीडियेट कालेज़।

राजस्थान कालेज़ का वार्षिकोत्सव।

तहसील दौसा में अग्नि से भस्म ग्रामों को सहायता।

ठिकाना उनियारा के पेन्शन पाने वाले कर्मचारियों की पेन्शन से नेशनल सेविंग्ज लोन की कटौती ।

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८ ६७५१

उपरोक्त विधेयक को पारित किये जाने के प्रस्ताव पर निम्नांकित सदस्यों ने आज अपने २ विचार व्यक्त किये:—

(१) श्री जगदीश प्रसाद माथुर

(२) रावल श्री नरेन्द्रसिंह

(३) श्री मुरलीधर व्यास

(४) श्री मदनसिंह दांता

(५) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

(६) श्री महेन्द्रसिंह पंवार

(७) श्री लक्ष्मीचन्द

राजस्व मन्त्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया ।

सरकारी संकल्प ६८२३

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"This House generally agrees with the principle and proposal of the transfer of certain territories comprised within villages Dotada, Pipalda and Barkkera in Bhensrorgarh tehsil of Chittor District in the State of Rajasthan to the State of Madhya Pradesh, as envisaged in the Rajasthan and Madhya Pradesh (Transfer of Territories) Bill 1959 proposed to be introduced in Parliament.

वाद-विवाद के पश्चात् उपरोक्त संकल्प सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया ।

बुद्धवार दिनांक ६ मई, ५६ की कार्य सूचि

राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १६५६ ।

(प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने तथा जनमत जानने के लिये प्रसारित करने सम्बन्धी)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३७६ का उत्तर देखिये)

सन् १९५१—५२ से सन् १९५६–५७ तक निम्न प्रकार से छात्रवृत्ति एवं एकमुश्त सहायता स्वीकृत की गई है ।

क्रमांक	आर्थिक वर्ष	छात्रवृत्ति हेतु रक्खा गया प्रावधान	छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई	छात्र संख्या	विशेष विवरण
१.	१९५१–५२	७५,००० रु०	६५०८० रु०	१४६१	
२.	१९५२–५३	७५,००० रु०	७४३८० रु०	१९५१	
३.	१९५३–५४	१,१४,००० रु०	१०९३८५ रु०	३६२८	
४.	१९५४–५५	२,२६,६०० रु०	२०५६२० रु०	८७८८	
५.	१९५५–५६	३,६०,५०० रु०	३४००६० रु०	१७५८५	
६.	१९५६–५७	४,४७,८६६ रु०	४४७८६६ रु०	२७०४०	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३८१ का उत्तर देखिये)

प्रध्यापिकायें जो डिग्री क्लास को पढ़ा रही हैं तथा जिस तारीख से पढा रही हैं और जिस ग्रेड मे कार्य कर रही है:-

क्रम संख्या—	प्रध्यापिका के नाम	विषय	तारीख	ग्रेड
१	२	३	४	५
१	कुमारी थक्कम्पा० पी०	संस्कृत	२-७-१९५६	डिग्री
२	श्रीमती एस०के० वर्मा	संगीत	,,	,,
३	श्रीमती एस०सी०छुपरा	गणित	,,	,,
४	श्रीमती एस०आर० देदेरा	अंग्रेजी	,,	,,
५	श्रीमती सी०के० भरद्वाज	इतिहास	,,	,,
६	कुमारी के० दूबे	अर्थशात्र	,,	इन्टर ग्रेड
७	कुमारी एस० रस्तोगी	राजनितिशात्र	१८-८-५८	,,
८	कुमारी आर०आर० नाज	दर्शन शास्त्र	७-११-५८	,,

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३८३ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण खंड भरतपुरा के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर खोले गये समाज कल्याण केन्द्रों की सूची

	केन्द्र	दिनांक
१	उच्चैन	२४. २. ५६
२	भौंट	,,
३	कमां	,,
४	सेवर	,,
५	लोधावई	,,

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३८५ का उत्तर देखिये)

प्रश्न के खण्ड 'क' से सम्बन्धित सूची

नाम तहसील		नामगांव	खसरा नम्बर	खातेदार का नाम
१	देसूरी	गजनीपुरा	६	उम्मेद, जैसा व स्वरुप
२	,,	,,	१०	नाई, नाथ्या, कान
३	,,	,,	१२	लालिया, डला, थौरी तारा, गला, भांवी

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE QUANTITY OF OPIUM SEIZED, CASES REGISTRED AND ACCUSED CONVICTED OR ACQUITTED

Year	Quantity of Opium Seized			Cases registered	Accused convicted	Accused acquitted or discharged.
	Md.	Sr.	Tola			
1956	2	4	71/2	38	21	15
1957	4	30	60	37	23	6
1958	8	33	41/2	63	45	
1959 upto Feb., 1959	1	23	33	15	4	

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४०० का उत्तर देखिये)

नक़शा नुकसान अग्नि कांड जो सन् १९५८ में हुये तथा उनको जो सहायता दी गई, तहसील दौसा, जनवरी सन् १९५८ से दिसम्बर १९५८ तक

नं० शु०	नाम ग्राम जहां अग्नि कांड हुआ	तारीख अग्नि कांड	तादाद नुकशान जो हुआ	सहायता जो सरकारसे दी	सहायता जिसके लिये जिला बोर्ड को लिखा गया
१	बोरोडा	३-१-५८	२१०.२५ न. पै.	२०० रू०	
२	थोरडा	११-१-५८	१४०१.५०		
३	रायथला	२-१-५८	४१०.००		ज़िला बोर्ड को लिखा गया
४	खोहरकलां	२-२-५८	११३०.००		,,
५	जगसहायपुरा	४-२-५८	२४०३८.००	अभी सहायतानहीं दी गई कागजात पड़े हैं	
६	बडागांव	२६-२-५८	१३७७.००		ज़िला बोर्ड को लिखा गया
७	चुन्ड़वावास	१०-३-५८	१५८८.५०		,,
८	डीगंपुरा	१७-३-५८	५२०.००		,,
९	नीमावो	२-२-५८	२७४.००		,,

१	२	३	४	५	६
१०	सिगंवाडा	२२–३–५८	८१.००		,,
११	मोटलावास	३०–३–५८	६००१.७५	१४६६रू०१५ आ०३पा०	
१२	कस्बा दौसा	२८–४–५८	७६५.००		ज़िला बोर्ड से–२०रू० दिये गये
१३	बिशनपुरा	२६–३–५८	१६६.५०		ज़िला बोर्ड को लिखा गया
१४	चिरोता खुर्द	६–५–५८	३६६८.५०		ज़िला बोर्ड से ८५ रू० दिये गये
१५	पुन्यावास	२–५–५८	६०.००		ज़िला बोर्ड को लिखा गया
१६	खैरवाल	६–५–५८	३१२.००		,,
१७	दौसा कस्बा दौसा	२४–६–५८	७०३.००		,,
	मीजान		४६०६७.००	१६६६रू०१५आ०३पा०	१०५रू०

Page No 92

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३८६ का उत्तर दीजिये)

LIST OF ADMISSION OF THE INMATES OF DISTRICT SHELTER DHOLPUR

S. No.	Month.	Number admitted.
1.	March, 1958.	1
2.	April, 1958.	3
3.	May, 1958,	
4.	June, 1958.	2
5.	July, 1958.	2
6.	Aug., 58.	1
7.	Sept., to Dec. 58	Nil
8.	Jan., 59.	1
9.	Feb., 59.	1
10.	March, 59.	1
	Total	15

LIST OF INMATES OF DISTRICT SHELTER DHOLPUR REGARDING THEIR MONTHWISE ADMISSION AND DISCHARGE

Month.	Number admitted.	Caste Scheduled Castes.	Other Castes.	Number discharged.	Manner of Discharge.
March, 1958.	1	—	1	1	One sent with her father.
April, 1958.	3	—	3	2	One sent with her father & 1 sent with her husband.
May, 1958.	3	—	3	2	Relieved with her husband and 1 Relieved with her brother.
June, 1958.	2	—	2	2	1 Relieved with her brother & 1 Relieved with her
July, 1958.	2		2	—	—
Aug., 58.	1	—	1	1	Relieved with her husbands. She was declared a Tibi patient by the Doctor.
Sept., to Dec. 58	—	—	—	4	Transferred to Recue Home, Jaipur.

1	2	3	4	5	6
Jan., 1959.	1	1	—	1	Handed over to Police as per orders of Magistrate Ist Class.
Feb., 1959,	1	1	—	—	
March, 1959.	1	—	1	—	
Total	15	2	13	13	

शुद्धि-पत्र

(५ मई, १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
६६८६	३	Dwan	Dewan
६६६०	अन्तिम से १२	ware	were.
६६६२	अन्तिम से १४	whereeas	whereas.
६६६५	१२	tne	the.
६६६६	अन्तिम से ११	has acted nor	has not acted.
६६६७	१	Tihat si	That is.
६६६७	१६	(अजरमे पूर्व)	(अजमेर पूर्व)
६६६८	२	सरकारी ऑफि.र	सरकारी ऑफिसर
६६६६	१०	विभाव	विभाग
६७०१	५	श्री हरिभाऊ उपध्याय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
६७०८	१४	कोट	कोर्ट
६७११	२१	लाभावित	लाभान्वित
६७१८	अन्तिम से ६	तिगारिया	तिगरिया
६७१६	६	अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
६७२८	२	वाकिब	वाकिफ
६७३२	अन्तिम से ३	कास्त	काश्त
६७३६	५	श्री जगदीशप्रसादमथुर	श्री जगदीशप्रसाद माथुर
६७४१	८	इन्टरमिडिट	इन्टरमिडियेट
६७४४	१२	गवर्नन्ट	गवर्नमेन्ट
६७४८	१८	श्री गोरर्धनसिंह	श्री गोवर्धनसिंह
६७५१	७	विघेयक	विधेयक
६७५३	६	श्रदा	श्रद्धा
,,	२३	लिजिये	लीजिये
६७५६	८	खर्च किमा	खर्च किया

१	२	३	४
६७५६	अन्तिम से १२	चढ़वा	चढावा
,,	अन्तिम से ८	उचारण	उच्चारण
६७५७	५	आफिर्स	ऑफिसर
६७५७	६	दुरव्यसन	दुर्व्यसन
,,	१६	पसे	पैसे
६७५८	१५	दुरव्यसन	दुर्व्यसन
,,	अन्तिम से ८	सक्युलर	सेकुलर
६७६०	६	हस्तेक्षेप	हस्तक्षेप
,,	अन्तिम	ससझता	समझता
६७६१	२	पार्टीकुलर	पर्टिकुलर
६५६१	अन्तिम से ६	सवाल अया था	सवाल आया थां
६७६३	अन्तिम से ४	मनुष्य	मनुष्य
६७६७	१६	धारणए ं	धारणाएं
६७७६	१५	कानूक	कानून
६७७८	३	क्रिइचियन	क्रिश्चियन
६७७६	१२	द्रस्ट	ट्रस्ट
,,	२२	प्रत्तीत	प्रतीत
,,	२३	घर्म	धर्म
६७८०	१	(श्री '	(श्री मदनसिंह)
६७८०	१५	मोहमेडन्स	मोमेडन्स
६७८५	१५	नं	मैं
६७८५	अन्तिम से ११	हिन्दूओं	हिन्दुओं
६७८७	१६	अघ ोगति	अधोगति
६७८६	६	द्वारा	विलोपित कीजिये
६७८६	११	धर्माचारण	धर्माचरण
६७६०	१२	परम्पपरा	परम्परा
६७६०	२२	स्वामी शंकरचार्य	स्वामी शंकराचार्य
६७६२	अन्तिम	रखी जाय	रखा जाय

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
६७६३	अन्तिम से २	जिनका	जिनको
६७६५	२३	धान	धन
६७६८	अन्तिम से ६	शधिकार	अधिकार
६७६६	२०	कलेबर	कलेवर
६८००	अन्तिम से २	पोता	पोते
६८०२	अन्तिम से २	सिमित	सीमित
६८०५	१६	शुरु करने थे	शुरु करने को थे
६८१३	१५	धर्मापदेश	धर्मोपदेश
६८१४	१४	पर्टिक्युलुर	पर्टिक्युलर
६८१७	७	विमर्ष	विमर्श
,,	अन्तिम	लाग	लागू
६८२०	१४	श्री दमोदरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
६८२१	अन्तिम से ७	It it a speech	Is it a speech
६८२२	२	कोन	कौन
६८२४	१०–११	कोर इरीगेशन	को इर्रिगेशन
६८२४	अन्तिम से ६	cxprcss	express
६८२६	अन्तिम से ६	Sow	So
६८२७	अन्तिम से ६	distrsct	district
६८२६	अन्तिम से ४	Shold	should
६८३५	६–१०	मात्र मात्र था	नाम मात्र था
६८४३	अन्तिम से ५	Hcuse	House
६८४३	अन्तिम से ३	Assrmbly	Assembly
६८४४	६	qnestion	question
६८४८	१	(श्र वी. एन. जोशी)	(श्री वी.एन.जोशी)
६८५१	१०	प्राजेक्टस	प्रोजेक्टस
,,	११	गौंण	गौण

१	२	३	४
६८५१	अन्तिम से ३	Clarfication	Clarification
६८५२	३	प्रासीडिंस	प्रोसीडिंग्स
,,	७	अपाने	आपने
६८५३	अन्तिम से ५	new	now
६८६६	६	with her husbands	with her husband
,,	१०	Tibi Patient	T. B. patient